प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर

सेवा में,

कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल),
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली–110001

पत्र सं0 : 187 /एम0एम0सी0–30खनिज/2023–24 दिनांक : 22/4/2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

7. In its report the Joint Committee had recommended re-evaluation of leases found operational approximately 500 to 600 meters close to Jargo dam and for constitution of Expert Committee and remedial action of declaring buffer zone and prohibiting mining within buffer zone. Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur have submitted that committee has been constituted but its report is still awaited. Other recommendations of the Joint Committee are also yet to be carried out and Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur seek time to look into the aspects and file action taken reports.

8. Action taken reports be filed by Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh and Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के समदिनांकित पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत 39 खनन पट्टा क्षेत्रों में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु पृथक–पृथक बंदी आदेश जारी किये गये है एवं 39 खनन पट्टा क्षेत्रों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल धनराशि रू0 758.60 लाख अधिरोपित किया गया है **(संलग्नक–1)**।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के समदिनांकित पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत 21 केशर औद्योगिक ईकाइयों में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु पृथक–पृथक बंदी आदेश जारी किये गये है एवं 25 केशर इकाईयों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल धनराशि रू0 213.50 लाख अधिरोपित किया गया है **(संलग्नक–2)**।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत 39 खनन पट्टा क्षेत्रों में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु पृथक–पृथक बंदी आदेश जारी किये गये, जिसके कम में कार्यालय आदेश समदिनांकित 06.03.2024 द्वारा समस्त 39 खनन पट्टा क्षेत्रों से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किये जाने हेतु पृथक–पृथक आदेश जारी किये गये **(संलग्नक–3)**।

...2

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 86–01005 (099)/2/2023 दिनांक 06.02.2024 के कम में कार्यालय आदेश सं0–8039/एम0एम0सी0–30 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जनपद स्तर पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। गठित विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 22.03.2024 को स्थलीय जॉच के दौरान Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड को आर0वी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक श्री राजेश भाई पटेल की खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में 03 Round Blasting कर vibration की माप किये जाने की संस्तुति की गयी। गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 20.04.2024 **(संलग्नक–4)** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निष्कर्ष निम्नवत् है :–

As per briefing by Senior Manager, CMPDI (HQ), Ranchi, the following were deliberated in detail and decided in the Meeting:

1. All the licensed building/ sandstone mine is at more than 500m from the Jargo Dam.
2. From the study by CMPDI, it is clear that working can be safely extended beyond 300m from nearby Dam/villages/hutments or dwellings etc. by strictly following the recommended blast patterns as given in CMPDI Vibration Study report.
3. As per Metalliferous Mines Regulation, 1961 "The entire Area falling within a radius of 300m from the place of firing is called Danger Zone". So, Jargo Dam is out of danger zone (ie. 300m) from all the licensed building/ sandstone mine. The advancement of Mine was in opposite direction of the Mine.
4. As per act 5.5.2.3. of Indian Standard, Inspection and Maintenance of Dam and Appurtenant structures guidelines (First Revision) IS 9296:2001, Any construction is prohibited within the area of 200m from Dam.

Additional District Manager said that all committee Members are agreed on the point:

The entire Area falling within a radius of 300m from the Jargo Dam will be "Dam Buffer Zone"

All the Committee Members have unanimously agreed on the above point and the same shall be incorporated in the committee Report.

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वस्तु स्थिति से मा0 अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित वाद में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

ADM/FR/Oe(M·O) 6513

जिलाधिकारी
मीरजापुर
27-2-24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(Total - 38 Letters)

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक

Ref. No ...H07131..... Date .19.02.2024

(1). पंजीकृत संख्या 1887

सेवा में,

मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

(2) दिनांक 27/02/24.

यह कि मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

642 1. यह कि मैसर्स **श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

MO 2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

ADM (F/R) 05/03/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No ...H07132..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 दिनॉक Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
ई-साइट : www.uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No .....H07133..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तार्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07134..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर(गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर** (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07135..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07137..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत
मैसर्स मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी–ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी–ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली(गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी–ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली** (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07138..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा. कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...HO71139..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07140..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहरील–सदर, जनपद–लखनऊ(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No .....H07141..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल(गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल** (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दर्भ सं0
Ref. No ....H07142..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल(गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल** (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0
Ref. No ....H07143..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल(गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल** (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0
Ref. No .....H07154..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर(गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर** (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0
Ref. No ...H07145..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी(गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम रतर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी** (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

f सं0
Ref. No ....H07146..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी(गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी** (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सं0
I. No .....H07147..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र
(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र** (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक
Letter No .....H071548..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

No .....H071149..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 *दिनॉक* Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़) **पंजीकृत**
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद(गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद** (गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0
Ref. No ...H0.7150..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़) **पंजीकृत**
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद(गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद** (गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0
Ref. No .....H0715.2..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र(गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र** (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No ...H07153... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार** (गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी. टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लर लखनऊ - 226 010
दूर दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैव फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई– ई–मेल : info@uppcb.com
वेब वेबसाइट : www.uppcb.com
वबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H0
. No ...H07154..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 *दिनॉक*
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़)

जनपद–मिर्जापुर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार** (गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

6535

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक
Ref. No ....H07156..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार(गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार** (गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No .....H07155..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक
Ref. No ...H07157..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 *दिनाँक*
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़) **जनपद–मिर्जापुर।**

पंजीकृत

यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक
Ref. No. H07158 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

No. HO7159 सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 दिनॉक Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अधवार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अधवार, जनपद– मीरजापुर(गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अधवार, जनपद– मीरजापुर** (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H0716.0 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़) **जनपद–मिर्जापुर।**

यह कि मैसर्स मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र(गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र** (गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

No. H071161 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0) (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)(गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)** (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पं0
ए. NS ....1407162..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 *दिनॉक*
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) **पंजीकृत**
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उददेश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

6543

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No ....H0716.3..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 *दिनॉक* Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़) <u>पंजीकृत</u>
<u>जनपद–मिर्जापुर।</u>

यह कि मैसर्स मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

वेबसाइट : www.uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

तदर्भ सं0
Ref. No .....H07164..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर** (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

. No ...HO7165..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 *दिनॉक*
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर(गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उददेश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर** (गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com
Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No .....H07166..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 *दिनॉक*

Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) **जनपद–मिर्जापुर।**

यह कि मैसर्स मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित / संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उददेश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ।ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी** (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No .....H07167..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 *दिनॉक*

Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़) पंजीकृत
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उददेश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No ....H07168..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) पंजीकृत
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी(गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी** (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

ई–मल : info@uppcb.com
: www.uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order
Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. सं0 H07169 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनॉक Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) **पंजीकृत**
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

6550

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सं0
Ref. .....H0717.0..... सी–2 / एन0जी0टी0–67 / 2024 दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री सिद्धार्थ, प्रो0, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम– चकजाता, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 आ0सं0– 03, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स श्री सिद्धार्थ, प्रो0, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम– चकजाता, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर(गाटा सं0 आ0सं0– 03, लीज एरिया 5 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 / 09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। उद्योग को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति CTO प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय खनन इकाई में खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन विभाग की सूचनानुसार उक्त पटटा के पक्ष में दिनांक 14.03.2012 से 12.03.2022 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत / निष्पादित था, जिसकी अवधि दिनांक 12.03.2022 को समाप्त हो गयी थी। तददिनांक से ही उक्त खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य संचालित नहीं है। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **श्री सिद्धार्थ, प्रो0, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम– चकजाता, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** (गाटा सं0 आ0सं0– 03, लीज एरिया 5 एकड़) में संचालन / उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से यथावत बंद रखा जायें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

पत्र प्राप्ति का दिनांक 04/03/24
क्रमांक 3434

6551

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H071771

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

(1) पंजीकृत संख्या.1906.
(2) क्रम संख्या.....
(3) दिनांक 20/2/24 (Total 38 Letters)

विषय: श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, निवासी–ग्राम–रामरसही, पो0– पटिहटा, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

I.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6552

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07172..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी–ग्राम व पो0– पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

20/01/1680
19/02/24

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6553

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H071773..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नही किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी–ग्राम–पटेल नगर (गरौड़ी), पो0–अदलहाट, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

पी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO71174

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः **श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी–ग्राम–लालपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 705, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6555

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07175..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी–ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
भाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6556

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No ...H0717.6..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स, पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी–ग्राम–पहाड़पुर, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6557

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं
Ref. No ...H071177..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी–ग्राम–बिहारा पोस्ट– पीला कोठी, थाना–कोतवाली कर्वी, जनपद–चित्रकूट (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी–ग्राम–बिहारा पोस्ट– पीला कोठी, थाना–कोतवाली कर्वी, जनपद–चित्रकूट (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी–ग्राम–बिहारा पोस्ट– पीला कोठी, थाना–कोतवाली कर्वी, जनपद–चित्रकूट (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
फैस : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H071178..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी–ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी–ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली, थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6559

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07179..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

I.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मैल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6560

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07180 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी–592घ/53सी, राजीव नगर, थाना–पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
फैस : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6561

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07181..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मो0 शमशाद पुत्र मो0 इलियास, निवासी–मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना–कैण्ट, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
वसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07182 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–08, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6563

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07183..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नही की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–06, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
भाष : 0522-2720828, 2720831
वस : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6564

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक
Ref. No H071964 Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी–मोहल्ला–153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता–हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह0–लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल (गाटा सं0 705 खण्ड नं0–07, लीज एरिया 2.5 एकड) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
ाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6565

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07185.....

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव,निवासी–ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद–जौनपुर (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6566

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO7186

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6567

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ....H07187..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तह0– सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद–अमेठी (गाटा सं0 737, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

पी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No .....HO/1188..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, रावर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र
(गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, रावर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी– कम्हारी, ब्रह्मनगर, रावर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
रभाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
–मेल : info@uppcb.com
बसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07189..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक
Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री निक्षय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री निक्षय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नही किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री निक्षय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मो0–भटवा के पोखरी, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

पी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6570

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H07190 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनांक Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–39), लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

04/03/24

Scanned with OKEN Scanner

6571

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में

मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–गिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–गिर्जापुर मे स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी–लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद–मुरादाबाद (गाटा सं0 1क (ख0सं0–40), लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
नऊ - 226 010
ाष : 0522-2720828, 2720831
स : 0522-2720764, 2720676
ेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6572

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No ...H07192..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी–इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 732, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6573

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07193..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नही की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 18, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
Ref. No H07194 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 732 कम सं0 21, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. जिलाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

पी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6575

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07195.....

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जगीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जगीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओ को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जगीर खाँ, निवासी ग्राम–रसूलपुर, थाना–अदलहाट, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

20/2/24
04/3/24

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6576

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं/ Ref. No H073196 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनांक/ Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह, निवासी ग्राम–नरायनपुर, पोस्ट–चेनारी, रोहतास, बिहार (गाटा सं0 180/2 कम सं0 20, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6577

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No ....H071977..... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक / Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 19, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6578

प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनांक Date 19.02.2024
Ref. No HO73198

सेवा में,

मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश, निवासी–रामरसही, पोस्ट–पटिहटा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 180/2 कम सं0 28, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6579

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No H071 99 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अघवार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अघवार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यो से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी–देवनाथपुर, अघवार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 703, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6580

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO7100 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़) के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरुद्ध [illegible] दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक, निवासी–मुड़िलाडीह, घोरावल, जनपद–सोनभद्र (गाटा सं0 157, लीज एरिया 400 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय स्थित [illegible] खाता संख्या 70150201000021O4 आईएफएससी कोड UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण व्यय/परिव्यय उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ – 226 010
फोन 0522-2720828, 2720831
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone 0522-2720828, 2720831
Fax 0522-2720764, 2720676
E-mail info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6581

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No ....H07201.... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक Date 19.02.2024

सेवा मे

मैसर्स मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)
(गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0) (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0) (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6582

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H07202..... रौ–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date .19.02.2024

सेवा में

मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 माँ शीतला स्टोन, पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह, निवासी ग्राम–अदलपुरा, थाना व तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6583 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No HO/2023 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी–गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 1क, लीज एरिया 5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
-मेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6584

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No HO/2024

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नही किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 शैलपुत्री, प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम–बिरमउवा, नकहरा, जनपद–मीरजापुर (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226 010
ाभाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
ेसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H07205 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय: श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद– मीरजापुर (गाटा सं0 170, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

20/2/24
04/3/24

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6586

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H037206 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ,निवासी– 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट, लंका, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 142, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226 010
भाष : 0522-2720828, 2720831
क्स : 0522-2720764, 2720676
मेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6587

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO/12.07

सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनांक
Date 19.02.2024

सेवा मे,

मैसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषय मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व मे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नही किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 139 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 1390000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बांकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद–मिर्जापुर (गाटा सं0 730, लीज एरिया 2 एकड़) पर रू0 1390000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद मे प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2470/100

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6588

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 सी–2/एन0जी0टी0–67/2024 दिनाँक
Ref. No H03208 Date 19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 139 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 1390000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी–म0सं0–जे–12/15,एच–3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद–वाराणसी (गाटा सं0 728, लीज एरिया 2.5 एकड़) पर रू0 1390000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
नऊ - 226010
ाष : 0522-2720828, 2720831
स : 0522-2720764, 2720676
ल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

A:DM/FR/MZP/MD 6589

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

जिलाधिकारी
मिर्जापुर

Ref. No. H07210/26/2/24 / BO-2/ NGT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24
पंजीकृत

रोवा (

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व मे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S MAHAKAL MINNING &CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

ADM (FIR) MZP 06/3/24

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

(1) पंजीकृत संख्या 1886 (Total 46 letters)
(2) क्रम संख्या.....
(3) दिनांक 26/2/24....

Scanned with OKEN Scanner

6590

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO7211/C-2/NGT-67/24 दिनाँक Date 19.1.24

पंजीकृत

रोवा में,

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO-140, 57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एव नियत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित मे जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6591

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No HO72.12/C-2/NGT HO-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6592

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 407213/c-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनाक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहगति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6593

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Pef. No 40724/C-2/NCT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उददेश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सयत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6594

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 1072/15-/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टीसी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6595

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 4072-16/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6596

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. 40 7217 / C-2 / NOT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR
MIRZAPUR.

यह कि **M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहगति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6597

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07218/ C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में
M/S ELIT STONES,
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR

यह कि **M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन मिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6598

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 4072-19/C-2/NOT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट्टी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है–

1. यह कि **M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6599

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 1072/20/C-2/NOT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6600

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संo
Ref. No 407221/C-2/NOT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6601

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H072-22/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR,** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विधुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6602

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07223/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,
M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR,** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6603

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. H072-24/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6604

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...407225/C-2/NGT-67/24 दिनाँक Date ...19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6605

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं
Ref. No 407226/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राहगति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6606

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No 40727/C-2/C-2/NGT-67/24 दिनाँक Date 19-2-24

सेवा में,
M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

यह कि **M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6607

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 407220/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date 19-2-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6608

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 4072-29/

दिनाँक
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

M/S S.U. ENTERPRISES,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग दिनांक 23.08.2023 को सील किया गया था। अद्यतन निरीक्षण के समय सील सुरक्षित पायी गयी थी। प्लाण्ट एण्ड मशीनरी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पायी गयी। उद्योग को सहमति आदेश प्राप्त नहीं हैं भौतिक तथ्यों से परिलक्षित हुआ कि उद्योग विगत कई वर्षो से बन्द है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से यथावत् बंद रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6609

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. H072-30/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date 19-2-24
पंजीकृत

सेवा मे,

M/s RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि **M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्टोन क्रशर इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में स्टोन क्रशर इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6610

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0

Ref. No /1072-31 /C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/ P.N.C. INFRATECH LTD.
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S P.N.C. INFRATECH LTD. SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयां को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S P.N.C. INFRATECH LTD. SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6611

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No 407232/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/s R.K. CONSTRUCTION C0.,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषयः **M/S R.K. CONSTRUCTION C0, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही सचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही सचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 48 दिनों के उल्लघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 300000/–(रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S R.K. CONSTRUCTION C0, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 300000/–(रू0 तीन लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6612

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No H07233 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/s MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No H07234 /C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/s ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS),
BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 मे एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6614

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H072357/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/s JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 113 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 706250/–(रू0 सात लाख छ हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 मे एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि मे प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6615

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No H07236/C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/s RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 240 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 15,00,000/–(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 15,00,000/–(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6616

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No H07237 /C-2/NGT-67/24

दिनांक

Date: 19.02.2024

सेवा मे,

M/S ABHIVAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: M/S ABHIVAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–गिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों का पूर्व मे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S ABHIVAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, निर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No 407238/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषयः **M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम मे जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, BHAGWAWT, CHUNAR, MIRZAPUR** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6618

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 407239 /C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S SHRI BAJARANG STONE ,
BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No H072.40/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषयः **M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEI, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6620

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No 4072-41 /C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6621

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07242/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,
M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6622

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H07243/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषयः M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 48 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 3,00,000/–(रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 3,00,000/–(रू0 तीन लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6623

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0

दिनांक
Date: 19-02-2024

Ref. No 407244/C-2/NGT-67/24

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम मे जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनो के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6624

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक सं0

Ref. No H072-45 /C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: **M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन की अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भाति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6625

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

दिनाँक
Date: 19-02-2024

Ref. No 4072/46/C-2/NGT-67/24

सेवा मे,

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: **M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6626

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

उद्धर्म सं0
उदभे
Ref. No 1072147/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S ELIT STONES,
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S ELIT STONES, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6627

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No H07248 /C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,(STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR
MIRZAPUR

विषय: M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,(STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों का पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/-(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/-(रू0 नौ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भाति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि मे प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भाति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6628

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H-072149 /C-2/NGT-67/24

दिनाँक / Date: 19-02-2024

सेवा मे,

M/S P.B.R INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No H07250/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,
M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No H072-57/C-2/NGT-67/24

दिनाँक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम मे जनपद-मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/-(रू0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/-(रू0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6631

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0 Ref. No 1407252/C-2/NGT-67/24

दिनांक Date: 19-02-2024

सेवा मे,

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयो को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनाक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनाक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, MIRZAPUR.**, पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0
Ref. No 1407253 /C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date

सेवा में,

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: **M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR. के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनाक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S IDEAL VISIONS ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT- MIRZAPUR.** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

6633

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सं0

Ref. No HO 7254/C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा मे,

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO-140, 57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय: **M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन मे जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व मे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन नही किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140,57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR MIRZAPUR** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 मे एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति मे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 1072-55 /C-2/NGT-67/24

दिनांक
Date: 19-02-2024

सेवा में,

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय: M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन मे जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 26 स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्व मे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में आपकी स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की निरीक्षण आख्यानुसार आपकी स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित है तथा इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा आपकी स्टोन क्रशर इकाई द्वारा समुचित वायु प्रदूषण नियत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचलित किये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध 146 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त स्टोन क्रशर इकाई **M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR** पर रू0 9,12,500/–(रू0 नौ लाख बारह हतार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8313/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 06/03/2024

श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ
निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना अदलहाट,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–730 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 21.07.2021 से 20.07.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8337 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय
निवासी ग्राम व पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–703 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 833/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री मो0 शाह पुत्र श्री जमात अली शाह
निवासी ग्राम–हरहरपुर डुन्डा शुभाली,
थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8329/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धमान सिंह
निवासी 592घ/53सी, राजीव नगर,
थाना– पी0जी0आई0, जनपद–लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–मगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8328 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

मो0 शमशाद पुत्र श्री मो0 इलियास
निवासी मोहल्ला–म0नं0–578–ए, लाला महावीर प्रसाद रोड
कसाई बार, सदर कैण्ट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा,
थाना– कैण्ट, तहसील– सदर, जनपद–लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8339/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह
निवासी म0सं0–जे.12/15 एच–3,
बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज,
सदर, जनपद–वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–728 में रकबा 02.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।
पत्रांक व तद्दिनांक।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8315/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6 / 3 /2024

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0देवराज सिंह
निवासी ग्राम नरायनपुर,पोस्ट चेनारी, रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.07.2022 से 03.07.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8336/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह
निवासी ग्राम पटेलनगर (गरौड़ी),
पोस्ट अदलहाट, जनपद– मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8320/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री निक्शय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय
निवासी मो0 भटवा के पोखरी,
तहसील सदर, जनपद–मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8314 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 06/03/2024

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0देवराज सिंह
निवासी ग्राम नरायनपुर,पोस्ट चेनारी, रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8312 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 06/ 3 /2024

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह
निवासी ग्राम नरायनपुर, पोस्ट चेनारी,
रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–मगौतीदेई की आराजी संख्या–180 / 2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8321 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे
निवासी कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्ट्सगंज,
जनपद– सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8324/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव
निवासी ग्राम अहिरौली, पोस्ट शीतलगंज,
थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद जौनपुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–728 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8334 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री गंगा सागर सिंह पुत्र श्री मेघवरन सिंह
निवासी ग्राम–करमपुर, तहसील– सैदपुर,
जनपद–गाजीपुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–730 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8317 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा
निवासी मो0–रमेडी तरौस शहर–हमीरपुर एव
श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा
निवासी म0न0 568ख / 219 गीतापल्ली, आलमबाग
थाना कृष्णा नगर जनपद– लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर चकजाता की आराजी संख्या–497 व 198 में रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8330 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 06/ 9 / 2024

मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह
पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह निवासी सा.कोरोनेशन कालिंदी विले
फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180 / 2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8325 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153 / 1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता– हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तहसील लालकुआँ,
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8327/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153/1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता– हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तहसील लालकुआँ,
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8326/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 करूणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153/1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता– हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तहसील लालकुआँ,
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8318/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह
निवासी लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद–मुरादाबाद।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–1क (ख0सं0–39) में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8319/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह
निवासी लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद–मुरादाबाद।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–1क (ख0सं0–40) में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8838/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिह
निवासी ग्राम–रामरसही, पो0 पटिहटा
तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 15.11.2014 से 14.11.2024 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8340 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री सुनील कुमार पाण्डेय
पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय
निवासी बांकेलाल टण्डन जी की गली,
वासलीगंज, मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–730 में रकबा 02.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 12.08.2014 से 11.08.2024 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8342 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू
निवासी ग्राम सोनपुर, तहसील चुनार,
जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–170 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 31.12.2021 से 30.12.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8343/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 शैलपुत्री प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा
पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा निवासी ग्राम बिरमउवा,
नकहरा, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.12.2021 से 22.12.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8341/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0
श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ
निवासी 51415 । अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट,
लंका, जनपद वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8348 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू
निवासी देवनाथपुर, अधवार,
जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–703 में रकबा 2.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8345/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 माँ शीतला स्टोन
पा0 श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह
निवासी ग्राम अदलपुरा, थाना व तहसील चुनार,
जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–1क में रकबा 2.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2028 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8344 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 /2024

मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
प्रो0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह
निवासी गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–1क में रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 09.11.2020 से 08.11.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8347/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/8/2024

मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज
प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरूचि पाठक
निवासी मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–157 में रकबा 4.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 21.07.2021 से 20.07.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8332 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र
निवासी ग्राम बिहारा, पोस्ट पीला कोठी,
थाना– कोतवाली कर्वी, जनपद–चित्रकूट।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180 / 2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी / बोल्डर / पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन / उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन / परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8346/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड,
डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी
पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी
निवासी प्लाट नं0–05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट,
चूनाभट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–सोनपुर की आराजी संख्या–1क में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 08.12.2020 से 07.12.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8316 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

मे0 खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिहं
निवासी इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/ बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.10.2020 से 25.10.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/ उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक8823 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3 /2024

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री राम सागर मिश्र
निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तहसील–सगड़ी, जनपद–आजमगढ़
व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी
निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह,
तहसील व जनपद–अमेठी।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–737 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.01.2017 से 03.01.2027 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8349 /एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3 /2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश
निवासी रामरसही, पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8350/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/9/2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश
निवासी रामरसही, पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 11.05.2022 से 10.05.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8335/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

श्री अभय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिह
निवासी ग्राम लालपुर, अहरौरा,
तहसील चुनार, जनपद– मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8333/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023–24 दिनांक 6/3/2024

मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स,
पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद
निवासी ग्राम पहाड़पुर, तहसील नरैनी, जनपद– बांदा।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8322 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 6 / 3 / 2024

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री राम सागर मिश्र
निवासी ग्राम–मिश्रपुर, तहसील–सगड़ी, जनपद–आजमगढ़
व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी
निवासी मो0–51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह,
तहसील व जनपद–अमेठी।

आपके पक्ष में जनपद–मीरजापुर की तहसील–चुनार स्थित ग्राम–भगौतीदेई की आराजी संख्या–732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.01.2017 से 03.01.2027 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में संचालन/उत्पादन को बंद किये जाने हेतु बंदी आदेश जारी किये गये है।

अतः उक्त के कम में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
8. प्रभारी निरीक्षक, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्र सं0 :186(1)/एम0एम0सी0–30खनिज/2024–25 दिनांक : 22/04/2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 86–01005 (099)/2/2023 दिनांक 06.02.2024 जिसके द्वारा Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam के स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु शासन स्तर से 06 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। उक्त के कम में कार्यालय आदेश सं0–8039/एम0एम0सी0–30 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जनपद स्तर पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। गठित विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 22.03.2024 को स्थलीय जॉच के दौरान Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam के स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड को आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक श्री राजेश भाई पटेल की खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में 03 Round Blasting कर vibration की माप किये जाने की संस्तुति की गयी। गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 20.04.2024 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निष्कर्ष निम्नवत् है :–

As per briefing by Senior Manager, CMPDI (HQ), Ranchi, the following were deliberated in detail and decided in the Meeting:

1. All the licensed building/ sandstone mine is at more than 500m from the Jargo Dam.
2. From the study by CMPDI, it is clear that working can be safely extended beyond 300m from nearby Dam/villages/hutments or dwellings etc. by strictly following the recommended blast patterns as given in CMPDI Vibration Study report.
3. As per Metalliferous Mines Regulation, 1961 "The entire Area falling within a radius of 300m from the place of firing is called Danger Zone". So, Jargo Dam is out of danger zone (ie. 300m) from all the licensed building/ sandstone mine. The advancement of Mine was in opposite direction of the Mine.
4. As per act 5.5.2.3. of Indian Standard, Inspection and Maintenance of Dam and Appurtenant structures guidelines (First Revision) IS 9296:2001, Any construction is prohibited within the area of 200m from Dam.

Additional District Manager said that all committee Members are agreed on the point:

The entire Area falling within a radius of 300m from the Jargo Dam will be "Dam Buffer Zone"

All the Committee Members have unanimously agreed on the above point and the same shall be incorporated in the committee Report.

अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 20.04.2024 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE CONSTITUTED

TO

"STUDY ON THE EFFECT OF DAM STABILITY DUE TO BLASTING AND MINING ACTIVITIES NEAR THE JARGO DAM OF MIRZAPUR AND DETERMINATION OF DAM BUFFER ZONE"

TABLE OF CONTENTS

Sl. No.	Particulars
1.0	Table of Contents
2.0	Preamble
3.0	Committee Recommendation
4.0	Joint Inspection Report
5.0	Work order copy for Vibration Study
6.0	Report on " Vibration Study due to Blasting in the mines of M/s R.B.P. Industries Pvt. Ltd, Bhagautidei, Mirzapur, U.P

PREAMBLE

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 86–01005(099)/2/2023 दिनांक 06.02.2024 के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में कार्यालय आदेश सं0– 8039/एम0एम0सी0–30 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु वि ोज्ञ (Expert) ; समिति का गठन करते हुए स्थलीय जॉच करने एवं निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राश्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

- In its report the Joint Committee had recommended re-evaluation of leases found operational approximately 500 to 600 meters close to Jargo dam and for constitution of Expert Committee and remedial action of declaring buffer zone and prohibiting mining within buffer zone. Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur have submitted that committee has been constituted but its report is still awaited. Other recommendations of the Joint Committee are also yet to be carried out and Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur seek time to look into the aspects and file action taken reports.
- Action taken reports be filed by Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh and Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

In this regard, as per letter no. 8416/M.M.C-30/Khanij/2023-24 dated 15/03/2024, a committee headed by Additional District Magistrate, Mirzapur was constituted having following Members

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मीरजापुर
2. अपर पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर,
3. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई, चुनार खण्ड, मीरजापुर,
4. खान अधिकारी, मीरजापुर,
5. खान सुरक्षा उपनिदेशक,खान सुरक्षा महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन) सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड

RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE CONSTITUTED TO "STUDY ON THE EFFECT OF DAM STABILITY DUE TO BLASTING & MINING ACTIVITIES NEAR THE JARGO DAM OF MIRZAPUR AND DETERMINATION OF DAM BUFFER ZONE"

At the outset, a Committee Meeting was convened on 22/03/2024, 11:00 am at Dakbangla near Jargo Dam under the chairmanship of Additional Magistrate, Mirzapur. After the meeting, site inspection of Jargo dam and nearby Mines was carried out by the committee members.

जॉच आख्या निम्नवत् है (Copy Attached) :–

1. जनपद मीरजापुर के Jargo Dam से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी पर उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन के खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है, जिसमें वर्तमान में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित है।
2. जनपद मीरजापुर के Jargo Dam से 500 मीटर परिधि के अन्तर्गत मे0 शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज बुढ़ीपुर (डाढ़ीवाड़ी) प्रो0 श्री सभाजीत यादव पुत्र श्री भोला यादव नि0 ग्राम बुढ़ीपुर, तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर के पक्ष में तहसील चुनार स्थित ग्राम रामपुर ढ़बही के आराजी सं0 01 रकबा 1.01 हे0 क्षेत्र पर दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है। कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेश दिनांक 11.08.2023 द्वारा उक्त खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।
3. Metalliferous Mines Regulations, 1961 में उल्लिखित प्राविधानान्तर्गत किसी सार्वजनिक सम्पत्ति, रोड, रेलवे लाईन आदि से 300 मीटर की दूरी तक blasting danger zone है, जब कि वर्तमान में प्रतिबन्धित खदानों में से Jargo Dam के सबसे निकट लगभग 540 मीटर की दूरी पर मे0 आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदे ाक श्री राजे ा भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदी ा सिंह निवासी रामरसहीं, पो0 पटिहटा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर के पक्ष में तहसील चुनार स्थित ग्राम भगौतीदेई की आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत है।
4. Jargo Dam से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी पर स्वीकृत/निष्पादित ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन के खनन पट्टों का advancement डैम के opposite direction में जा रहा है।
5. Indian Standard, Inspection and Maintenance of Dams and Appurtenant Structures-Guidelines (First Revision) IS 9296 : 2001 में उल्लिखित अधिनियम 5.5.2.3 अन्तर्गत डैम से अधिकतम 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार निर्माण निषेधित है।
6. Jargo Dam के आस–पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड को आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदे ाक श्री राजे ा भाई पटेल की खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में 03 Round Blasting कर vibration की माप के लिए प्रस्तावित किया गया है।

Further, A work Order vide letter no. 40/M.M.C-30/D.M.F/2023-24 dated 05/04/2024 was issued by District Magistrate , Mirzapur to CMPDI (HQ), Ranchi regarding "Vibration study due to Blasting in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P"(Copy Attached).

Job regarding Vibration study due to Blasting in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P" has been completed by CMPDI and report was submitted on 18/04/2024 (Copy Attached).

2nd Committee Meeting was convened on 19/04/2024, 04:00 pm through V.C. under the chairmanship of Additional Magistrate, Mirzapur.

At the outset, Sr. Manager (M), CMPDI (HQ), Ranchi has presented the outcomes of the study. He has also explained the observation of the trial Blast which is given below:

a) Total thirteen (06) blasts were conducted in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P.

b) The blast induced ground vibration as observed at various locations varies from 0.221 mm/sec at 245m distance & 5.733 mm/sec at 30m distance.

c) The Event (Blast induced ground vibration) is not recorded by different vibration Monitor stationed beyond 300m.

d) Maximum 43% of the frequency of ground vibrations were observed in the range <8 Hz and >25Hz as shown in Table 6.

e) Jargo Dam nearby mines is considered as a sensitive structure. The Permissible peak particle velocity (PPV) at the foundation level of the Jargo Dam shall be less than 2 mm/sec as per DGMS Circular No.7 dated 29.08.1997.

Sr. Manager (M), CMPDI (HQ), Ranchi has also explained the recommendation given by CMPDI(HQ), Ranchi, which is given below:

- From the on-site measurements of Peak Particle Velocity (PPV) and analysis of results of trial blasts in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P. under the prevailing geo-mining conditions, it may be recommended that the workings in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P. can be safely extended beyond 300m from nearby Dam/villages/hutments or dwellings etc. not belonging to owner with a **maximum explosive charge per delay per hole as shown in Table..**
- The present workings of the mine can be safely advanced beyond 300m from nearby villages/hutments/dwellings or dam etc not belonging to owner by strictly following the recommended blast patterns as per given Table.

TABLE: RECOMMENDED SUGGESTED BLASTING PATTERNS DERIVED FROM THE TRIALS UNDER THE PREVAILING GEO-MINING CONDITIONS ARE GIVEN BELOW:

Sl. No.	Distance (m)	Dia. of holes (mm)	Pattern of holes			Initiation system	Max no of Holes per Blast	Maximum charge per hole per delay	Max Charge Per Round (kg)
			Depth (m)	Burden (m)	Spacing (m)				
1.*	≥ 300	25.4	1	0.9	1	Nonel/ Electronic Detonator	50	0.125	6.25
2.	< 300	Scientific study for controlled Blasting will be required							

** Nonel of different Delay should be used for minimal Ground Vibration*

a) **Sketch Showing the Pattern of Holes and Charge Distribution & Length of Stemming Column**

MAXIMUM CHARGE PER HOLE: 0.125 KG
NUMBER OF HOLES: 50
CHARGE PER ROUND: 6.25 KG

Case I:

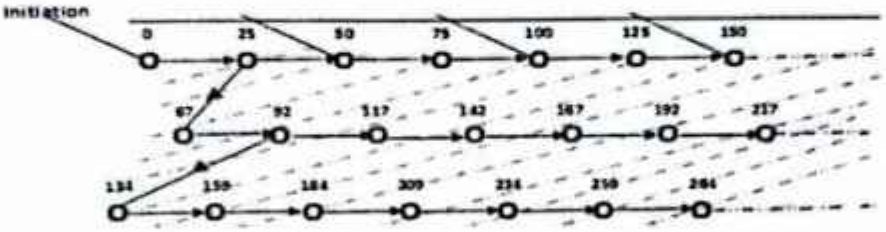

Nonel Initiation System
Hole to Hole Delay 25ms
Row to Row Delay 42ms

Case II:

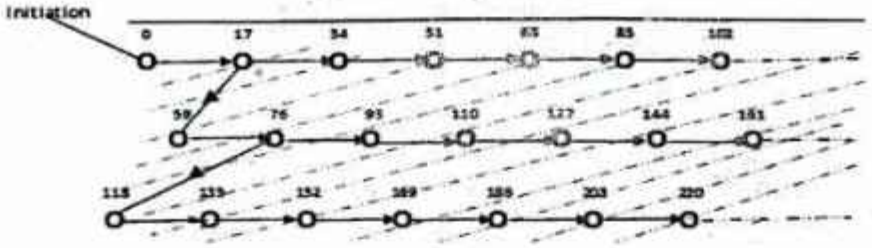

Nonel Initiation System
Hole to Hole Delay 17ms
Row to Row Delay 42ms

As per briefing by Senior Manager, CMPDI (HQ), Ranchi, the following were deliberated in detail and decided in the Meeting:

1. All the licensed building/ sandstone mine is at more than 500m from the Jargo Dam.
2. From the study by CMPDI, it is clear that working can be safely extended beyond 300m from nearby Dam/villages/hutments or dwellings etc. by strictly following the recommended blast patterns as given in CMPDI Vibration Study report.
3. As per Metalliferous Mines Regulation, 1961 "The entire Area falling within a radius of 300m from the place of firing is called Danger Zone". So, Jargo Dam is out of danger zone

(ie. 300m) from all the licensed building/ sandstone mine. The advancement of Mine was in opposite direction of the Mine.

4. As per act 5.5.2.3. of Indian Standard, Inspection and Maintenance of Dam and Appurtenant structures guidelines (First Revision) IS 9296:2001, Any construction is prohibited within the area of 200m from Dam.
5. *The entire Area falling within a radius of 300m from the Jargo Dam will be "Dam Buffer Zone"*

All the Committee Members have unanimously agreed on the above point and the same shall be incorporated in the committee Report.

The Meeting ended with thanks to the Chairman of the committee.

20/4/24
वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)
सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड

20/4/24
खान सुरक्षा उपनिदेशक,
खान सुरक्षा महानिदेशालय,
क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी.

20/4/24
खान अधिकारी,
मीरजापुर.

20/4/24
अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई, चुनार खण्ड, मीरजापुर.

20/4/24
अपर पुलिस अधीक्षक,
ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर.

20.04.024
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मीरजापुर

संयुक्त जाँच आख्या

जिलाधिकारी,
मीरजापुर
महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 86-01005(009)/2/2023 दिनांक 06.02.2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में कार्यालय आदेश सं0-8039/एम0एम0सी0-30 दिनांक 12.02.2024 द्वारा जनपद मीरजापुर के Jargo Dam के आस-पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, चुनार खण्ड, मीरजापुर, खान अधिकारी, मीरजापुर, खान सुरक्षा उपनिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन) सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड की संयुक्त विशेषज्ञ समिति का गठन करते हुए स्थलीय जाँच करने एवं निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 22.03.2024 को विशेषज्ञ समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय जाँच की गयी। जाँच आख्या निम्नवत् है :-

1. जनपद मीरजापुर के Jargo Dam से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी पर उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन के खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है, जिसमें वर्तमान में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित है।
2. जनपद मीरजापुर के Jargo Dam से 500 मीटर परिधि के अन्तर्गत मे0 शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज बुढ़ीपुर (डाढ़ीवाडी) प्रो0 श्री सभाजीत यादव पुत्र श्री भोला यादव नि0 ग्राम बुढ़ीपुर, तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर के पक्ष में तहसील चुनार स्थित ग्राम रामपुर ढबही के आराजी सं0 01 रकबा 1.01 हे0 क्षेत्र पर दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है। कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेश दिनांक 11.08.2023 द्वारा उक्त खनन क्षेत्र मे खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।
3. Metalliferous Mines Regulations, 1961 में उल्लिखित प्राविधानान्तर्गत किसी सार्वजनिक सम्पत्ति, रोड, रेलवे लाईन आदि से 300 मीटर की दूरी तक blasting danger zone है, जब कि वर्तमान में प्रतिबन्धित खदानों में से Jargo Dam के सबसे निकट लगभग 540 मीटर की दूरी पर मे0 आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश सिंह निवासी रामरसही, पो0 पटिहटा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर के पक्ष में तहसील चुनार स्थित ग्राम भगौतीदेई की आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत है।
4. Jargo Dam से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी पर स्वीकृत/निष्पादित ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन के खनन पट्टों का advancement डैम के opposite direction में जा रहा है।
5. Indian Standard, Inspection and Maintenance of Dams and Appurtenant Structures-Guidelines (First Revision) IS 9296 : 2001 में उल्लिखित अधिनियम 5.5.2.3 अन्तर्गत डैम से अधिकतम 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार निर्माण निषेधित है।
6. Jargo Dam के आस-पास खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों के कारण Dam स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड को आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक श्री राजेश भाई पटेल की खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में 03 Round Blasting कर vibration की माप के लिए प्रस्तावित किया गया है।

Scanned with CamScanner

7. ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

7. In its report the Joint Committee had recommended re-evaluation of leases found operational approximately 500 to 600 meters close to Jargo dam and for constitution of Expert Committee and remedial action of declaring buffer zone and prohibiting mining within buffer zone Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur have submitted that committee has been constituted but its report is still awaited. Other recommendations of the Joint Committee are also yet to be carried out and Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur seek time to look into the aspects and file action taken reports.

8. Action taken reports be filed by Ms. Mala Srivastava, Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh and Ms. Priyanka Niranjan, District Magistrate, Mirzapur within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 01 माह के अन्दर Action taken reports प्रेषित करने के आदेश दिये गये है।

तदनुसार संस्तुति सहित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

26/03/24

वरिष्ठ प्रबन्धक (खनन)
सीएमपीडीआई राँची, झारखण्ड

26/3/24

खान सुरक्षा उपनिदेशक,
खान सुरक्षा महानिदेशालय,
क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी

26/3/24

खान अधिकारी,
मीरजापुर.

26/3/24

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई, चुनार खण्ड, मीरजापुर.

26/3/24

अपर पुलिस अधीक्षक,
ऑपरेशन चुनार, मीरजापुर.

26.03.2024

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मीरजापुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 40 /एम0एम0सी0–30/डी0एम0एफ0/2023–24 दिनांक 05/ 4 /2024

विषयः– ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में Blasting कर vibration की माप किये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

महाप्रबन्धंक (व्यवसाय विकास),
सी.एम.पी.डी.आई राँची,
झारखण्ड

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–सीएमपीडीआई/बीडी/ए/2024/ई1440433/1190000583/I–20218 दिनांक 03.04.2024 जिसके द्वारा vibration की माप के आधार पर Dam Buffer Zone निर्धारित किये जाने में व्यय लागत का प्राक्कलन इस्टीमेट रू0 5,52,594.00 (मय जी0एस0टी0) प्रस्तुत करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में प्राप्त प्रस्ताव से आर0बी0पी0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक श्री राजेश भाई पटेल की खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में Blasting कर vibration की माप किये जाने के कार्य हेतु धनराशि रू0 5,52,594.00 (मय जी0एस0टी0) CMPDI LTD के नाम से चेक संख्या–..... दिनांक /04/2024 मूल रूप में संलग्न कर आपको निम्न शर्तो के साथ निर्गत किये जाते है कि :–

क0 सं0	विवरण	कार्य का नाम	स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि (रू0 में)
1	CMPDI LTD राँची, झारखण्ड	खदान ग्राम भगौतीदेई आ0सं0 180/2 रकबा 2.023 हे0 क्षेत्र में Blasting कर vibration की माप किये जाने का कार्य	5,52,594.00
		योग	5,52,594.00

1. यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिस मद के लिए स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। कार्य समाप्ति के उपरान्त आख्या अविलम्ब प्रस्तुत की जायेगी, जिससे कि आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय को स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
4. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य के लिए पूर्व किसी अन्य श्रोत/विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य/योजना किसी विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित है।

...2

Scanned with OKEN Scanner

5. स्वीकृत धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जायेंगे।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही अनुमन्य जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
7. यह आदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के अन्तर्गत प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति कम में जारी किये जा रहे है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, सोनभद्र।
6. गठित समिति को अनुपालनार्थ।
7. शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, पीपाला महन्थ, मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

STRICTLY RESTRICTED
FOR COMPANY USE ONLY

The information given in this report is not to be communicated either directly or indirectly to the press or to any person not holding an official position in the CIL/ Government.

Report on Vibration Study due to Blasting in the Mine of M/s R.B.P. Industries Pvt. Ltd, Bhagautidei, Mirzapur, U.P.

[Job No: 281024003]

April 2024

BLASTING DIVISION
CENTRAL MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
GONDWANA PLACE, KANKE ROAD, RANCHI – 834 031,
JHARKHAND, INDIA

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.0	Introduction	1
2.0	Objectives	1
3.0	Scope of work	1
4.0	Details of Blasting site	1
5.0	Brief on Ground Vibration	2
6.0	Brief on Seismic Waves	4
7.0	Instrumentation	7
8.0	Determination of Induced Ground Vibration	8
9.0	Experimentation	9
10.0	Analysis of vibration data	9
11.0	Threshold value of ground vibration	10
12.0	Training of Mine Officials	10
13.0	Fly rock Control	11
14.0	Observations of Trial Blasts	11
15.0	Recommendations	11
	Records of Trial Blasts	17-23

LIST OF TABLES

Table. No.	Particulars	Page no.
1	Details of Seismographs Used for Monitoring of Vibration	7
2	Details of Blast monitored	9
3	Permissible Peak Particle Velocity (PPV) at the foundation level	10
4	Recommended Suggested Blasting Patterns derived from the trials under the prevailing Geo- Mining Condition	12
5	Summarised statement showing Blast details in the mines of M/s R.B.P. Industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur	15
6	Summarised statement showing distance, PPV and frequency for OB Bench in the mines of M/s R.B.P. Industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur	16

LIST OF FIGURES

Fig. No.	Particulars	Page no.
1	Propagation of P Wave	5
2	Propagation of S Wave	5
3	Propagation of Love Wave	6
4	Propagation of Rayleigh	7
5	Instruments Installation Sites	9

APPENDIX

Sl. No.	Particulars
1.	Event Report and FFT Report

REPORT ON VIBRATION STUDY DUE TO BLASTING IN THE MINE OF M/s R.B.P INDUSTRIES PVT. LTD., BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR, U.P.

1.0 INTRODUCTION

At the request of the District Magistrate, Mirzapur, vide work order no. 40/M.M.C-30/D.M.F/2023-24 dated 05/04/2024, a study was undertaken by the blasting team of Blasting Division of CMPDI (HQ) to conduct vibration study due to Blasting in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P.

Blast induced ground vibration has the most detrimental effect on the surrounding areas and may cause some serious problems for the people residing nearby. The Directorate-General of Mines Safety Circular No. 7 dated 29.8.97 has specified permissible standards of peak particle velocity depending on the type of structure and the dominant frequency. The trial blast for study has been carried out by adhering to the specified permissible standards for PPV and dominant frequency.

2.0 OBJECTIVES

The objectives of the scientific study are:

- The aim of the study is to measure the blast induced ground vibrations generated due to Blasting in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P.

3.0 SCOPE OF WORK

- Study of mine plans, mine site, geology, surface structures and their distances from the blasting point, fixing of stations and setting of geophones (in consultation with the mine management).
- Conducting field trials with existing & modified patterns and recording of ground vibration produced by those blasts.
- Recording of ground vibration by vibration monitor.
- Analysis of blast data and design of blast parameter for safe blasting.

4.0 DETAILS OF BLASTING SITE

The mine of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd is located in the village Bhagautidei, The- Chunar, District- Mirzapur, Uttar Pradesh. The owner of this mine is Sri Rajesh Bhai Patel, S/o Late Sri Jagdish Singh. This mine is to excavate the mineral of building stone (sandstone)

Latitude: 25°02'38.50" to 25°02'39.81" N and **longitude** 81°58'31.76" to 81°58' 33.57"E

5.0 A) BRIEF ON GROUND VIBRATION

A. Ground vibration Mechanism

Ground vibration induced by blasting is a serious environmental issue in Mining industry. When explosives are detonated in a blast hole much of the energy is used to break up and move the rock or mineral. As we move away from the blast hole, the effect of the explosion decreases to a level that causes no more shattering or displacement but the vibration continues to travel through the rock as an elastic ground vibration. The vibration through the air is generally known as air overpressure & the vibration through ground is known as blast induced Ground vibration.

The total energy of the ground motion wave generated in the rock around a blast varies directly with the quantity of explosives detonated. A ground motion wave produced by blasting is of two types, body waves and surface waves. Body waves travel through the earth material. The surface waves travel along the surfaces and interfaces of the earth materials. The surface waves are further subdivided into Rayleigh or R-waves, Love or Q-waves and coupled waves

The motion of the ground particle takes in three perpendicular directions viz. Vertical, longitudinal and transverse directions.

The three factors of ground vibrations that determine the degree of structural shaking are amplitude (peak particle velocity, PPV), its duration and its frequency. Generally, the parameters with the strongest influences on blast vibration amplitude are simple distance and the charge weight per delay.

Human beings notice and react to vibration at levels much lower than the levels established as structural damage thresholds. Distance affects the propagation, and geology changes the amplitude and frequency character of ground vibration as they travel from the blast region to measurement locations. The most important influence is dissipation or geometric spreading, where the finite amount of vibration fills an increasingly larger volume of earth as it travels outward in all directions away from the blast, the consequence is generally an exponential decrease in vibration amplitude with increasing distance from the source.

B) PEAK PARTICLE VELOCITY

At any location, peak particle velocity (PPV) depends on the distance from the blast and the maximum charge per delay. The DGMS Circular requires that square root scaling shall be used when blasting is carried out on the surface and vibrations are also monitored on the surface. The square root scaling to estimate PPV is given by (ISEE, 1998).

$$PPV = K (D/\sqrt{Q})^{-b}$$

Where PPV is the peak particle velocity (mm/s), D is the distance between the blast and the monitoring station (m), Q is the maximum charge per delay (kg), and K and 'b' are the site constants. Conventionally, $(D/\sqrt{Q})$ is called scaled distance.

Peak particle velocity is plotted against scaled distance on logarithmic scales. The site constants for a mine can be determined by regression analysis of the data sets. The site constants may vary from mine to mine. The constants K and 'b' vary for different mines.

C) THRESHOLD VALUES OF GROUND VIBRATION, EFFECTS & DAMAGE

All houses cracks/ deteriorate from environmental forces commonly known as normal ageing effects. These forces include temperature change, Moisture, humidity change, wind direction & its impact, settling, daily human activity etc. Other forces interacting with structures also cause damages. Blasting is one of them. Damage also depends upon the quality of construction.

The Peak Particle Velocity has so far been considered as the best criterion for evaluating blast vibration in terms of its potential to cause damage to a structure. It is expressed in mm/s. The extensive studies on the problems have established that the frequency of the waves is also equally important factor to consider the effect of damage. However, the Peak Particle Velocity at any point depends on: -

- Amount of explosive charge per delay.
- Distance & Direction from the site of blast to observation station.
- Geological, structural, & physical properties of the Intervening strata.
- Dominant frequency of ground vibration, etc.

It has been established that the extent of ground vibration is not only dependent on the maximum charge per delay in a particular round of blast but also on the total charge fired in a blast. This is due to the complex mixture of individual pulses emanating from separate delay sequence used in a blast.

The level of blast vibration that causes damage to structures has been extensively investigated over many years by researchers worldwide. All of this research has shown that very high levels of vibration are required before damage is likely to occur.

- **Threshold effects**- Refer to hairline cracks that may or may not be seen by the naked eye (75 microns or less). Threshold effects do not damage the structural integrity of the structure.
- **Minor damage-** Cracks that are visible to the naked eye but do not affect the structural integrity of the structure.
- **Major damage-** Damage from blasting usually does not reach these levels of vibrations.

D) PARAMETERS INFLUENCING PROPAGATION AND INTENSITY OF GROUND VIBRATIONS

The parameters, which exhibit control on the amplitude, frequency and duration of the ground vibration, are divided in two groups as follows:

A. NON-CONTROLLABLE PARAMETERS

The non-controllable parameters are those, over which the Blasting Engineer does not have any control. The local geology, rock characteristics and distances of the structures from blast site are non-controllable parameters. However, the control on the ground vibrations can be established with the help of controllable parameters as given below.

B. CONTROLLABLE PARAMETERS

i. Explosive charge per delay.
ii. Maximum charge per round.
iii. Delay Interval & Delay sequence.
iv. Direction of blast progression.
v. Blast design.
vi. Explosives & its parameters.
vii. Quality of blasting accessories.
viii. Type of face (Free face, Choked face etc.).
ix. Confinement.

6.0 BRIEF ON SEISMIC WAVES

Seismic waves are the waves of energy caused by the sudden breaking of rock within the earth or an explosion. They are the energy that travels through the earth and is recorded on seismographs.

Types of Seismic Waves: The two main types of seismic waves are

i. Body waves
ii. Surface waves.

i. BODY WAVES

These waves travel through the interior of the earth, body waves arrive before the surface waves emitted by an explosion. These waves are of a higher frequency than surface waves. Body waves are mainly two types they are

a) P wave or primary wave
b) S wave or secondary wave

a) P WAVE OR PRIMARY WAVE

The first kind of body wave is the P wave or primary wave. This is the fastest kind of seismic wave, and, consequently, the first to 'arrive' at a station, hence the name "Primary". The P wave can move/travel through any kind of material like solid rock and fluids like water or the liquid layers of the earth. It can travel at nearly twice the speed of S waves. In air, they take the form of sound waves, hence they travel at the speed of sound.

P waves are pressure waves, as it is formed from alternating compressions and rarefactions or primary wave. It pushes and pulls the rock it moves through just like sound waves push and pull the air. The mode of propagation of a P-wave is always longitudinal. Subjected to a P wave, particles move/vibrate in the same direction that the wave is moving in, which is the

direction that the energy is traveling in, and is sometimes called the direction of wave propagation.

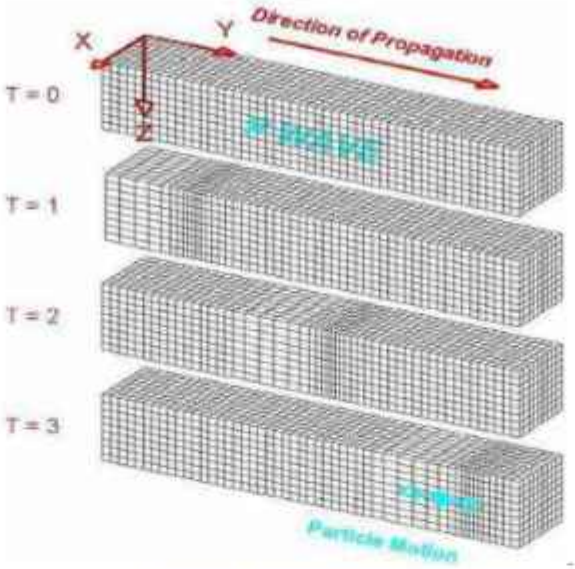

Figure 1: Propagation of P Wave

b) S WAVE OR SECONDARY WAVE

The second type of body wave is the S wave or secondary wave, which is the second wave you feel after P wave. Secondary waves (S-waves) are shear waves that are transverse in nature. The S-wave moves as a shear or transverse wave, so motion is perpendicular to the direction of wave propagation. The S-wave displace the ground perpendicular to the direction of wave propagation.

S-waves can only move through solid rock, not through any liquid medium as fluids (liquids and gases) do not support shear stresses

S-waves are slower than P-waves, and speeds are typically around 60% of that of P-waves in any given material.

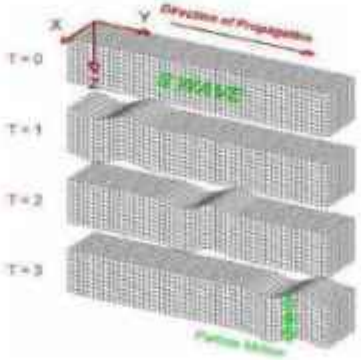

Figure 2: Propagation of S Wave

ii. SURFACE WAVES

Seismic surface waves travel along the Earth's surface (travelling only through the crust). They travel more slowly than seismic body waves (P and S). Surface waves are of a lower frequency than body waves. The particle motion of surface waves is larger than that of body waves, so the surface waves tend to cause more damage.

Though they arrive after body waves, it is surface waves that are almost entirely responsible for the damage and destruction associated with an explosion. This damage and the strength of the surface waves are reduced in deeper explosion.

The surface waves are mainly two types:

a) Love waves b) Rayleigh waves

a) LOVE WAVES

The first kind of surface wave is called a Love wave, named after A.E.H. Love (Augustus Edward Hough Love) a British mathematician who worked out the mathematical model for this kind of wave in 1911.

Love waves are horizontally polarized shear waves (SH waves) and moves the ground from side-to-side. It's the fastest surface wave. Love waves travel with a lower velocity than P- or S-waves. They usually travel slightly faster than Rayleigh waves, about 90% of the S wave velocity, and have the largest amplitude. Love waves Confined to the surface of the crust, Love waves produce entirely horizontal motion.

The Love wave is a result of the interference of many shear waves (S–waves) guided by an elastic layer. Love waves (also known as Q waves) are surface seismic waves that cause horizontal shifting of the Earth during an explosion. These waves are observed only when there is a low velocity layer overlying a high velocity layer/ sub–layers.

The particle motion of a Love wave forms a horizontal line perpendicular to the direction of propagation (i.e. are transverse waves). Since Love waves travel on the Earth's surface, the strength (or amplitude) or maximum particle motion of the waves often decrease exponentially with the depth of an explosion.

Surface waves decay more slowly with distance than do body waves, which travel in three dimensions. Since they decay so slowly, Love waves are the most destructive outside the immediate area of the focus or epicenter of an explosion. They are what most people feel directly during an explosion.

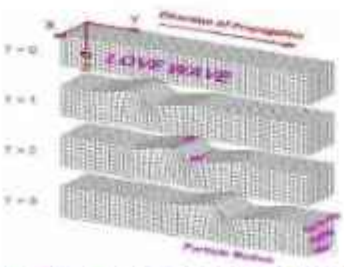

Figure 3- Propagation of Love Wave

b) RAYLEIGH WAVES

The other kind of surface wave is the Rayleigh wave, named for John William Strutt, Lord Rayleigh, who mathematically predicted the existence of this kind of wave in 1885.

In seismology longitudinal and shear waves are known as P-waves and S-waves, respectively, and are termed body waves. Rayleigh waves are generated by the interaction of P- and S-waves at the surface of the earth, and travel with a velocity that is lower than the P-, S-, and Love wave velocities.

A Rayleigh wave (also called ground roll) rolls along the ground just like a wave rolls across a lake or an ocean (travel as ripples with motions that are similar to those of waves on the surface of water). Because it rolls, it moves the ground up and down, and side-to-side in the same direction that the wave is moving. Most of the shaking felt from an explosion or earthquake is due to the Rayleigh wave.

Rayleigh waves are a type of surface wave that travel near the surface of solids. Rayleigh waves include both longitudinal and transverse motions that decrease exponentially in amplitude as distance from the surface increases. The amplitude of Rayleigh waves also generally decreases exponentially with the depth of the hypocenter.

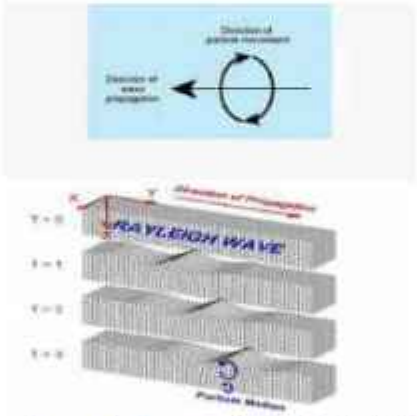

Figure 4 - Propagation of Rayleigh Wave

7.0 INSTRUMENTATION

Details of seismographs used for monitoring of Vibration and preparation of report is shown in Table - 1.

TABLE-1: DETAILS OF SEISMOGRAPHS USED FOR MONITORING OF VIBRATION

Sl. No.	Seismograph Name	Serial No of Instrument	Make
1.	Micromate	UM11220	Instantel Inc. Canada
2.	Blastmate III	BA 14611	Instantel Inc. Canada
3.	Minimate Plus	BE 18012	Instantel Inc. Canada
4.	Minimate Plus	BE 18270	Instantel Inc. Canada

Procedure for seismographs prior to use:

- Checking of Battery & charging status
- Checking of Proper functioning of Transducers
- Parameters setting
- Sensor checks.
- Procedure for setting up seismographs on site
- Fixing of monitoring stations in consultation with the mine management.
- Digging and installing the geophone inside a trench and tight packing of geophone & trench with soil prior to blasting.
- Connect the Geophones with the seismograph.
- Switch on the instrument and check whether the seismograph is sensing the connected geophones (transducers) or not.
- Press start monitoring button prior to blast, to record blast induced ground vibration

Procedure for handling and management of monitoring data & production of monitoring reports:

- Recording of vibration.
- Downloading of the data using Blastware-10 software.
- Generation of Event reports to know the recorded vibration.
- Regression Analysis of data for determining the site equation, if required.
- Establishing the frequency domain of the blasts.
- Evaluating the Charge/Delay vs Distance for the Maximum permissible PPV for the given frequency range, if required.
- Recommending safe charge /delay for different distances if required
- Recommending the blast pattern for the mine if required.

8.0 DETERMINATION OF INDUCED GROUND VIBRATION

Blast induced ground vibration was measured by One no. of Blastmate III, two nos. of Minimate Plus and one no. of Micromate vibration monitors. These instruments are microprocessor-based unit having tri-axial transducers. It measures Peak Particle Velocity (PPV) in three mutually perpendicular directions, i.e. longitudinal, transverse and vertical along with respective frequencies.

FIGURE 5: INSTRUMENT INSTALLATION SITES

9.0 EXPERIMENTATION

Details of the blast monitored are summarized in Table-2

TABLE-2: DETAILS OF BLAST MONITORED

Details of Blast	OB
No. of rounds	06
No. of observations	19
Depth of drill holes (m)	0.9-1.0
Burden (m)	0.9-1.0
Spacing (m)	1.0
Explosive charge/hole (kg)	0.125
Maximum charge/round (kg)	1.875- 6.250

Adequate care was taken in respect of blast design, proper use of explosives, length of stemming column for minimizing the level of ground vibration. Loose pieces of stones/ debris were removed from the blast site before commencing blasting operations. The initiation was done by non-electric detonators.

The instruments were fixed at a distance of 30 m to 385 m from the blast point where the levels of ground vibration were recorded. The details of each trial blast, blast geometry, explosive charge distribution, etc. are shown in the enclosed Annexures.

10.0 ANALYSIS OF VIBRATION DATA

The blast sites were fixed in consultation with the mine officials and mine officer, Mirzapur. However, the geophones were fixed at distances ranging from 30 m to 385 m from blasting faces to simulate the future conditions when blasting may be extended close to the nearby structures/ houses/ dwellings/ Jargo Dam etc. not belonging to owner of the mine. The data

obtained from these observations were recorded by four nos. of vibration monitors and subsequently data analysis was carried out by a computer software package for deriving the site-specific propagation equation. During trial period, 06 blasts were conducted with 19 observations at different distances from blast site.

11.0 THRESHOLD VALUE OF GROUND VIBRATION

The study has been conducted keeping in view the norms set for the threshold value of PPV by DGMS. As per DGMS Circular No.7 dated 29.08.1997, depending on the type of structures and the dominant excitation frequency, the peak particle velocity (PPV) on the ground adjacent to structures should not exceed the values given in the following table. Permissible peak particle velocity (PPV) at the foundation level of structures in mining area in mm/sec is shown in Table-3.

TABLE-3: PERMISSIBLE PEAK PARTICLE VELOCITY (PPV) AT FOUNDATION LEVEL

Type Of Structures		Dominant Excitation Frequency (Hz)		
		< 8 Hz	8-25 Hz	> 25 Hz
(A)	**Building/structures not belonging to owner**			
	(i) Domestic houses/structures (Kuchha, Brick in cement).	5	10	15
	(ii) Industrial building (RCC) framed structures.	10	20	25
	(iii) Object of historical importance and sensitive structures.	2	5	10
(B)	**Building belonging to owner with limited span of life**			
	(i)Domestic houses/structures (Kuchha, Brick in cement)	10	15	25
	(ii) Industrial building (RCC) framed structures	15	25	50

12.0 TRAINING OF MINE OFFICIALS

Requisite training was imparted to mine officials and workers who were continuously associated with blasting operations during the study period (i.e. from design of blast to the final observation of the blast). The concerned mine officials were made conversant to use of explosives and the technique of controlled blasting as applicable to prevailing condition in the mines of M/s R.B.P. Industries Pvt. Ltd, Bhagautidei, Mirzapur.

13.0 FLYROCK CONTROL

Fly-rock is an undesirable impact of surface blasting operations. It has been proved in studies that the explosive energy takes the path of least resistance in surface blasting. If the blast conditions are not proper than it can generate fly-rocks which can cause injury to person or damage nearby dwellings. Factors mainly responsible for fly-rock includes:

- Geological factors such as presence of joints, cracks, faults and slip Planes.
- High explosive concentration leading to explosive energy migration through least resistant region.
- Deviation of blast holes from the intended direction due to inappropriate initiating pattern or blast design causing a reduction in burden or spacing.
- Insufficient or improper stemming leading to stemming ejection and bench-top fly-rock.

14.0 OBSERVATIONS OF TRIAL BLASTS

a) Total thirteen (06) blasts were conducted in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P.

b) The blast induced ground vibration as observed at various locations varies from 0.221 mm/sec at 245m distance & 5.733 mm/sec at 30m distance.

c) The Event (Blast induced ground vibration) is not recorded by different vibration Monitor stationed beyond 300m.

d) Maximum 43% of the frequency of ground vibrations were observed in the range <8 Hz and >25Hz as shown in Table 6.

e) Jargo Dam nearby mines is considered as a sensitive structure. The Permissible peak particle velocity (PPV) at the foundation level of the Jargo Dam shall be less than 2 mm/sec as per DGMS Circular No.7 dated 29.08.1997.

15.0 RECOMMENDATIONS

Based on the data collected from field trial blasts and its analysis various blast patterns were designed to conduct safe blasting for various distances from surface structures. From the on-site measurements of Peak Particle Velocity (PPV) and analysis of results of trial blasts in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P. under the prevailing geo-mining conditions, it may be recommended that the workings in the mines of M/s R.B.P. industries Pvt. Ltd., Bhagautidei, Mirzapur, U.P. can be safely extended beyond 300m from nearby Dam/villages/hutments or dwellings etc. not belonging to owner with a **maximum explosive charge per delay per hole as shown in Table: 4.**

The present workings of the mine can be safely advanced beyond 300m from nearby villages/hutments/dwellings or dam etc not belonging to owner by strictly following the recommended blast patterns as per Table No: 4 & 4(a).

The mine management can also design drilling parameters and blast patterns considering strictly the maximum explosive charge per delay as provided in table 4. The Drill Pattern, Charge Pattern, Delay Sequence, and Initiation etc. for all the recommendations are provided below. All other safety precautions as stated in the statute regarding drilling, charging and blasting operations shall be followed strictly.

TABLE 4: RECOMMENDED SUGGESTED BLASTING PATTERNS DERIVED FROM THE TRIALS UNDER THE PREVAILING GEO-MINING CONDITIONS ARE GIVEN BELOW:

Sl. No.	Distance (m)	Dia. of holes (mm)	Pattern of holes			Initiation system	Max no of Holes per Blast	Maximum charge per hole per delay	Max Charge Per Round (kg)
			Depth (m)	Burden (m)	Spacing (m)				
1.*	≥ 300	25.4	1	0.9	1	Nonel/ Electronic Detonator	50	0.125	6.25
2.	< 300	Scientific study for controlled Blasting will be required							

** Nonel of different Delay should be used for minimal Ground Vibration*

a) Sketch Showing the Pattern of Holes and Charge Distribution & Length of Stemming Column

MAXIMUM CHARGE PER HOLE: 0.125 KG
NUMBER OF HOLES: 50
CHARGE PER ROUND: 6.25 KG

Case I:

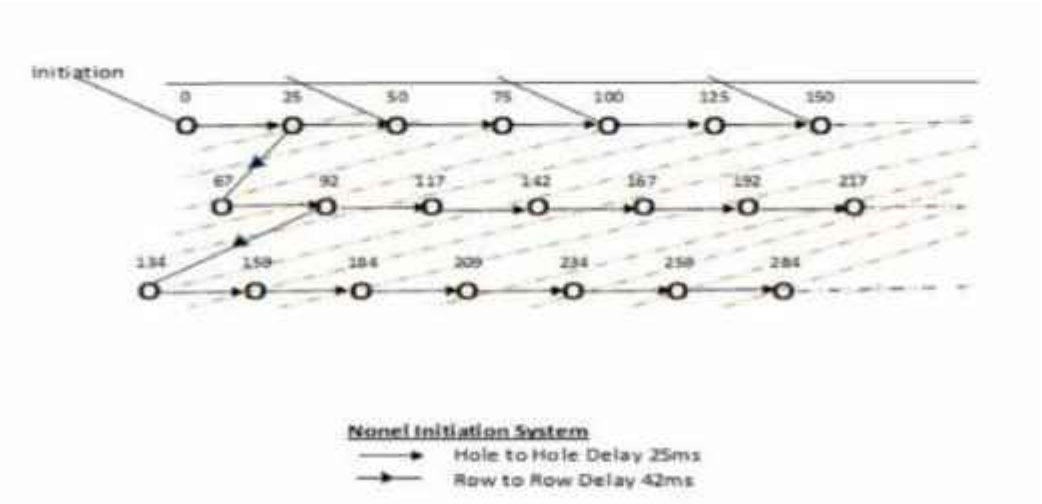

Case II:

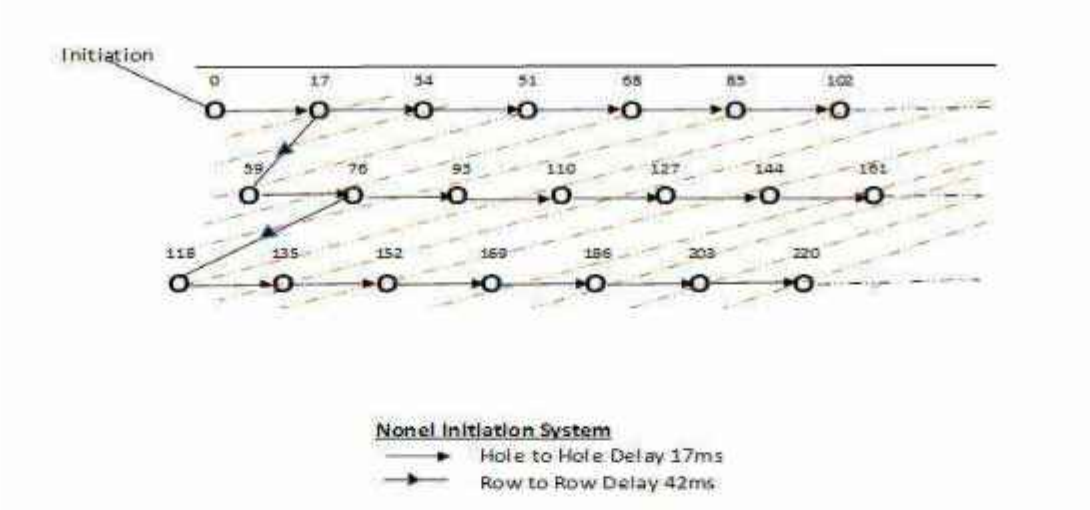

c) As demonstrated during the trials a proper initiation system to resist charge per delay as recommended should be followed in order to restrict ground vibration, control of fly rock and better fragmentation.

d) For less than 300m from nearby villages/hutments/dwellings or dam etc. not belonging to owner, proper scientific study for controlled Blasting will be required.

e) Free face should be maintained and blasted material should be cleared out before the commencement of subsequent blasting operation. All loose debris should be removed from the blast site.

f) The code of blasting signals shall be strictly followed as framed by the mine manager and means of effective communication should be utilized gainfully in the mine. A siren must be used during blasting operation for warning the people before blasting and to give all clear signals after blasting.

g) Where any part of the public road and/or railway line lies within the danger zone (as specified by DGMS), at least two persons must be deputed in either direction of the road/railway at the two extreme points (more than 100m in either direction) at the time of blasting with an efficient system of communication (i.e. telephone, wireless etc.) to prevent any person, vehicle etc. to approach within the said danger zone.

h) Mobile telephone must be switched off in the blasting area at the time of handling, charging and blasting of explosives.

i) The day to day blasting operations shall be recorded in a bound paged book showing the blast parameters, e.g. charge/delay, charge/round, PPV etc. and should be countersigned by the mine manager.

j) The mine manager shall fix the blasting time and it should be circulated to all concerned officials and displayed on the notice board. Blasting should be done in day-light only. Blasting should be avoided under overcast sky.

k) The above trial is based on the existing geo-mining conditions. The recommended charge per hole per delay may change with the changed geo-mining conditions. In such cases, fresh study is needed to be conducted to obtain the maximum charge per hole per delay.

l) In the prevailing geo-mining conditions as observed during the trials blasts explosives should be used for regular production blasts.

m) Only properly trained blasting personnel should be deployed for using explosives.

n) Other precautions concerning handling, charging and blasting of explosives as laid down in the statute should be followed.

o) Day to day blasting operations should be recorded in a bound paged book showing all the relevant blast parameters, e.g. number and depth of holes, burden, spacing, charge/delay, charge/round, initiation system, etc. duly signed by the Blasting Official and countersigned by the Manager for future reference.

Satyendra Narayan
Sr. Manager
Blasting Division, CMPDIL (HQ)

TABLE 5: SUMMARISED STATEMENT SHOWING BLAST DETAILS IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

Sl. No.	Date	Nature of formation	Location	No. of Holes	Parameters			Explosive charge (Kg)		
					Depth (m)	Burden (m)	Spacing (m)	Per hole	Max. charge/delay	Per round (Kg)
1.	11.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	30	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	3.75
2.	11.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	15	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	1.875
3.	11.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	15	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	1.875
4.	12.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	50	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	6.25
5.	12.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	50	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	6.25
6.	12.04.2024	Medium to Hard	OB Bench	50	0.9-1.0	0.9- 1.0	1.0	0.125	0.125	6.25

TABLE 6: SUMMARISED STATEMENT SHOWING DISTANCE, PPV AND FREQUENCY FOR OB BENCH IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

Sl. No.	Date	Nature of formation	Maximum charge/ round (kg)	Distance from blast site to monitoring station				Peak particle Velocity PPV				Frequency				% Frequency		
				Stn1	Stn2	Stn3	Stn.4	Stn1	Stn2	Stn3	Stn. 4	Stn1	Stn2	Stn3	Stn.4	<8 Hz	8-25 Hz	>25Hz
1.	11.04.2024	Medium to Hard	3.75	245	375	385		1.147	ENR*	ENR*		2.0	-	-		43	14	43
2.	11.04.2024	Medium to Hard	1.875	345	380	150		ENR*	ENR*	0.290		-	-	117.0				
3.	11.04.2024	Medium to Hard	1.875	180	185	145		0.684	0.622	0.832		7.0	7.0	7.25				
4.	12.04.2024	Medium to Hard	6.25	30	125	130	145	5.733	0.803	0.730	0.410	63.0	8.25	8.25	2.0			
5.	12.04.2024	Medium to Hard	6.25	35	150			2.394	ENR*			72.25	-	-	-			
6.	12.04.2024	Medium to Hard	6.25	35	50	45	245	2.623	1.092	1.178	0.221	76.25	72.25	72.50	2.0			

*ENR- Event not recorded

RECORDS OF TRIAL BLAST

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 1

Sl.No	Particulars				
1.	Date of Blast	:	11.04.2024		
2.	Bench	:	OB Bench		
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone		
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular		
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4		
	b) Depth of Holes (m)	:	0.9 – 1.0		
	c) Burden (m) (Average)	:	0.9		
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0		
	e) No. of Holes	:	30		
	f) No. of Rows	:	05		
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive		
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125		
7.	Total Explosive Used Per Round	:	3.75		
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation		
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings		
10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			245	375	385
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			1.147	ENR*	ENR*
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			20	-	-
13.	Fly Rock	:	Within Limit		
14.	Fragmentation	:	Satisfactory		

ENR*- Event not recorded

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 2

Sl.No	Particulars				
1.	Date of Blast	:	11.04.2024		
2.	Bench	:	OB Bench		
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone		
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular		
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4		
	b) Depth of Holes (m)	:	0.9 – 1.0		
	c) Burden (m) (Average)	:	0.9		
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0		
	e) No. of Holes	:	15		
	f) No. of Rows	:	03		
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive		
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125		
7.	Total Explosive Used Per Round	:	1.875		
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation		
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings		
10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			345	380	150
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			ENR*	ENR*	0.290
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			-	-	117.0
13.	Fly Rock	:	Within Limit		
14.	Fragmentation	:	Satisfactory		

ENR*- Event not recorded

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 3

Sl.No	Particulars				
1.	Date of Blast	:	11.04.2024		
2.	Bench	:	OB Bench		
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone		
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular		
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4		
	b) Depth of Holes (m)	:	1.0		
	c) Burden (m) (Average)	:	1.0		
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0		
	e) No. of Holes	:	15		
	f) No. of Rows	:	03		
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive		
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125		
7.	Total Explosive Used Per Round	:	1.875		
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation		
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings		
10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			180	185	145
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			0.684	0.622	0.832
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**
			7.0	7.0	7.25
13.	Fly Rock	:	Within Limit		
14.	Fragmentation	:	Satisfactory		

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 4

Sl.No	Particulars		
1.	Date of Blast	:	12.04.2024
2.	Bench	:	OB Bench
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4
	b) Depth of Holes (m)	:	0.9 – 1.0
	c) Burden (m) (Average)	:	0.9
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0
	e) No. of Holes	:	50
	f) No. of Rows	:	05
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125
7.	Total Explosive Used Per Round	:	6.25
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings
10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1** 30 **Stn.2** 125 **Stn.3** 130 **Stn.4** 145
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1** 5.733 **Stn.2** 0.803 **Stn.3** 0.730 **Stn.4** 0.410
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1** 63.0 **Stn.2** 8.25 **Stn.3** 8.25 **Stn.4** 2.0
13.	Fly Rock	:	Within Limit
14.	Fragmentation	:	Satisfactory

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 5

Sl.No	Particulars			
1.	Date of Blast	:	12.04.2024	
2.	Bench	:	OB Bench	
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone	
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular	
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4	
	b) Depth of Holes (m)	:	0.9 – 1.0	
	c) Burden (m) (Average)	:	0.9	
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0	
	e) No. of Holes	:	50	
	f) No. of Rows	:	05	
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive	
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125	
7.	Total Explosive Used Per Round	:	6.25	
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation	
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings	
10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1**	**Stn.2**
			35	150
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1**	**Stn.2**
			2.394	ENR*
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1**	**Stn.2**
			72.25	-
13.	Fly Rock	:	Within Limit	
14.	Fragmentation	:	Satisfactory	

ENR*- Event not recorded

RECORDS OF VIBRATION STUDY IN THE MINES OF M/S R.B.P. INDUSTRIES PVT. LTD, BHAGAUTIDEI, MIRZAPUR

TRAIL BLAST – 6

Sl.No	Particulars		
1.	Date of Blast	:	12.04.2024
2.	Bench	:	OB Bench
3.	Nature of Strata	:	Medium Hard Sandstone
4.	Pattern of Holes	:	Rectangular
	a) Dia. of Holes (mm)	:	25.4
	b) Depth of Holes (m)	:	0.9 – 1.0
	c) Burden (m) (Average)	:	0.9
	d) Spacing (m) (Average)	:	1.0
	e) No. of Holes	:	50
	f) No. of Rows	:	05
5.	Type of Explosive Used	:	Cartridge Explosive
6.	Charge Per Hole (Kg)	:	0.125
7.	Total Explosive Used Per Round	:	6.25
8.	Type of Initiating System	:	Nonel Initiation
9.	Stemming Material Used	:	Drill cuttings

10.	Distance from Observation Station to Blasting Site (m)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**	**Stn.4**
			35	50	45	245
11.	Vibration (In Terms of Peak Particle Velocity) (mm/sec)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**	**Stn.4**
			2.623	1.092	1.178	0.221
12.	Frequency (Hz)	:	**Stn.1**	**Stn.2**	**Stn.3**	**Stn.4**
			76.25	72.25	72.50	2.0

13.	Fly Rock	:	Within Limit
14.	Fragmentation	:	Satisfactory

APPENDIX

Instantel

Event Report
6713

Date/Time	Tran at 13:19:06 April 11, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHXU.BU0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General:Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes
Job No 3

Microphone	Linear Weighting
PSPL	0.750 pa.(L) at 0.347 sec
ZC Freq	>100 Hz
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	1.143	0.143	0.095	mm/s
ZC Freq	2.0	N/A	N/A	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.000	-0.187	-0.118	sec
Peak Acceleration	0.086	0.012	0.007	g
Peak Displacement	0.033	0.021	0.022	mm
Sensor Check	Check	Passed	Passed	
Frequency	2.2	7.6	7.5	Hz
Overswing Ratio	8.0	3.4	3.9	

Peak Vector Sum 1.147 mm/s at 0.000 sec
N/A: Not Applicable

USBM RI8507 And OSMRE

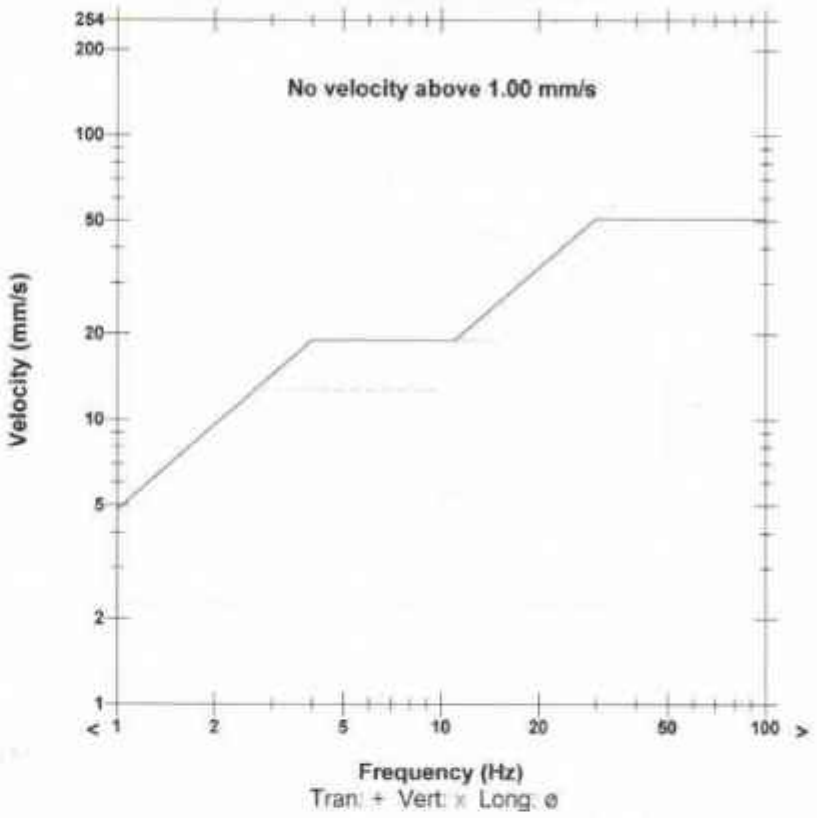

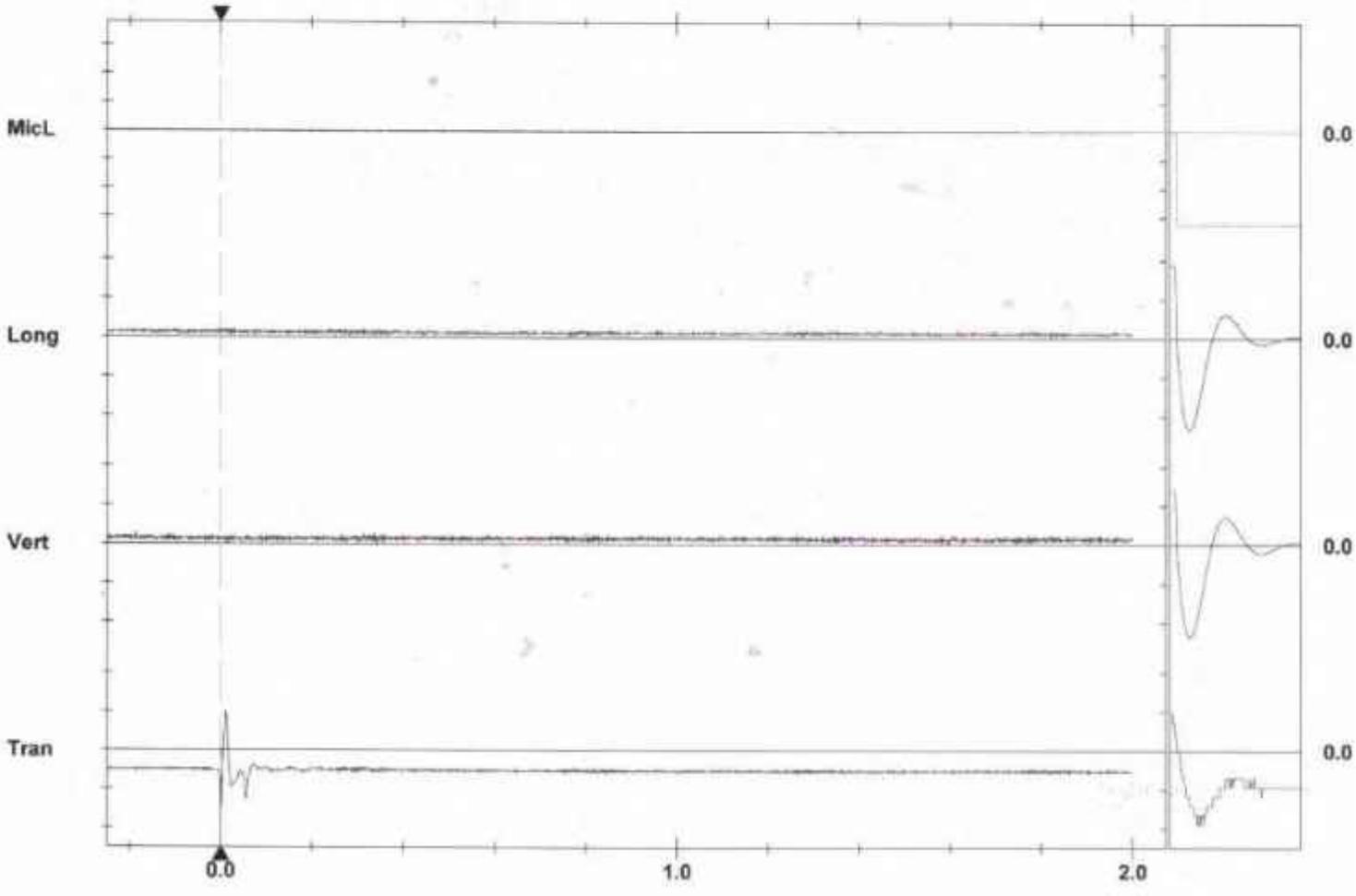

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 0.500 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div
Trigger = ▶ ◀

Sensor Check

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6714

Date/Time	Tran at 13:19:06 April 11, 2024	**Serial Number**	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s	**Battery Level**	6.2 Volts
Range	Geo: 31.75 mm/s	**Unit Calibration**	March 23, 2022 by UES New Delhi
Record Time	2.0 sec at 1024 sps	**File Name**	P611KHXU.BU0
		Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes

Job No 3

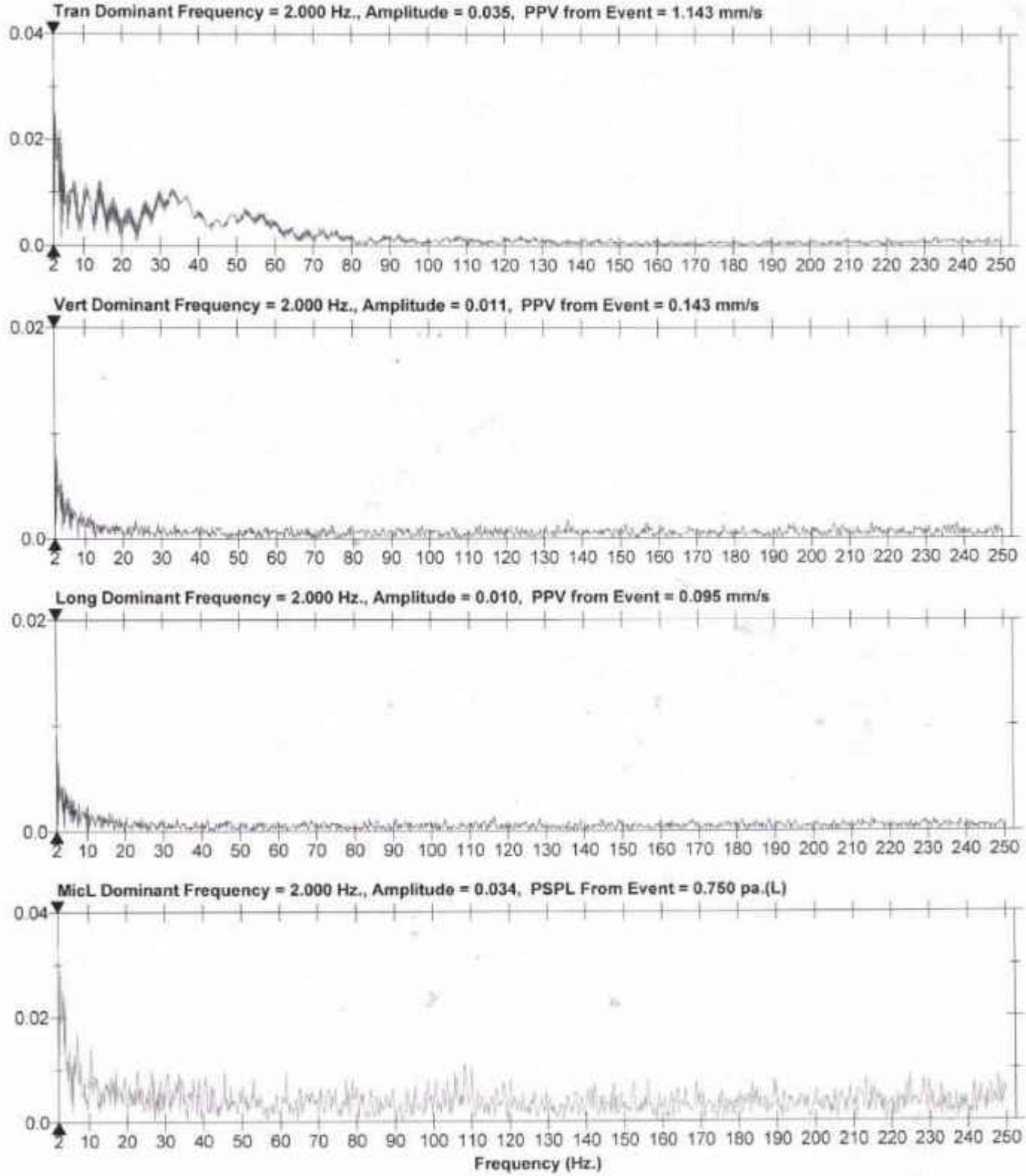

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6715

Date/Time	MicA at 13:33:19 April 11, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	3.0 sec at 1024 sps
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb

Serial Number	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Battery Level	3.8 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	UM11220_20240411133319.IDFW

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

Microphone	Linear Weighting
PSPL	2.343 pa.(L) at 0.027 sec
ZC Freq	2.0 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 1105 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.102	0.079	0.284	mm/s
ZC Freq	>100	>100	>100	Hz
Time (Rel. to Trig)	-0.064	0.377	-0.060	sec
Peak Acceleration	0.011	0.015	0.020	g
Peak Displacement	0.000	0.000	0.000	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.3	7.7	7.5	Hz
Overswing Ratio	3.3	3.0	3.1	

Peak Vector Sum 0.290 mm/s at -0.060 sec

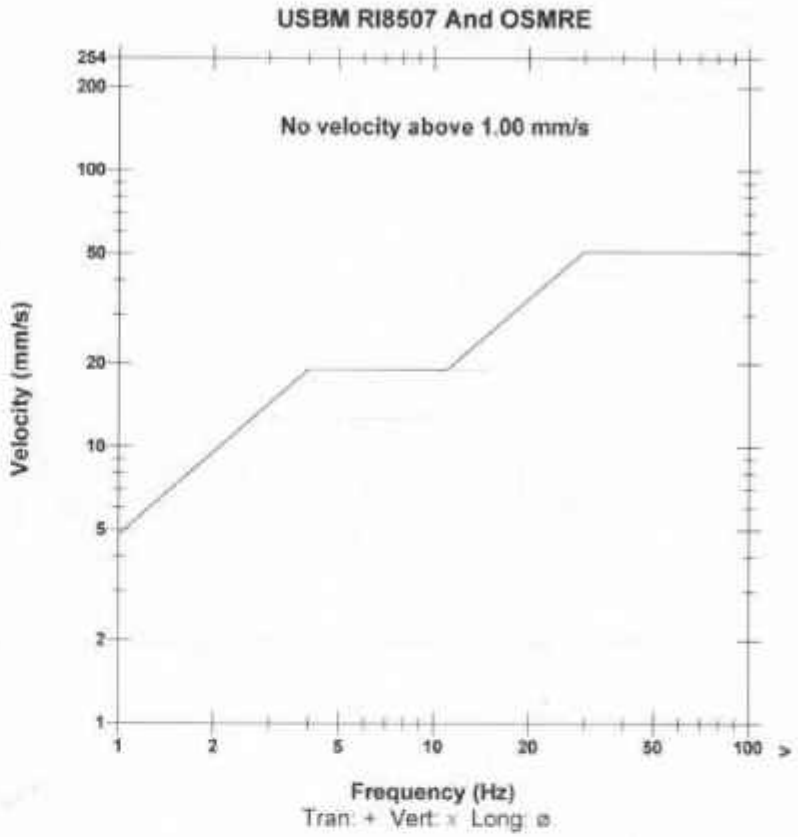

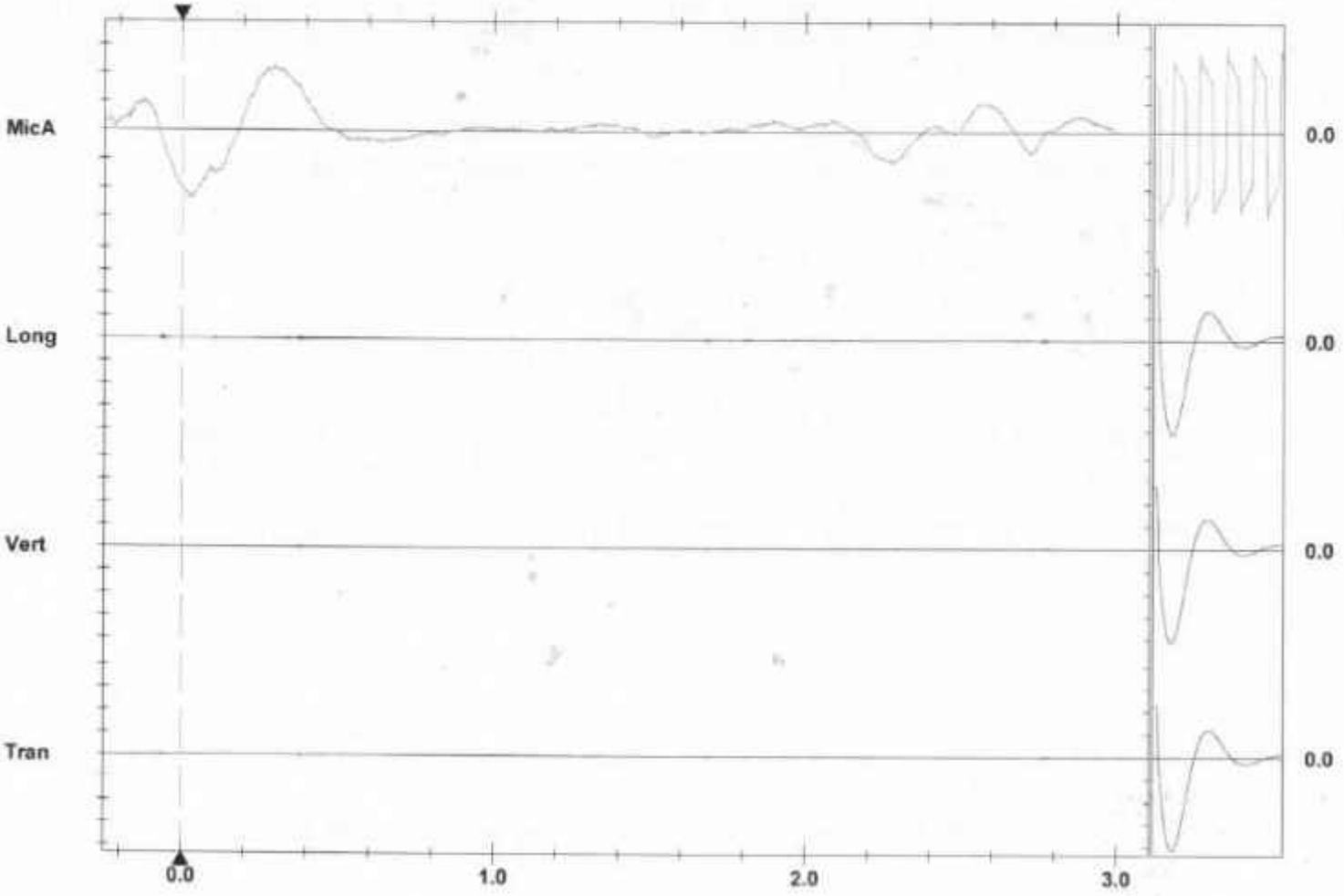

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 1.000 pa.(L)/div
Trigger = ▶ ◀

Sensor Check

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6716

Date/Time	MicA at 13:33:19 April 11, 2024	**Serial Number**	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa (L)	**Battery Level**	3.8 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	3.0 sec at 1024 sps	**File Name**	UM11220_20240411133319.IDFW
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb		

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

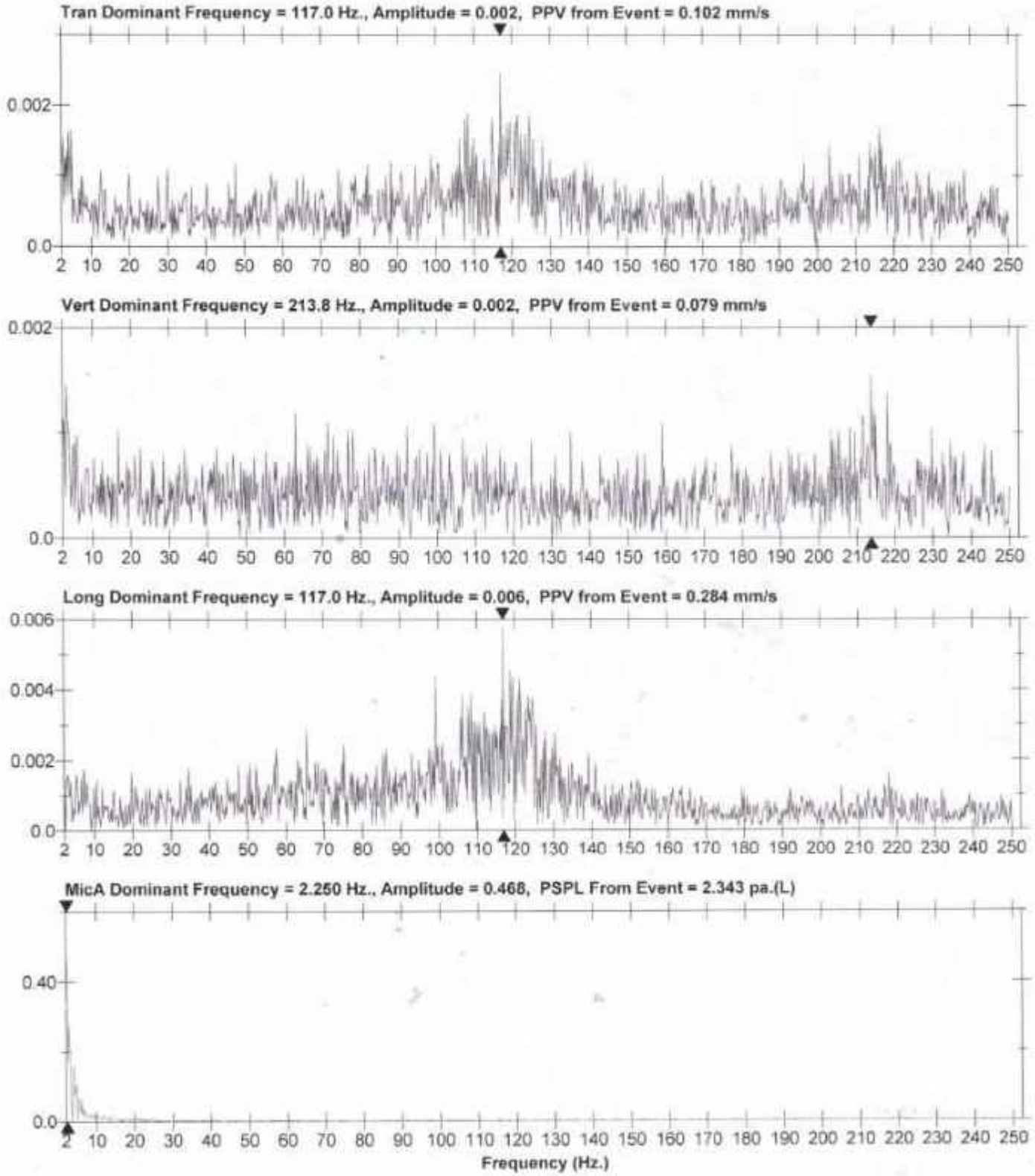

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report
6717

Date/Time	Long2 at 13:42:16 April 11, 2024
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/6
Battery Level	6.0 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T270KHXV.EG0

Notes
Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name: CMPDIL, HQ.RANCHI
General: VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	0.750 pa (L) at 0.029 sec
ZC Freq	>100 Hz
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.508	0.508	0.508	mm/s
ZC Freq	12	15	17	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.063	0.081	0.004	sec
Peak Acceleration	0.027	0.040	0.040	g
Peak Displacement	0.006	0.005	0.009	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.4	7.4	7.6	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.6	3.6	

Peak Vector Sum 0.684 mm/s at 0.081 sec

USBM RI8507 And OSMRE

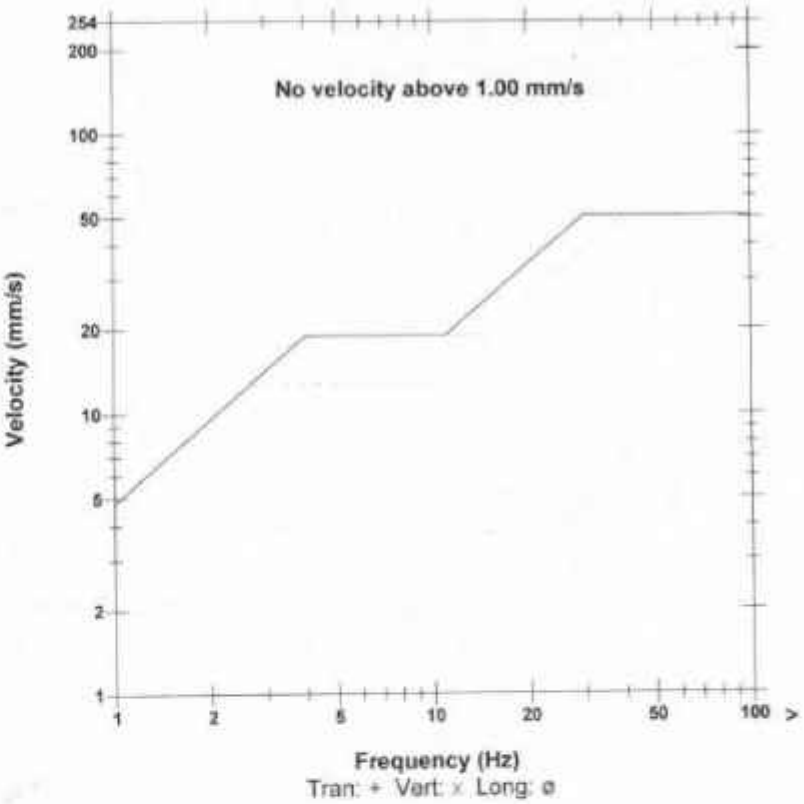

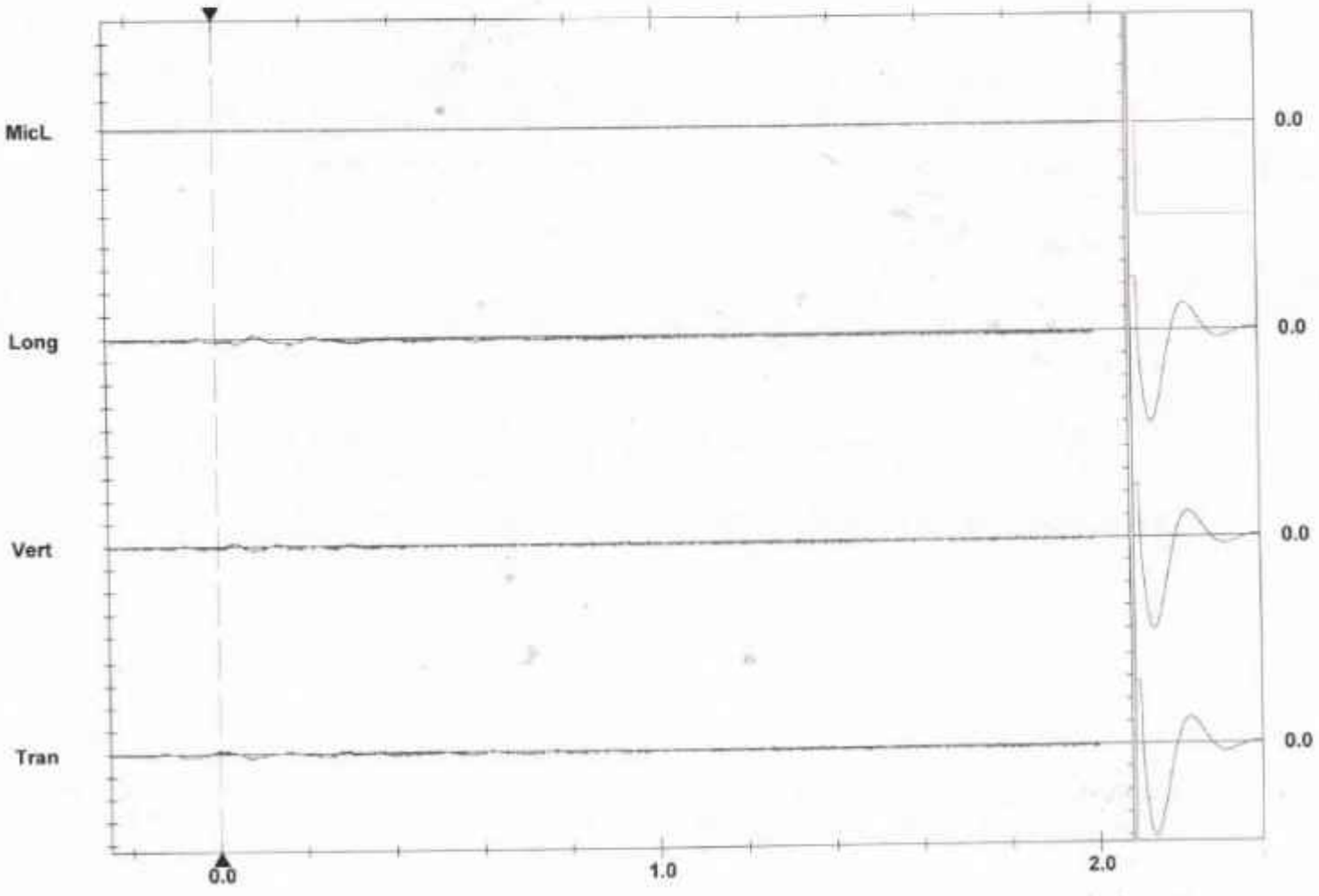

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa (L)/div
Trigger = ▶ ◀

Sensor Check

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6718

Date/Time	Long2 at 13:42:16 April 11, 2024	**Serial Number**	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s	**Battery Level**	6.0 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	2.0 sec at 1024 sps	**File Name**	T270KHXV.EG0

Notes

Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name: CMPDIL, HQ,RANCHI
General: VIBRATION STUDY

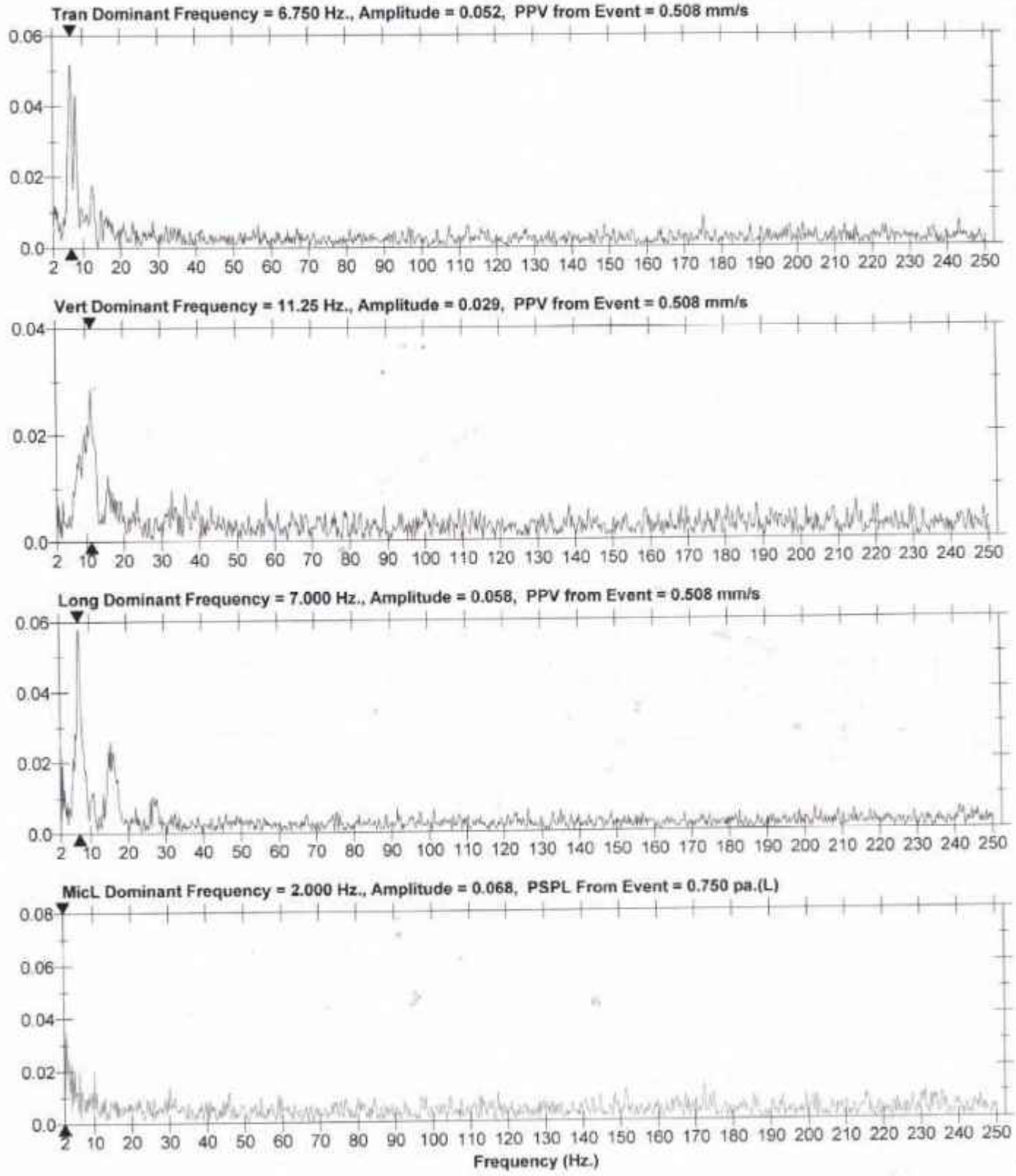

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6719

Date/Time	Long2 at 13:42:16 April 11, 2024
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Battery Level	6.0 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T270KHXV.EG0

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client:	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:	CMPDIL, HQ,RANCHI
General:	VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	1.000 pa.(L) at -0.223 sec
ZC Freq	N/A
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran2	Vert2	Long2	
PPV	0.508	0.381	0.508	mm/s
ZC Freq	12	73	16	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.074	-0.115	0.000	sec
Peak Acceleration	0.040	0.040	0.040	g
Peak Displacement	0.007	0.005	0.008	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.5	7.2	7.8	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.5	3.5	

Peak Vector Sum 0.622 mm/s at 0.083 sec

N/A: Not Applicable

USBM RI8507 And OSMRE

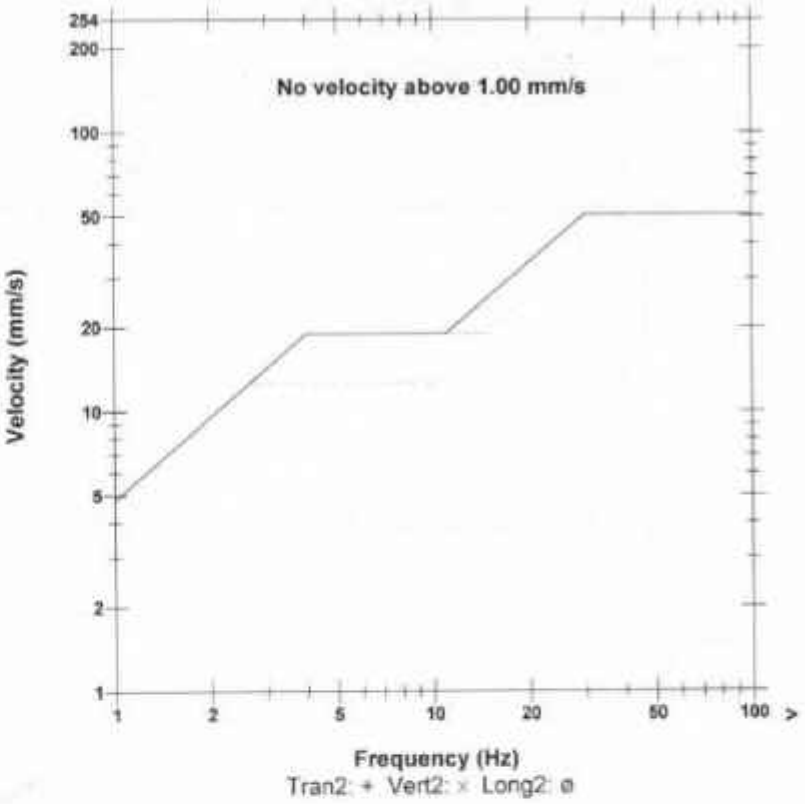

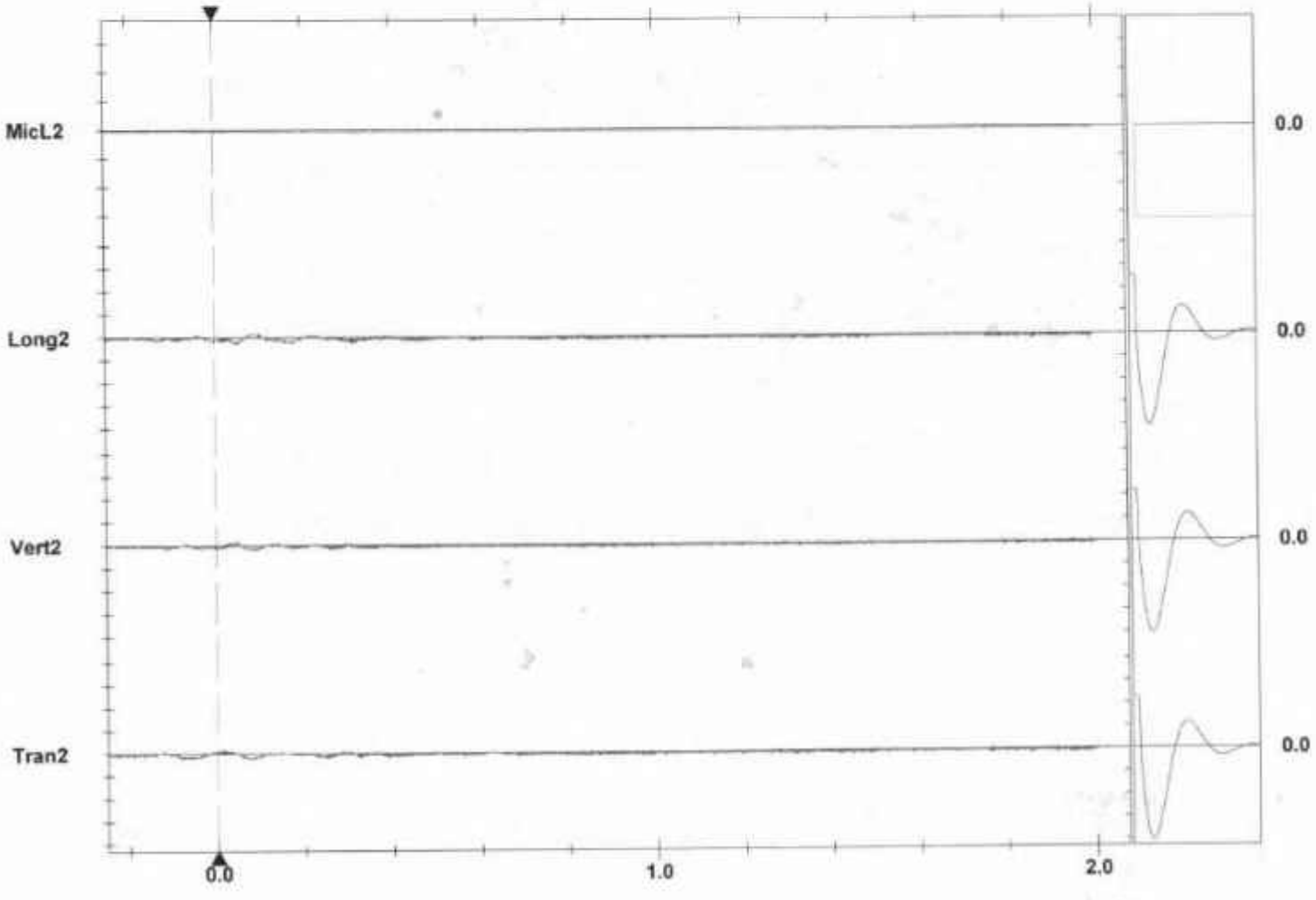

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6720

Date/Time	Long2 at 13:42:16 April 11, 2024	**Serial Number**	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s	**Battery Level**	6.0 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	2.0 sec at 1024 sps	**File Name**	T270KHXV.EG0

Notes

Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name: CMPDIL, HQ,RANCHI
General: VIBRATION STUDY

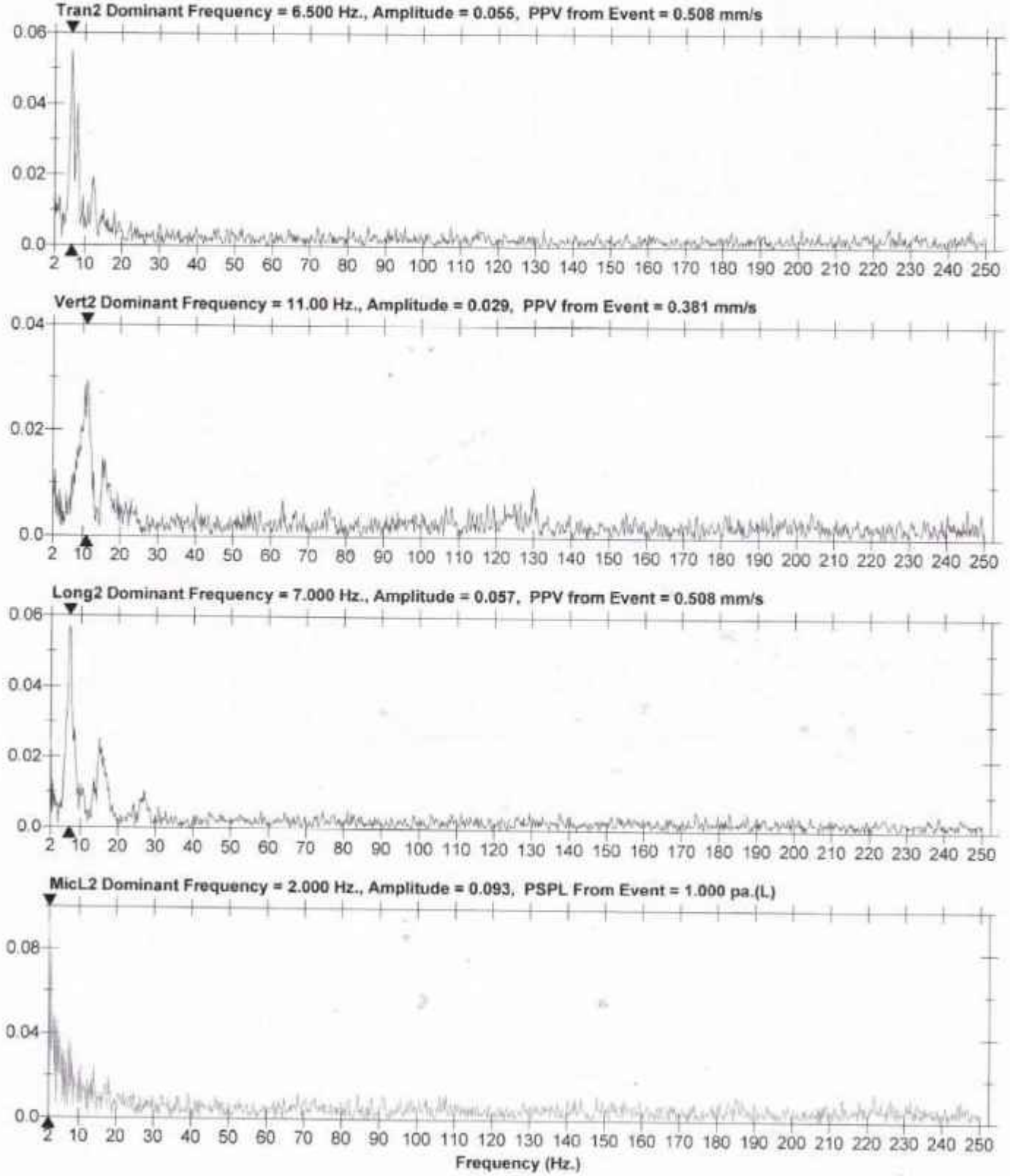

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6721

Date/Time	Long at 13:43:15 April 11, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	3.0 sec at 1024 sps
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb

Serial Number	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Battery Level	3.8 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	UM11220_20240411134315.IDFW

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

Microphone	Linear Weighting
PSPL	9.449 pa.(L) at 1.300 sec
ZC Freq	17 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 1105 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.567	0.670	0.820	mm/s
ZC Freq	8.8	13	19	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.068	0.111	0.000	sec
Peak Acceleration	0.008	0.019	0.012	g
Peak Displacement	0.010	0.009	0.007	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.3	7.7	7.5	Hz
Overswing Ratio	3.3	3.0	3.1	

Peak Vector Sum 0.832 mm/s at 0.000 sec

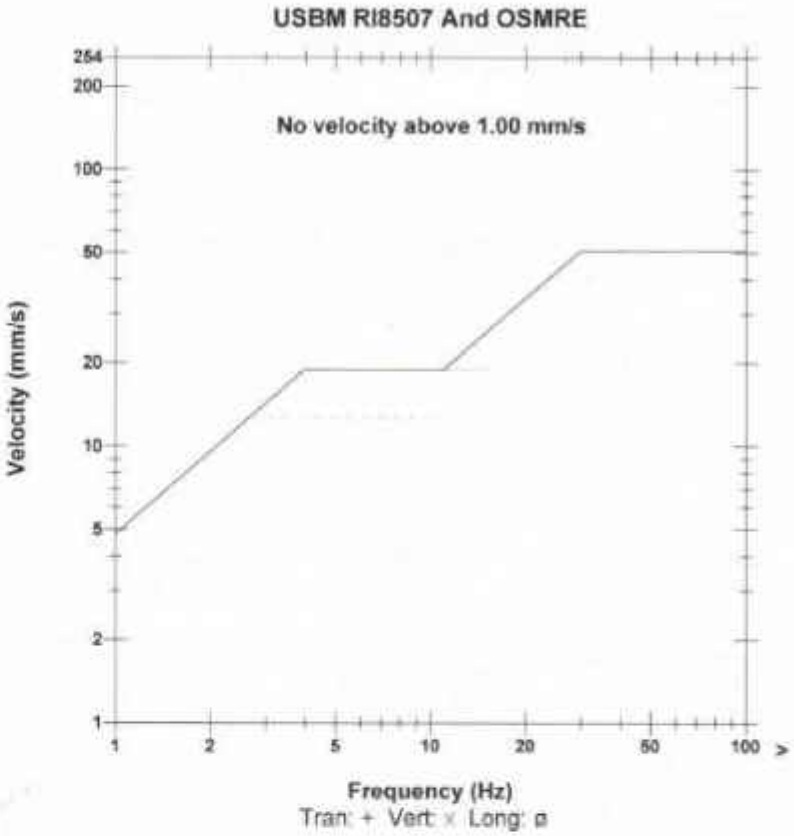

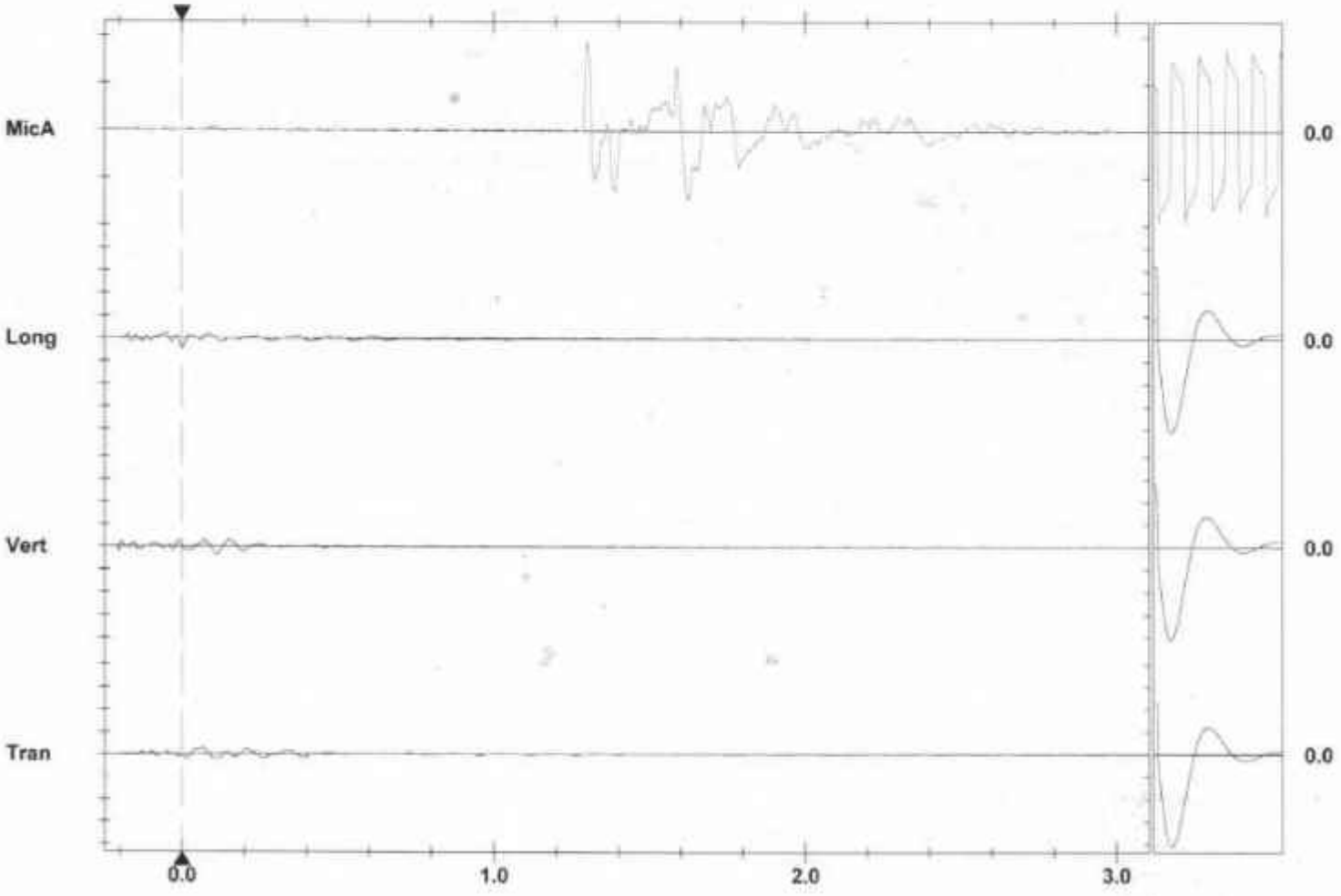

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 5.000 pa.(L)/div Sensor Check
Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report
6722

Date/Time	Long at 13:43:15 April 11, 2024	**Serial Number**	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)	**Battery Level**	3.8 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	3.0 sec at 1024 sps	**File Name**	UM11220_20240411134315.IDFW
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb		

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

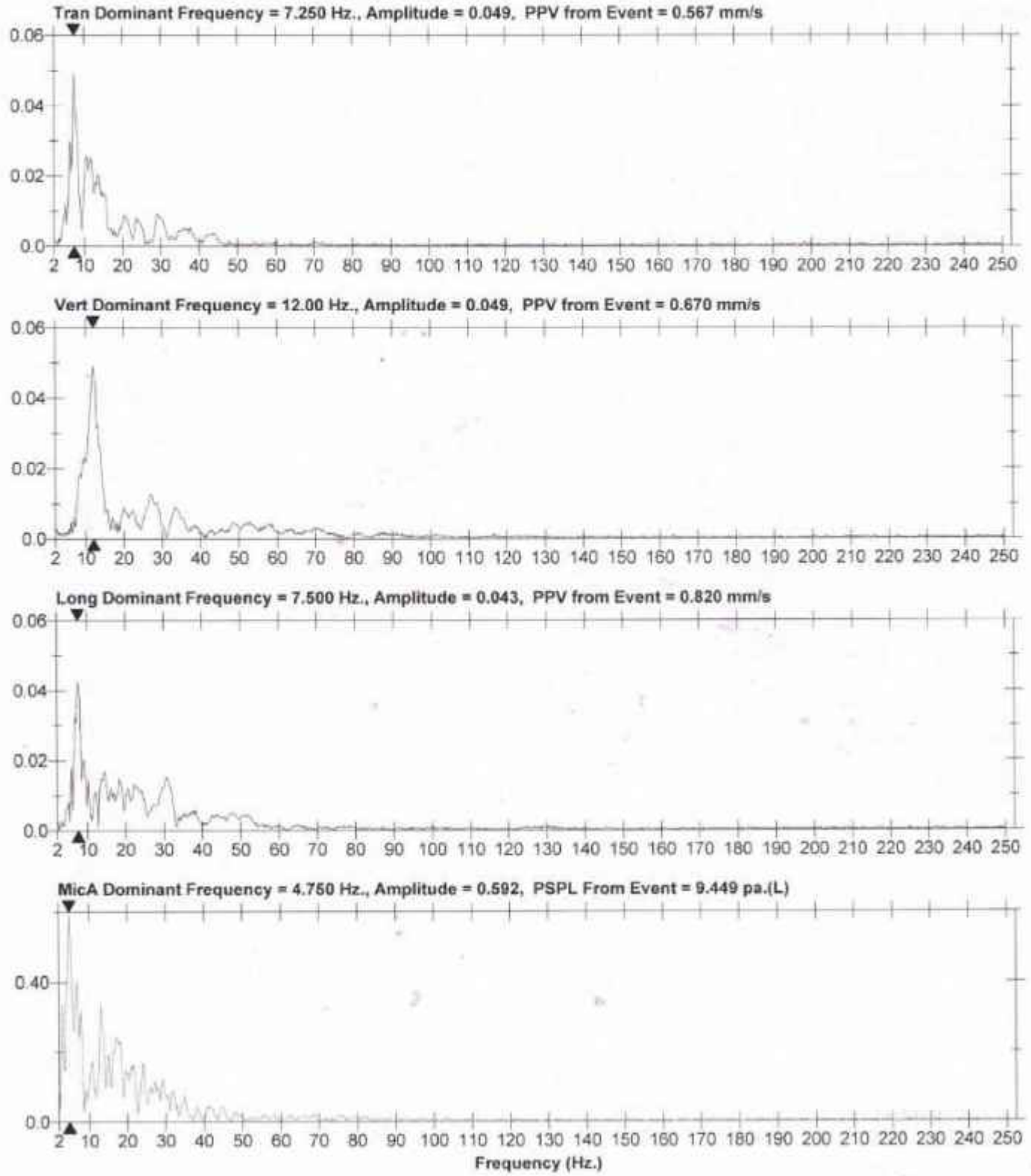

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report
6723

Date/Time	Tran at 13:12:58 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZO.PM0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General:Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes
Job No 3

Microphone	Linear Weighting
PSPL	20.25 pa.(L) at 0.204 sec
ZC Freq	73 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 379 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	2.588	5.572	1.365	mm/s
ZC Freq	64	51	57	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.071	0.110	0.123	sec
Peak Acceleration	0.114	0.192	0.080	g
Peak Displacement	0.026	0.014	0.010	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.4	7.5	7.6	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.5	3.7	

Peak Vector Sum 5.733 mm/s at 0.110 sec

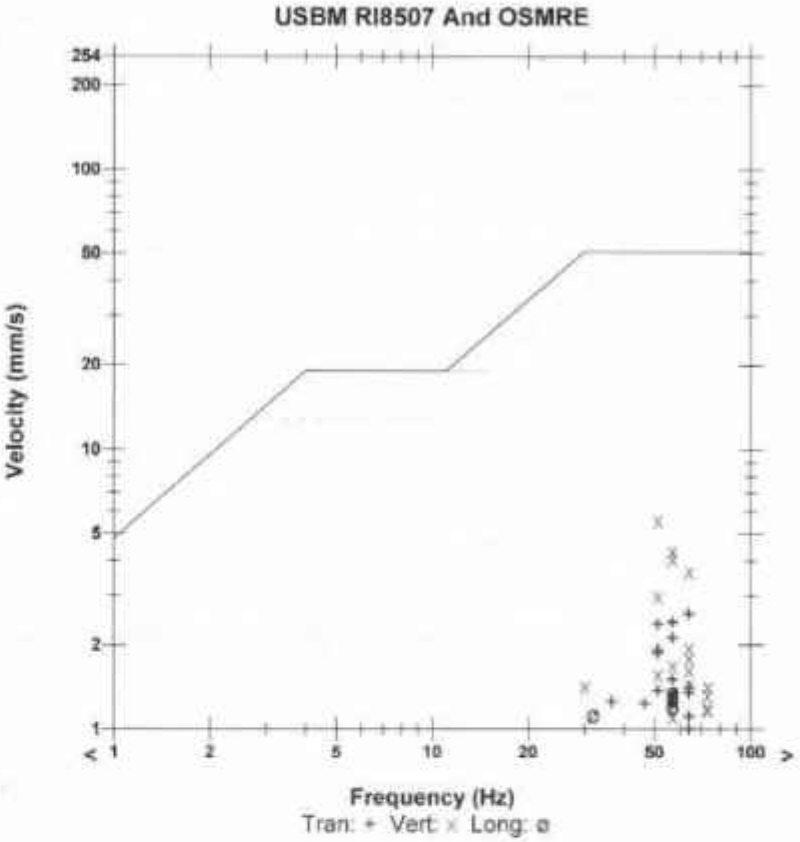

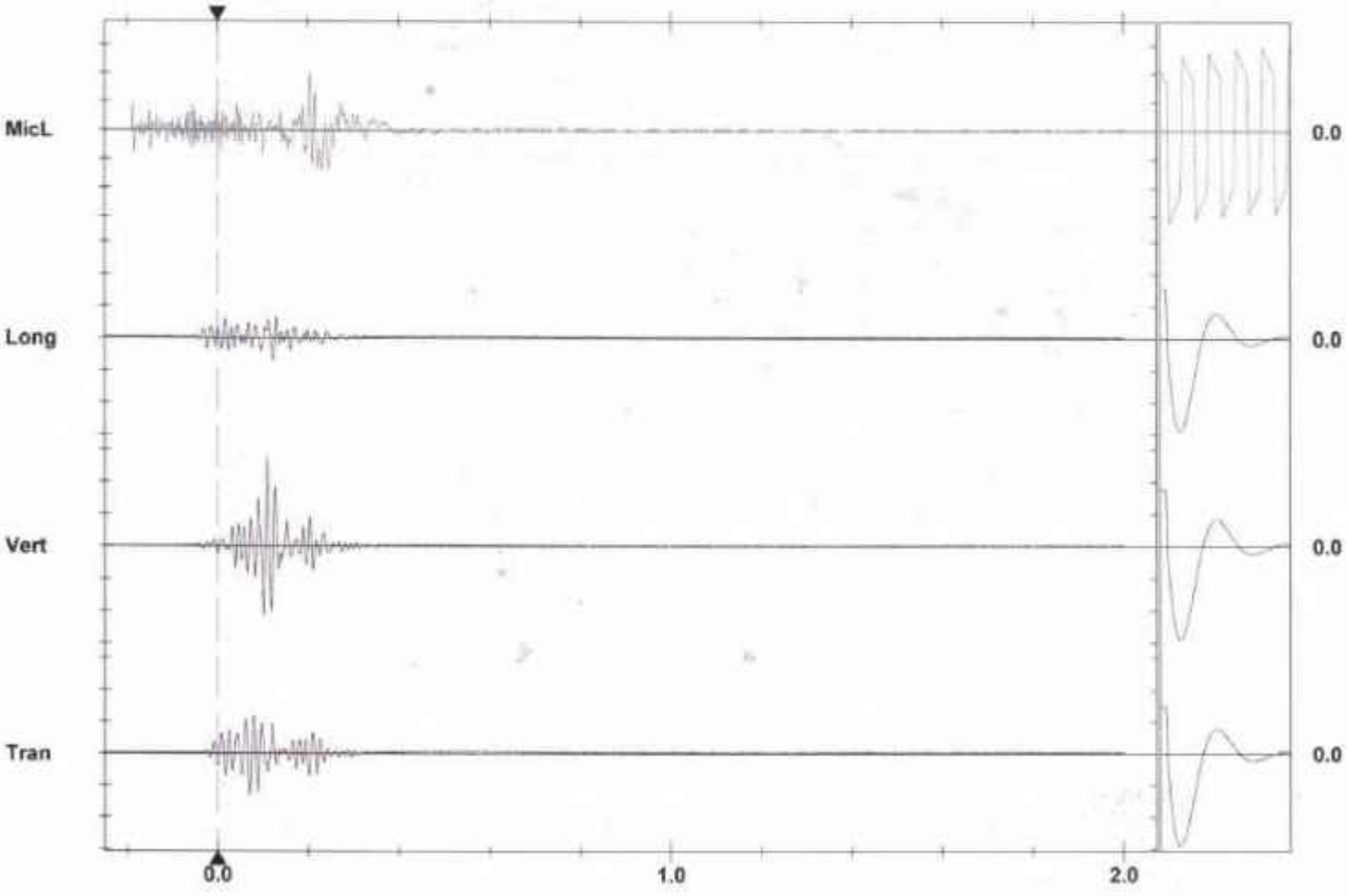

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div Sensor Check
Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6724

Date/Time	Tran at 13:12:58 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZO.PM0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes

Job No 3

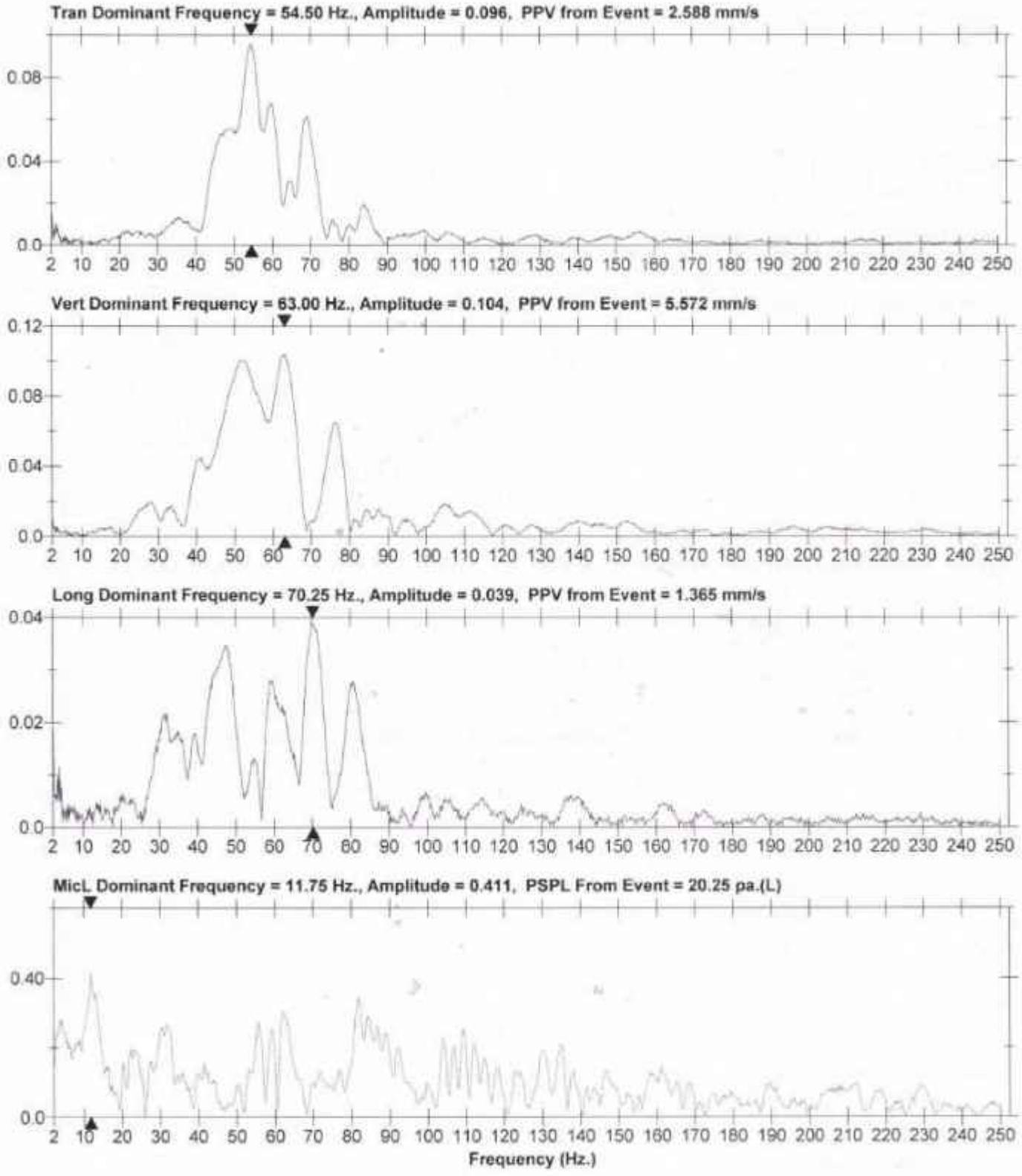

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6725

Date/Time	Long2 at 13:12:55 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Battery Level	6.1 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T270KHZO.PJ0

Notes
Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name: CMPDIL, HQ,RANCHI
General: VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	9.750 pa.(L) at 1.636 sec
ZC Freq	12 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 418 mv)

	Tran2	Vert2	Long2	
PPV	0.508	0.508	0.762	mm/s
ZC Freq	23	14	14	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.238	0.066	0.003	sec
Peak Acceleration	0.040	0.040	0.040	g
Peak Displacement	0.003	0.006	0.007	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.5	7.4	7.8	Hz
Overswing Ratio	3.8	3.6	3.6	

Peak Vector Sum 0.803 mm/s at 0.003 sec

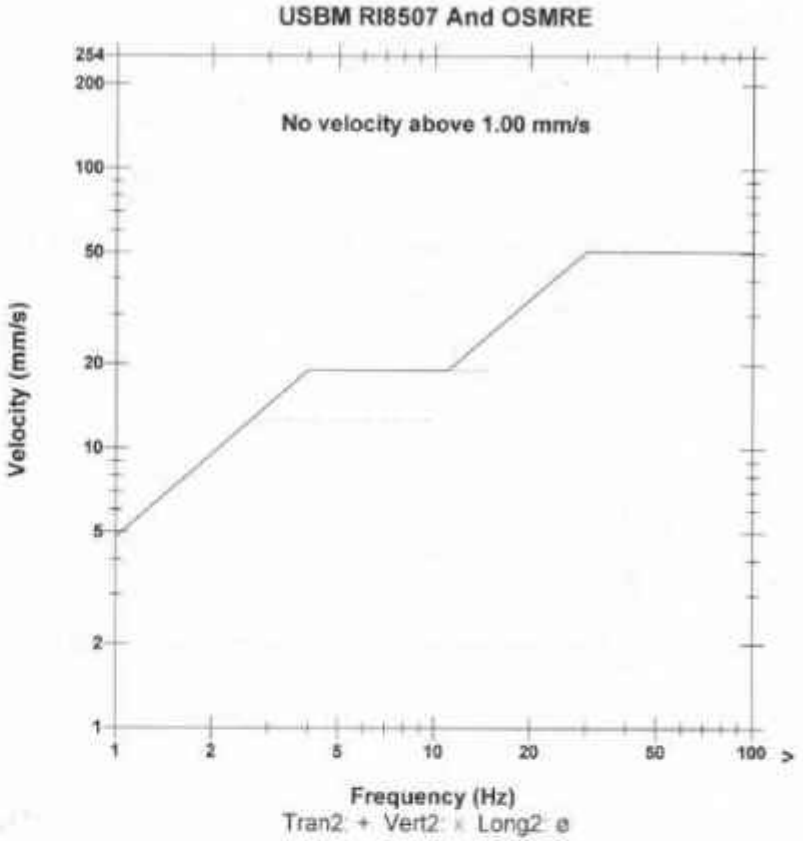

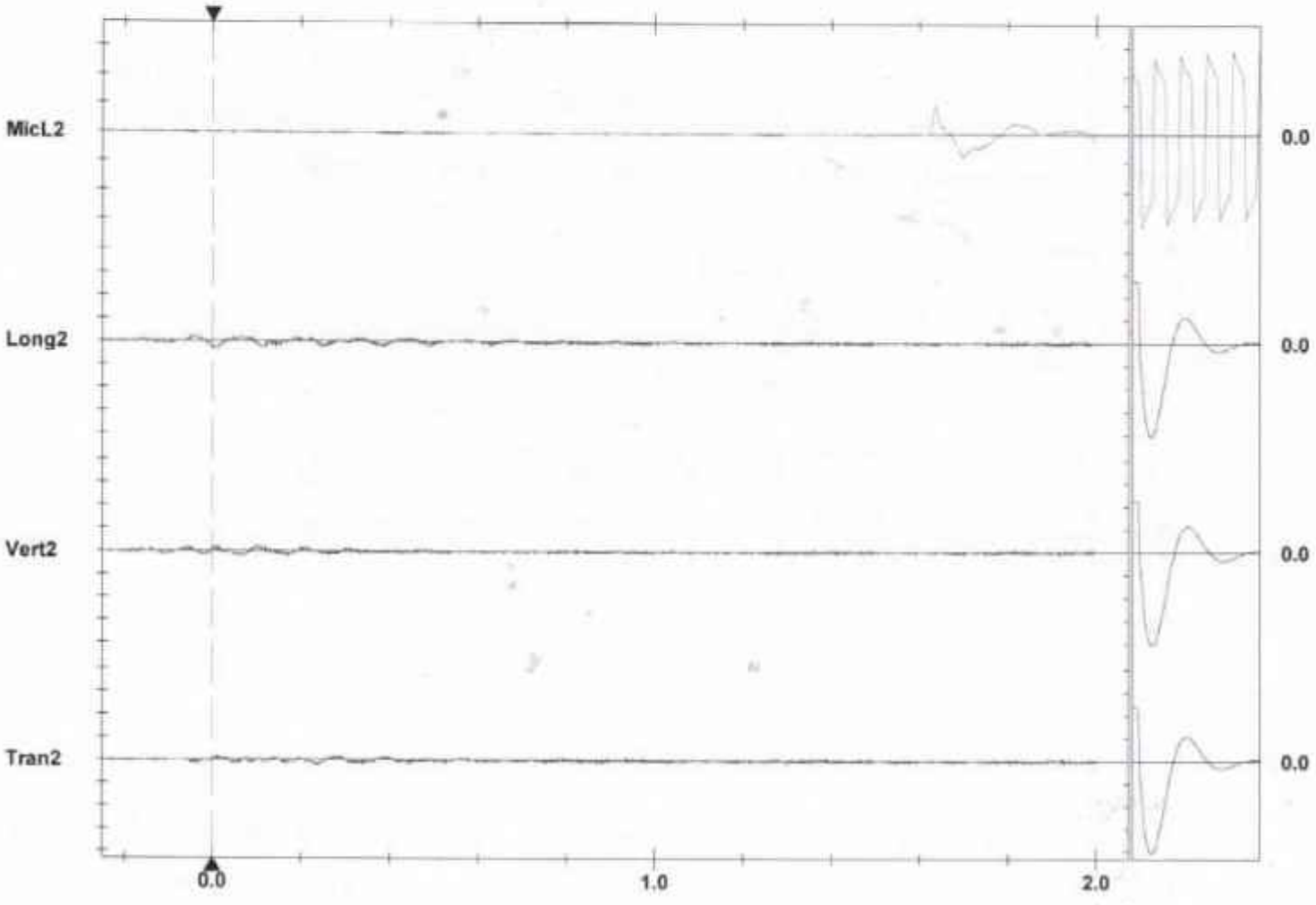

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6726

Date/Time	Long2 at 13:12:55 April 12, 2024	**Serial Number**	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s	**Battery Level**	6.1 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	2.0 sec at 1024 sps	**File Name**	T270KHZO.PJ0

Notes

Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name: CMPDIL, HQ,RANCHI
General: VIBRATION STUDY

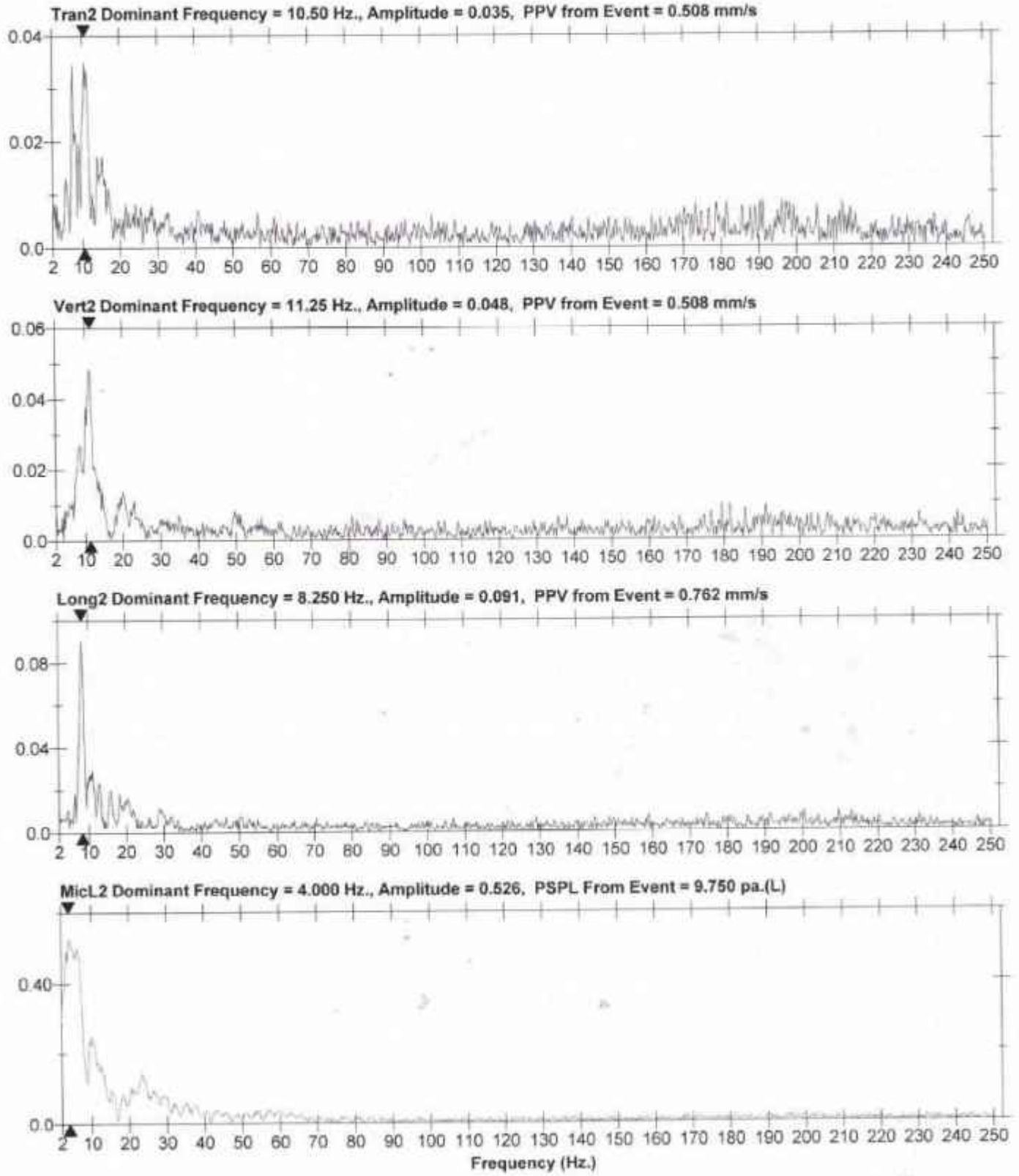

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6727

Date/Time	Long2 at 13:12:55 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Battery Level	6.1 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T270KHZO.PJ0

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client:	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:	CMPDIL, HQ,RANCHI
General:	VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	0.750 pa.(L) at 0.042 sec
ZC Freq	>100 Hz
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.381	0.508	0.635	mm/s
ZC Freq	37	20	13	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.010	0.069	0.007	sec
Peak Acceleration	0.040	0.040	0.040	g
Peak Displacement	0.003	0.005	0.008	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.3	7.5	7.6	Hz
Overswing Ratio	3.8	3.7	3.7	

Peak Vector Sum 0.730 mm/s at 0.007 sec

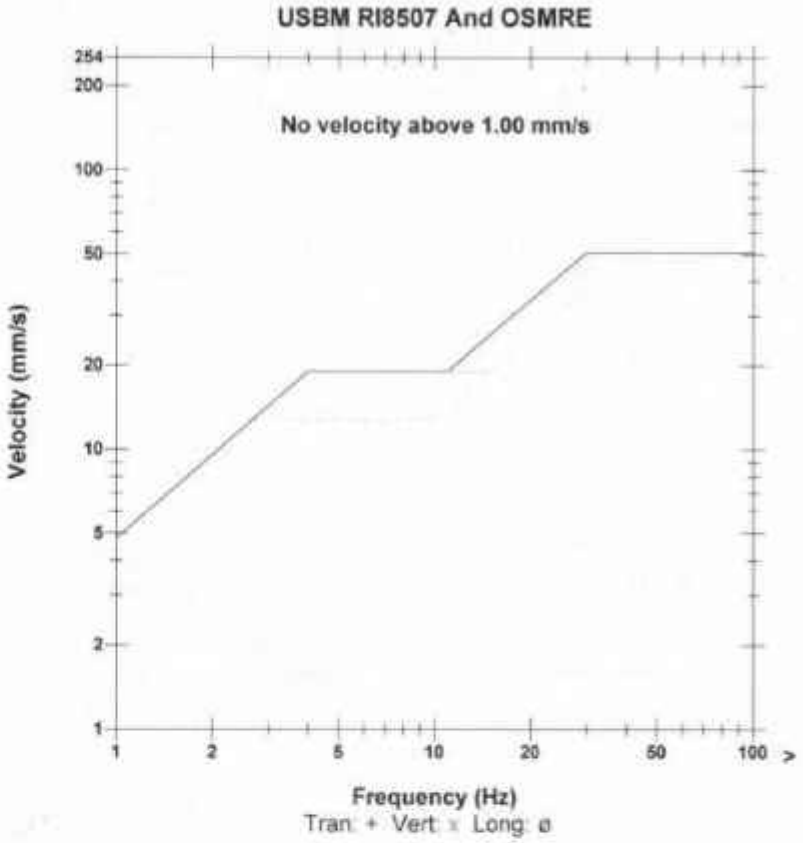

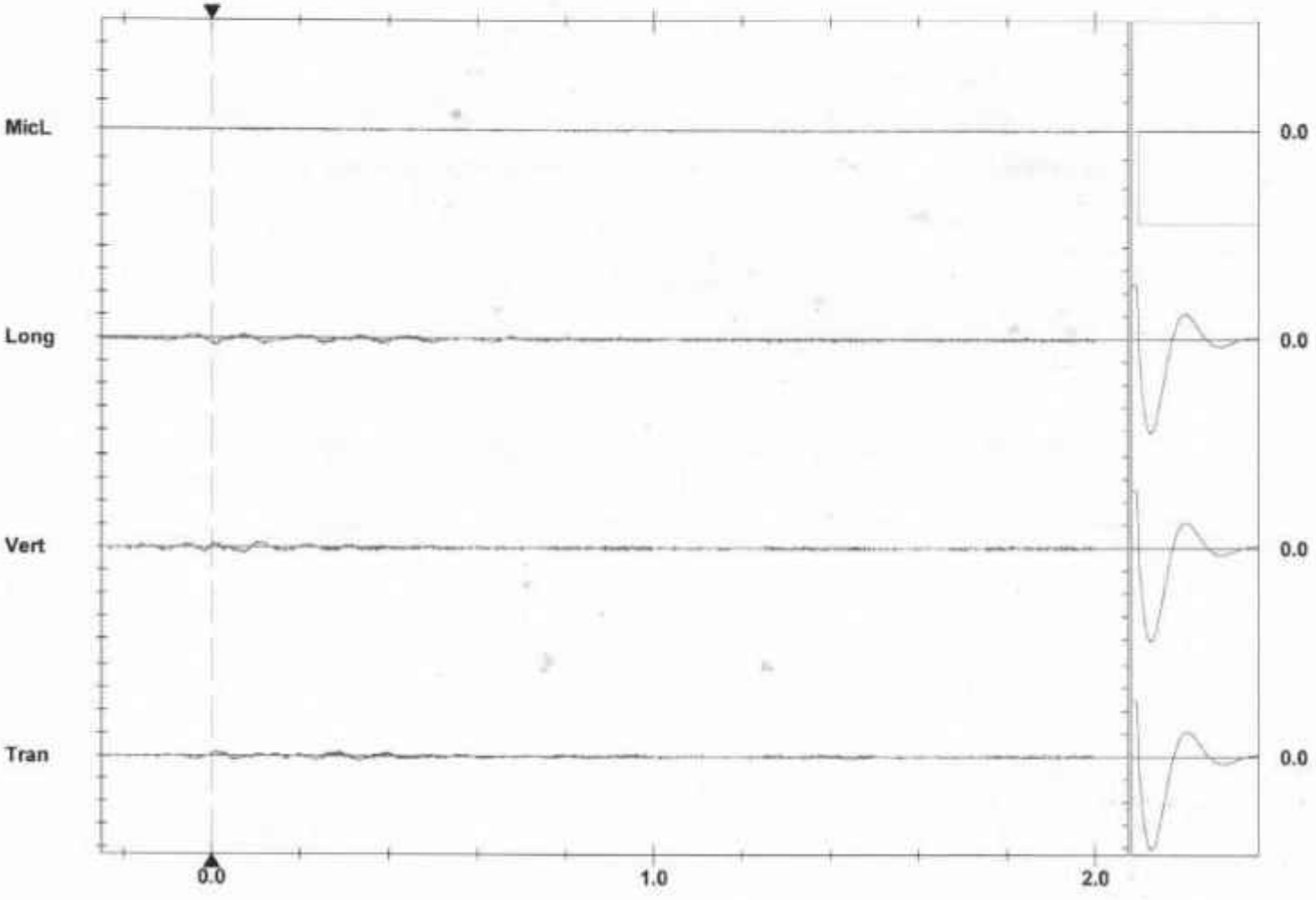

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa (L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6728

Date/Time	Long2 at 13:12:55 April 12, 2024	**Serial Number**	BE18270 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 0.510 mm/s	**Battery Level**	6.1 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	2.0 sec at 1024 sps	**File Name**	T270KHZO.PJ0

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client:	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:	CMPDIL, HQ,RANCHI
General:	VIBRATION STUDY

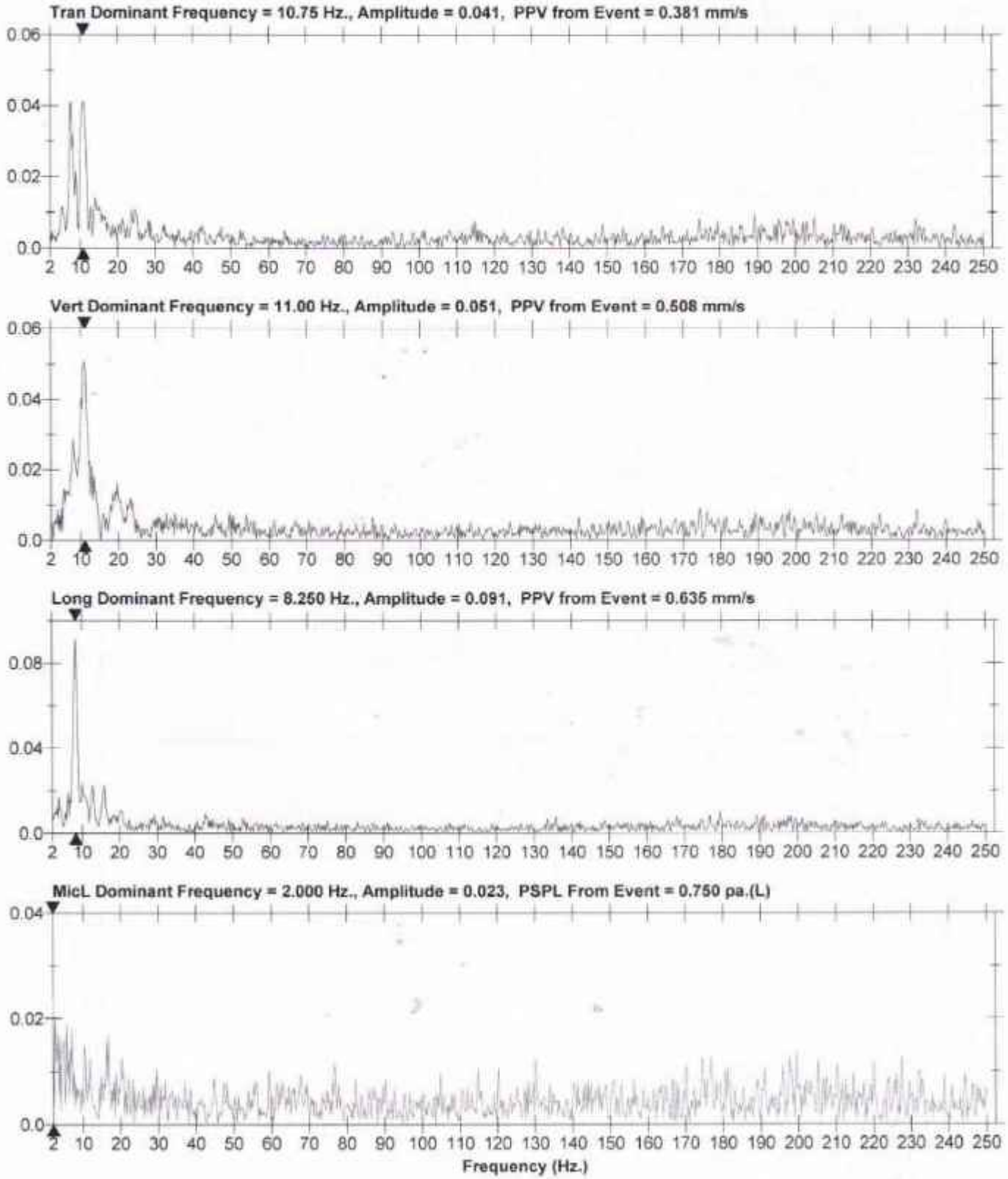

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6729

Date/Time	MicA at 13:14:00 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa (L)
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	3.0 sec at 1024 sps
Operator/Setup:	Operator/factory mmb

Serial Number	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Battery Level	3.8 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	UM11220_20240412131400.IDFW

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

Microphone Linear Weighting
PSPL 4.887 pa (L) at 0.061 sec
ZC Freq 12 Hz
Channel Test Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.039	0.039	0.410	mm/s
ZC Freq	85	>100	N/A	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.117	1.145	-0.144	sec
Peak Acceleration	0.006	0.004	0.005	g
Peak Displacement	0.000	0.000	0.000	mm
Sensor Check	Check	Check	Check	
Frequency	1024.0	1024.0	1024.0	Hz
Overswing Ratio	0.0	0.0	0.0	

Peak Vector Sum 0.410 mm/s at 0.404 sec
N/A: Not Applicable

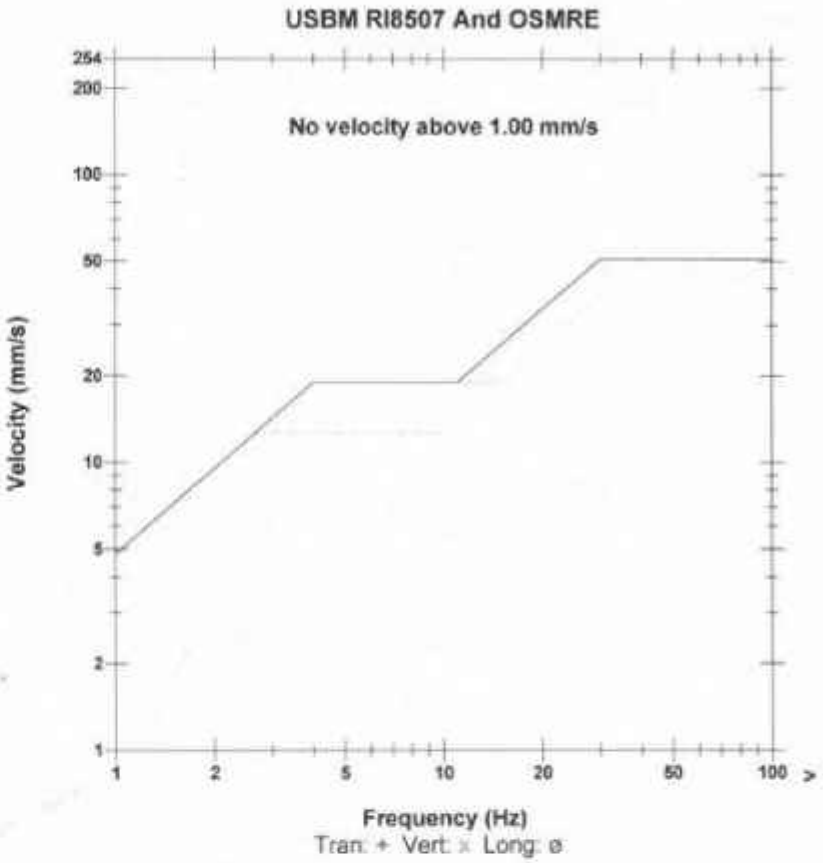

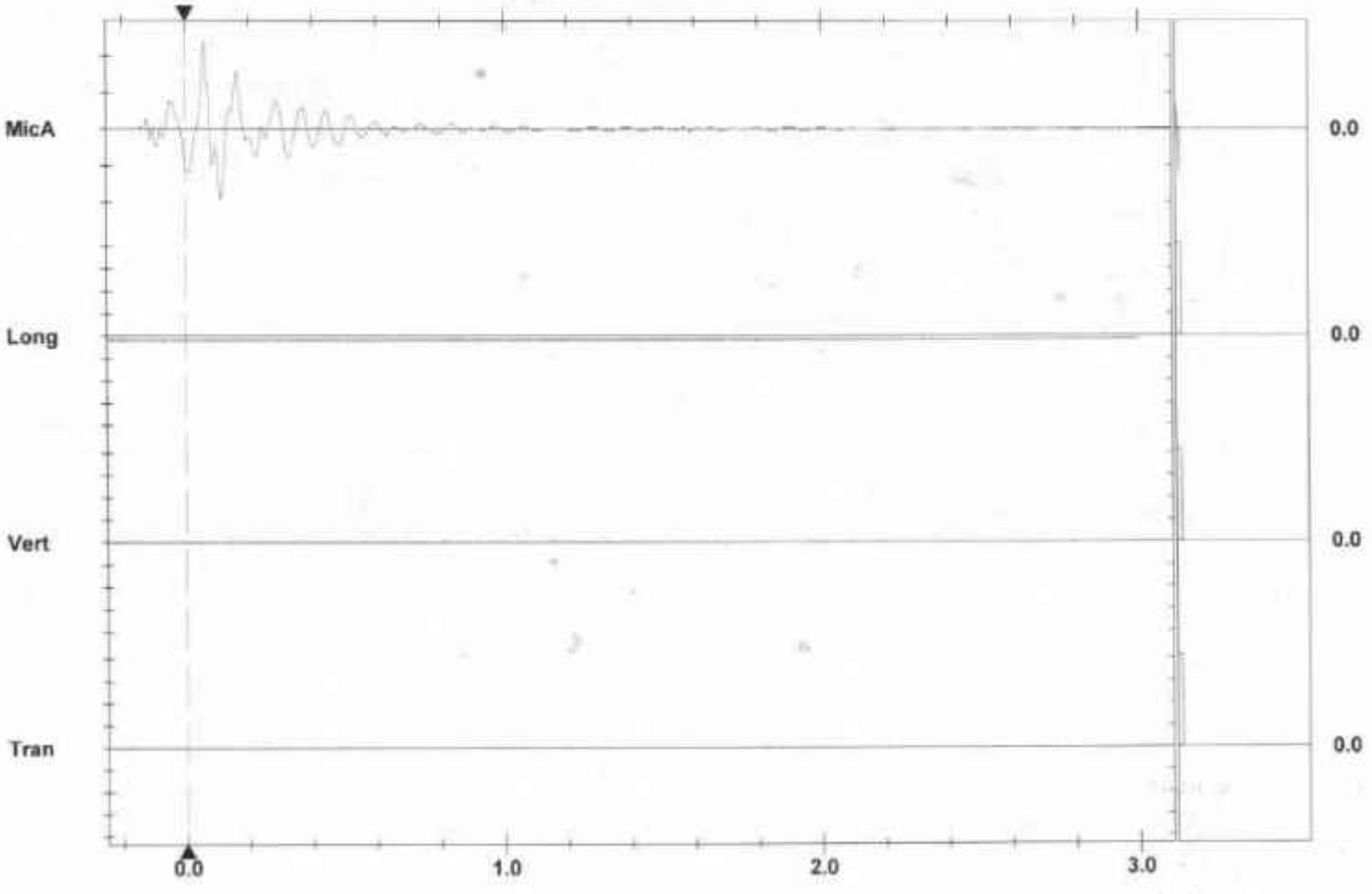

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 2.000 pa (L)/div
Trigger = ▶ ◀

Sensor Check

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6730

Date/Time	MicA at 13:14:00 April 12, 2024	**Serial Number**	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)	**Battery Level**	3.8 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	3.0 sec at 1024 sps	**File Name**	UM11220_20240412131400.IDFW
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb		

Notes

Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

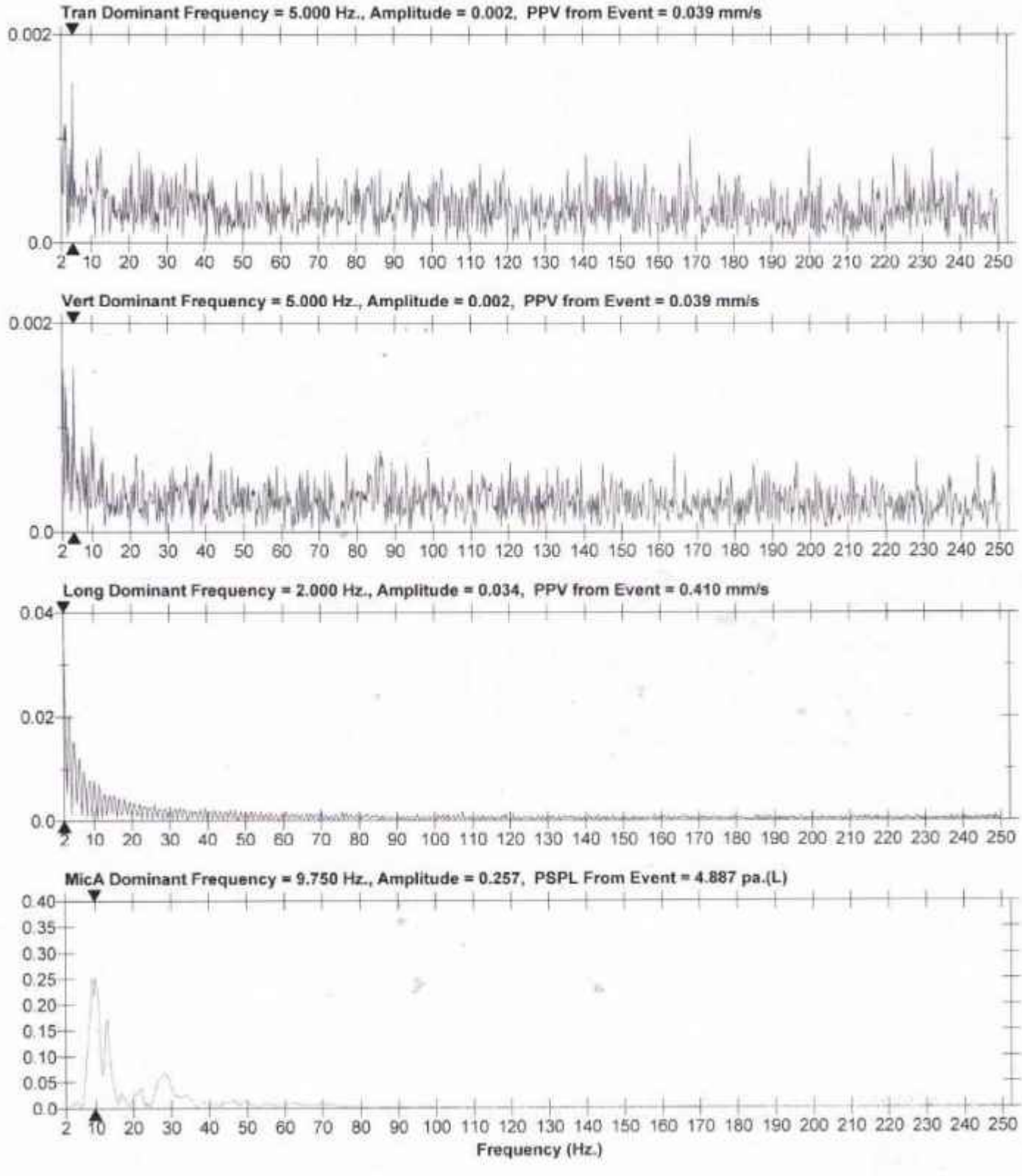

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report
6731

Date/Time	Vert at 13:47:04 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZQ.AG0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General:Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes
Job No 3

Microphone	Linear Weighting
PSPL	9.750 pa (L) at 0.111 sec
ZC Freq	30 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 419 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	1.460	1.889	1.381	mm/s
ZC Freq	73	73	73	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.098	0.056	0.081	sec
Peak Acceleration	0.065	0.085	0.066	g
Peak Displacement	0.020	0.004	0.008	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.5	7.5	7.6	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.4	3.7	

Peak Vector Sum 2.394 mm/s at 0.098 sec

USBM RI8507 And OSMRE

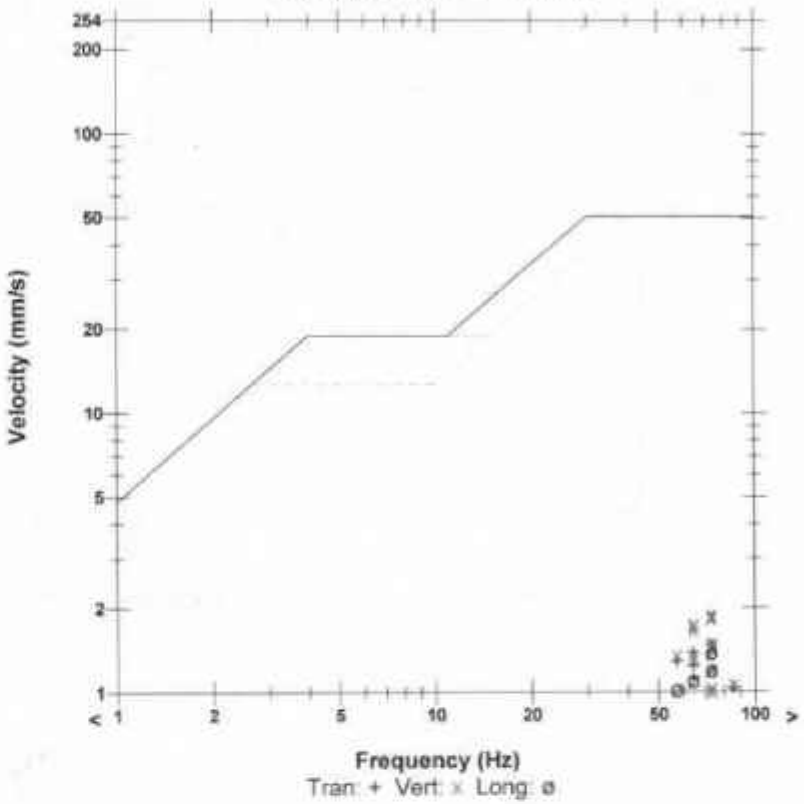

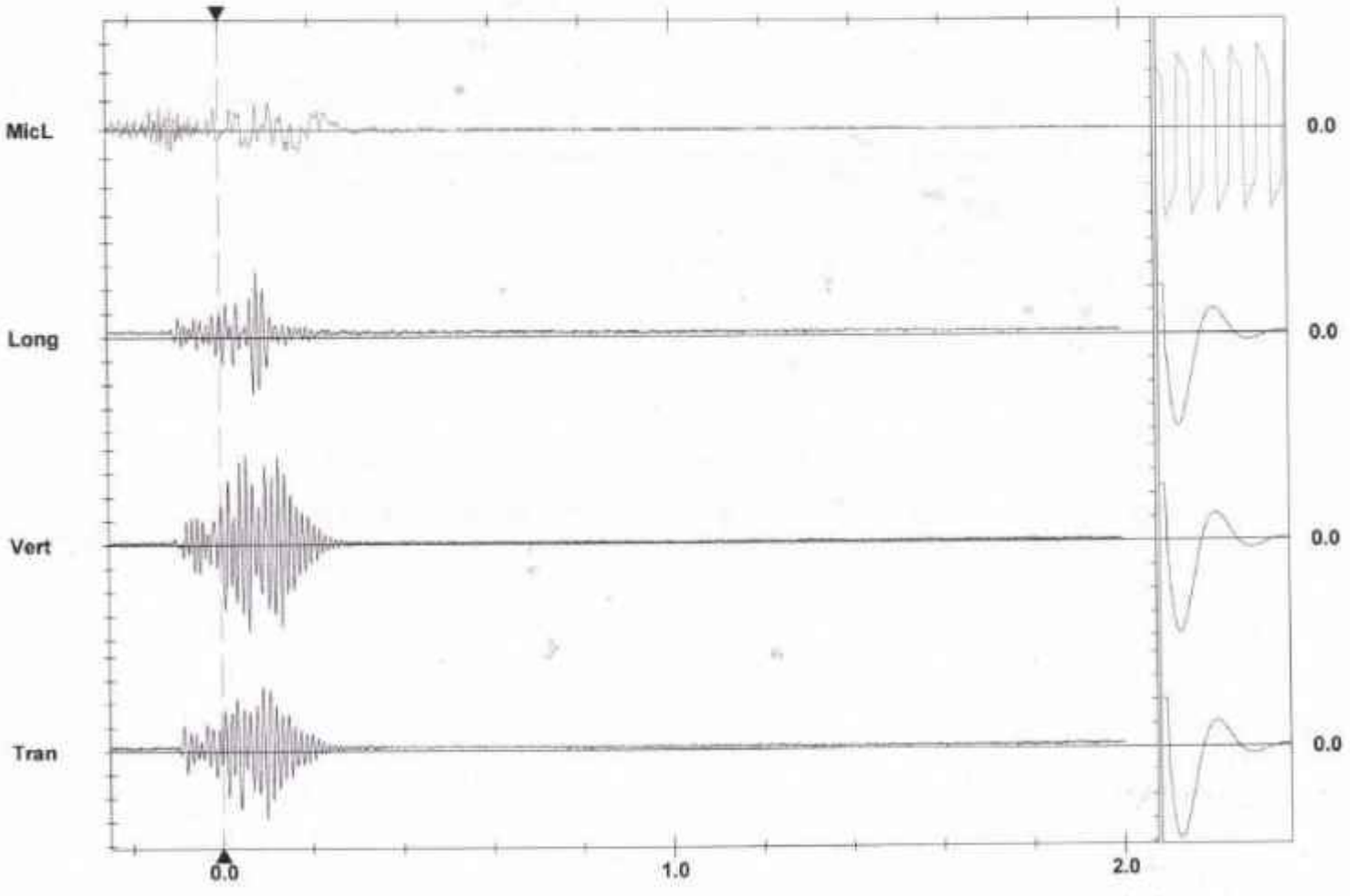

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 0.500 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6732

Date/Time	Vert at 13:47:04 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZQ.AG0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General:Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes

Job No 3

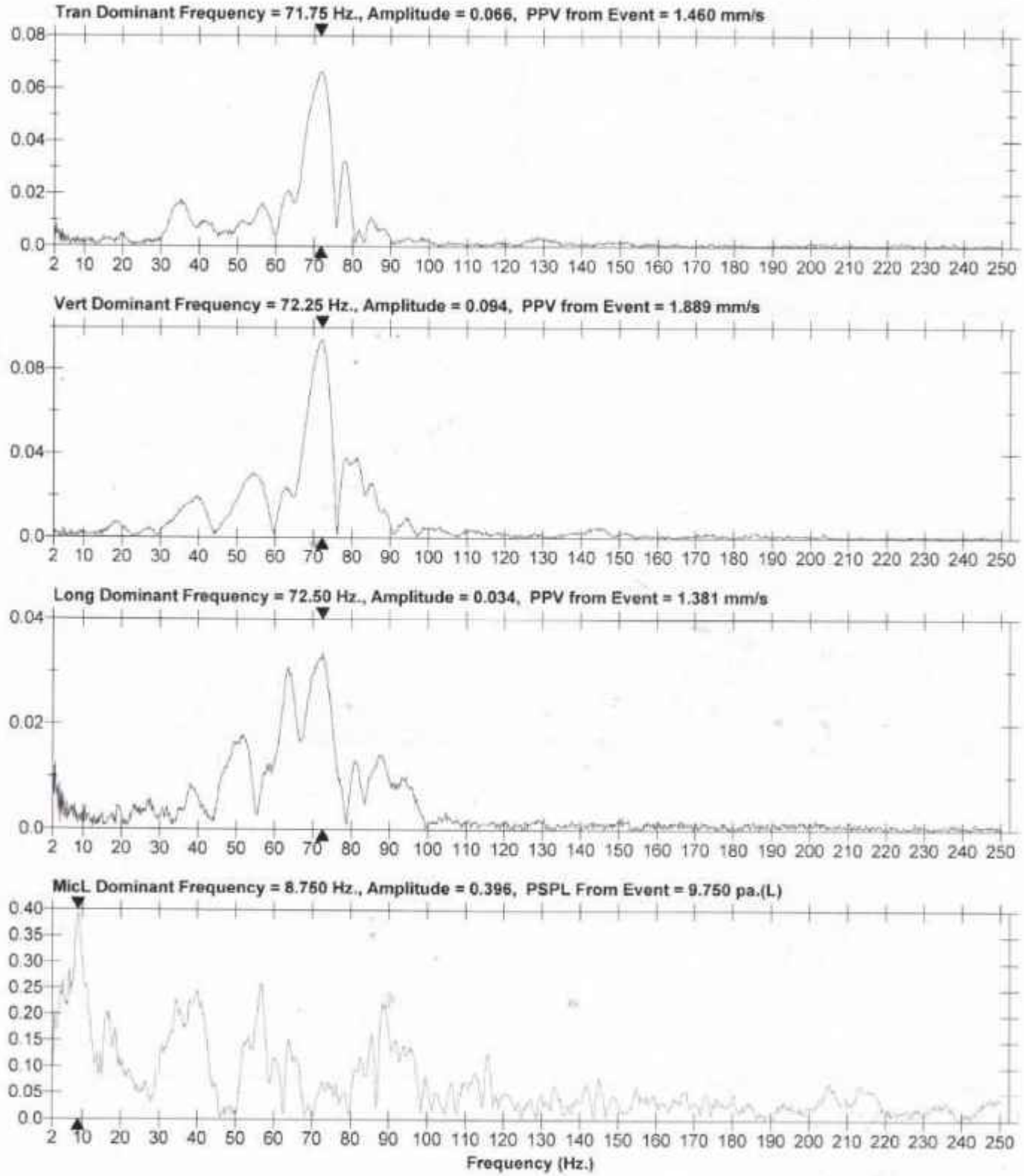

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6733

Date/Time	Long at 14:09:33 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZR.BX0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes
Job No 3

Microphone	Linear Weighting
PSPL	12.75 pa.(L) at 0.084 sec
ZC Freq	47 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 20.1 Hz Amp = 377 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	1.667	2.445	1.238	mm/s
ZC Freq	64	64	64	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.025	0.056	0.017	sec
Peak Acceleration	0.070	0.106	0.053	g
Peak Displacement	0.011	0.006	0.008	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.5	7.5	7.5	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.4	3.6	

Peak Vector Sum 2.623 mm/s at 0.056 sec

USBM RI8507 And OSMRE

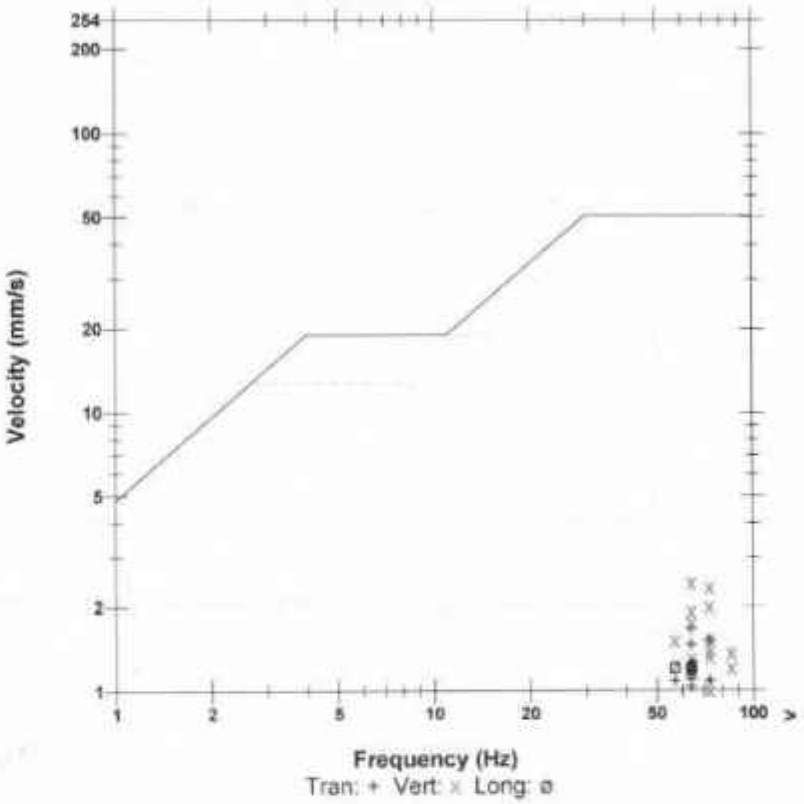

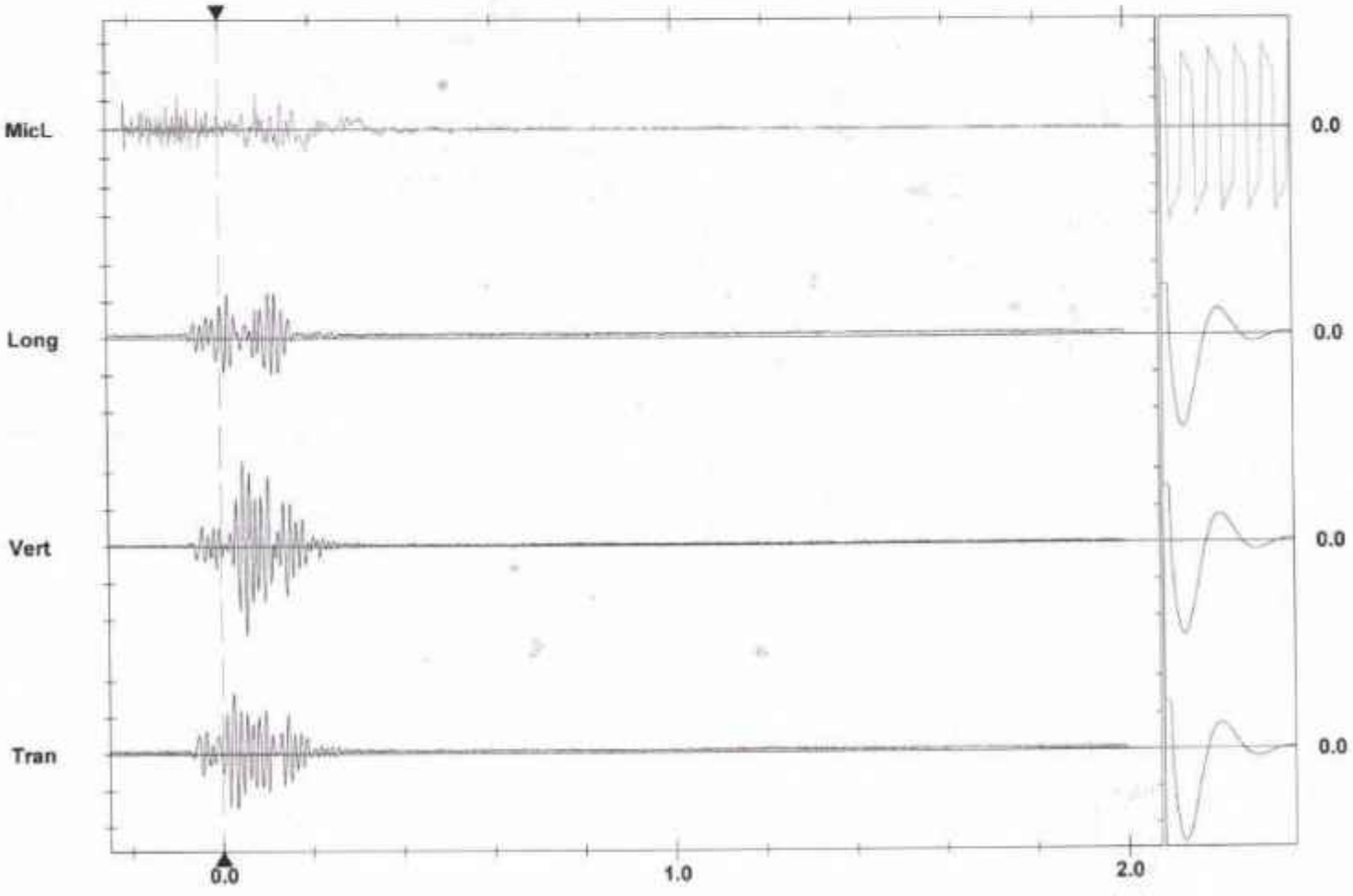

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 1.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6734

Date/Time	Long at 14:09:33 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s
Range	Geo: 31.75 mm/s
Record Time	2.0 sec at 1024 sps

Serial Number	BA14611 V 10.72-8.17 BlastMate III/8
Battery Level	6.2 Volts
Unit Calibration	March 23, 2022 by UES New Delhi
File Name	P611KHZR.BX0
Scaled Distance	0.3 (0.1 m, 0.1 kg)

Notes

Lcation:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client	D.M. OFFICE, MIRZAPUR
User Name:CMPDI	BLASTING DIVISION
General:Monitoring 0	VIBRATION STUDY

Extended Notes

Job No 3

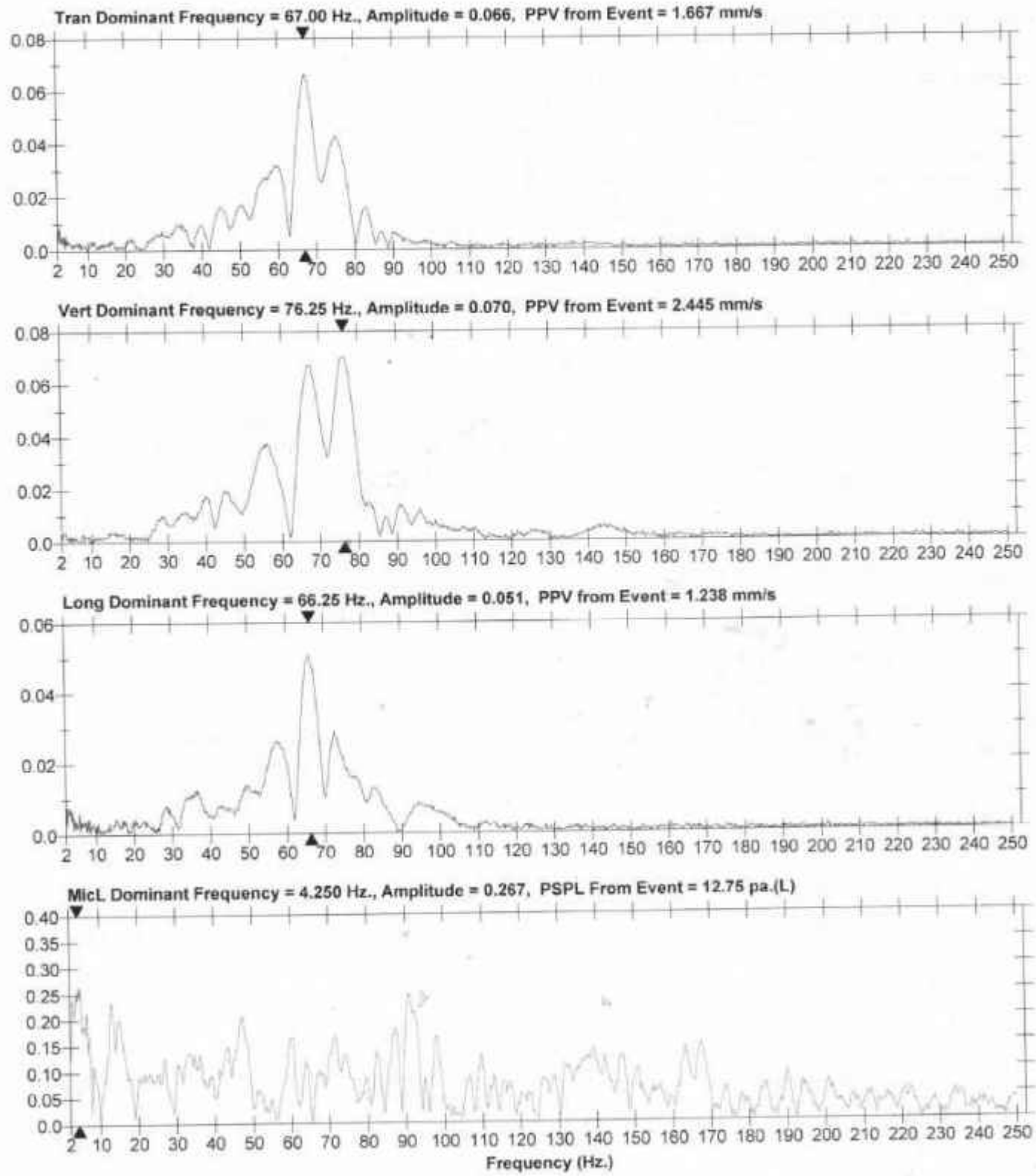

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6735

Date/Time	Vert at 14:09:17 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 1.000 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	5.0 sec at 2048 sps

Serial Number	BE18012 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Battery Level	6.1 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T012KHZR.BH0

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client:	D.M.OFFICE, MIRZAPUR
User Name:	BLASTING DIVISION CMPDI HQ
General:	VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	11.75 pa.(L) at -0.016 sec
ZC Freq	43 Hz
Channel Test	Passed (Freq = 19.7 Hz Amp = 367 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.635	1.016	0.762	mm/s
ZC Freq	68	64	73	Hz
Time (Rel. to Trig)	0.000	0.000	-0.048	sec
Peak Acceleration	0.080	0.053	0.053	g
Peak Displacement	0.001	0.002	0.001	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.2	7.4	7.3	Hz
Overswing Ratio	3.7	3.5	4.0	

Peak Vector Sum 1.092 mm/s at 0.000 sec

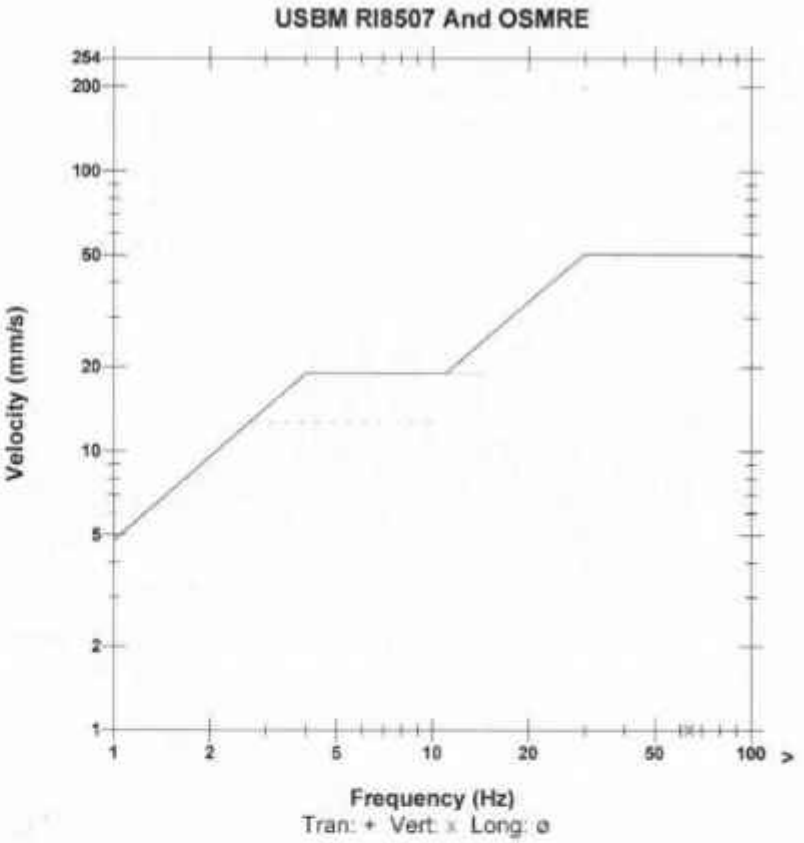

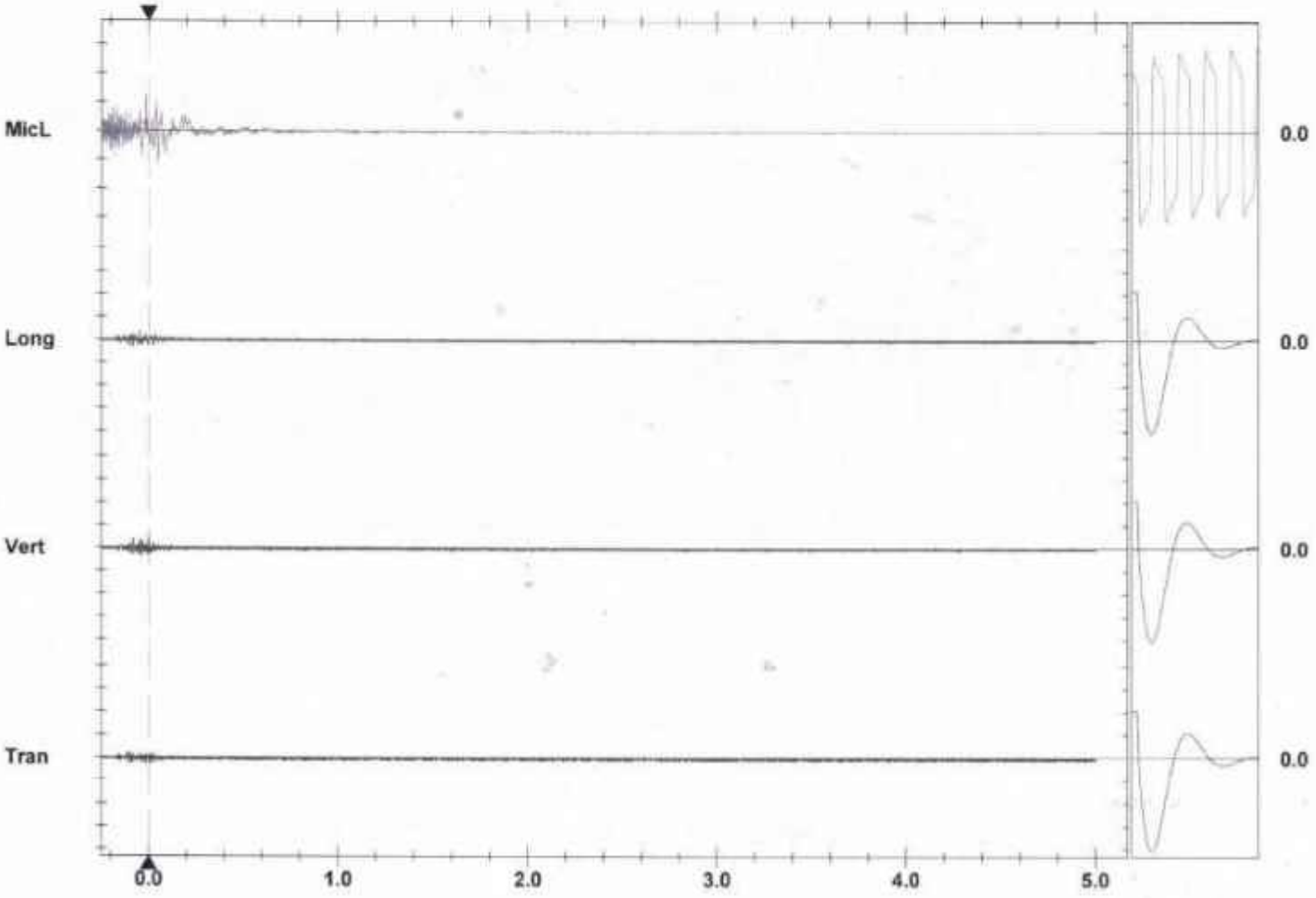

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6736

Date/Time	Vert at 14:09:17 April 12, 2024	**Serial Number**	BE18012 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 1.000 mm/s	**Battery Level**	6.1 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	5.0 sec at 2048 sps	**File Name**	T012KHZR.BH0

Notes

Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M.OFFICE, MIRZAPUR
User Name: BLASTING DIVISION CMPDI HQ
General: VIBRATION STUDY

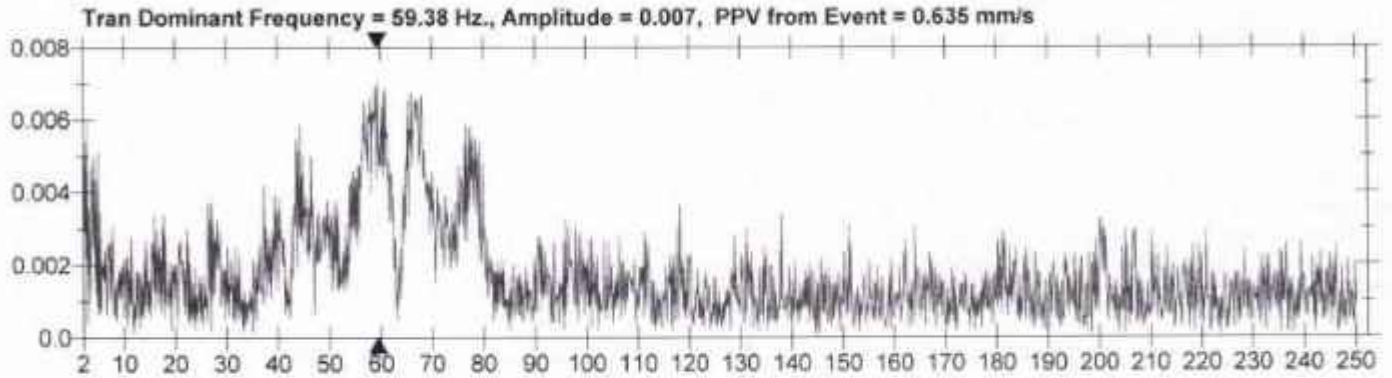

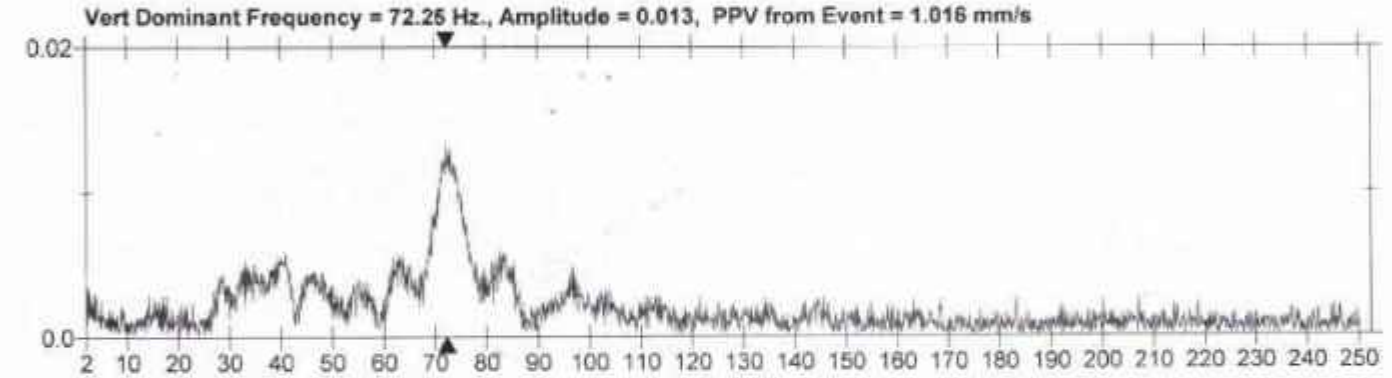

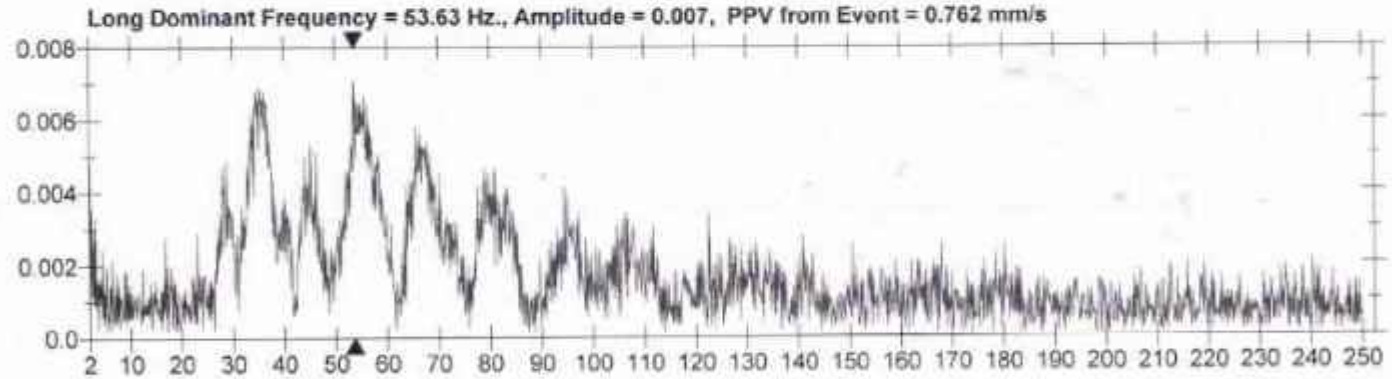

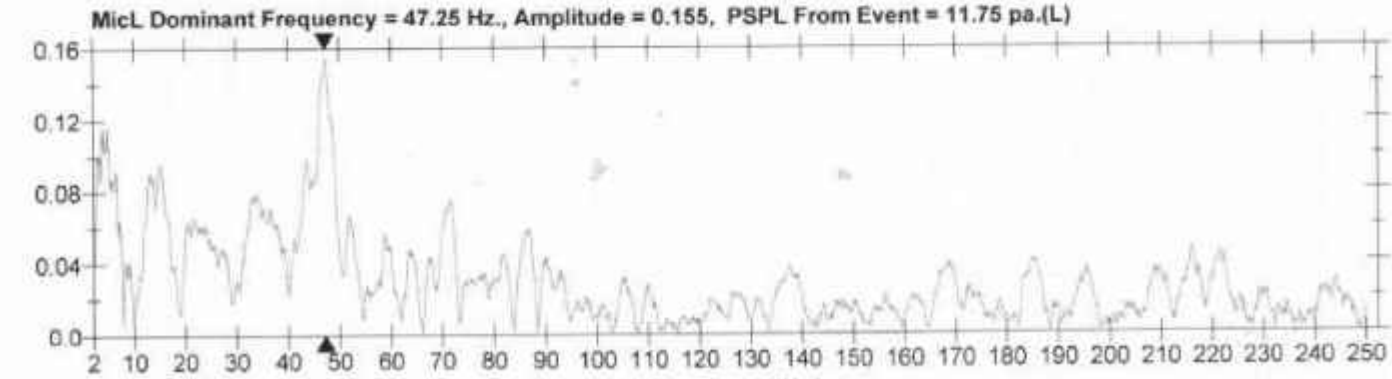

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report
6737

Date/Time	Vert at 14:09:17 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 1.000 mm/s
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	5.0 sec at 2048 sps

Serial Number	BE18012 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Battery Level	6.1 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	T012KHZR.BH0

Notes

Location:	JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client:	D.M.OFFICE, MIRZAPUR
User Name:	BLASTING DIVISION CMPDI HQ
General:	VIBRATION STUDY

Microphone	Linear Weighting
PSPL	0.750 pa.(L) at -0.183 sec
ZC Freq	>200 Hz
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran2	Vert2	Long2	
PPV	0.762	1.016	0.889	mm/s
ZC Freq	93	79	85	Hz
Time (Rel. to Trig)	-0.037	0.000	-0.081	sec
Peak Acceleration	0.080	0.080	0.080	g
Peak Displacement	0.002	0.003	0.002	mm
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.5	7.6	7.4	Hz
Overswing Ratio	3.6	3.7	3.9	

Peak Vector Sum 1.178 mm/s at -0.037 sec

USBM RI8507 And OSMRE

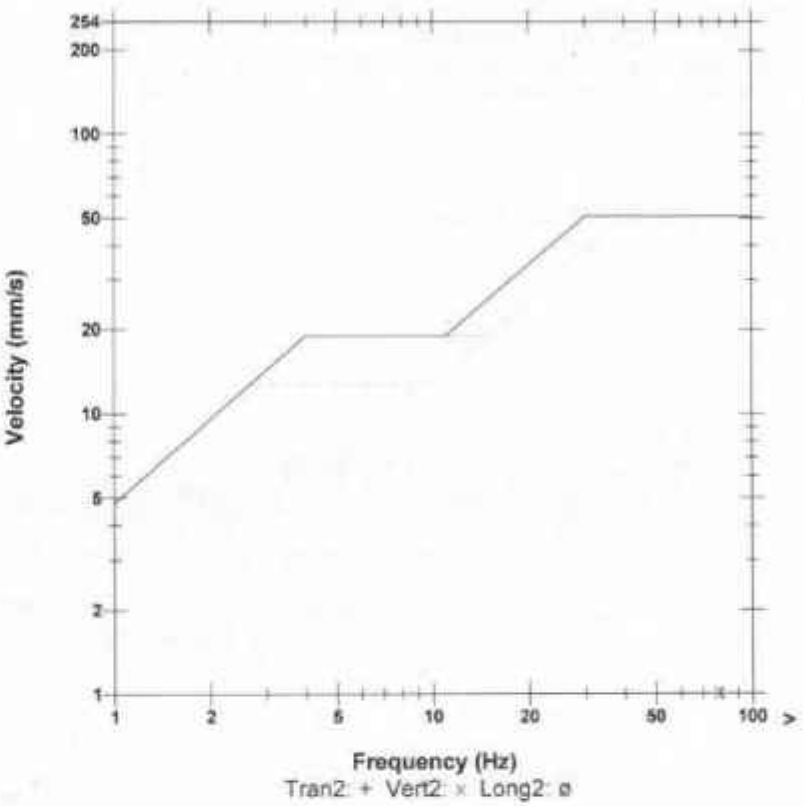

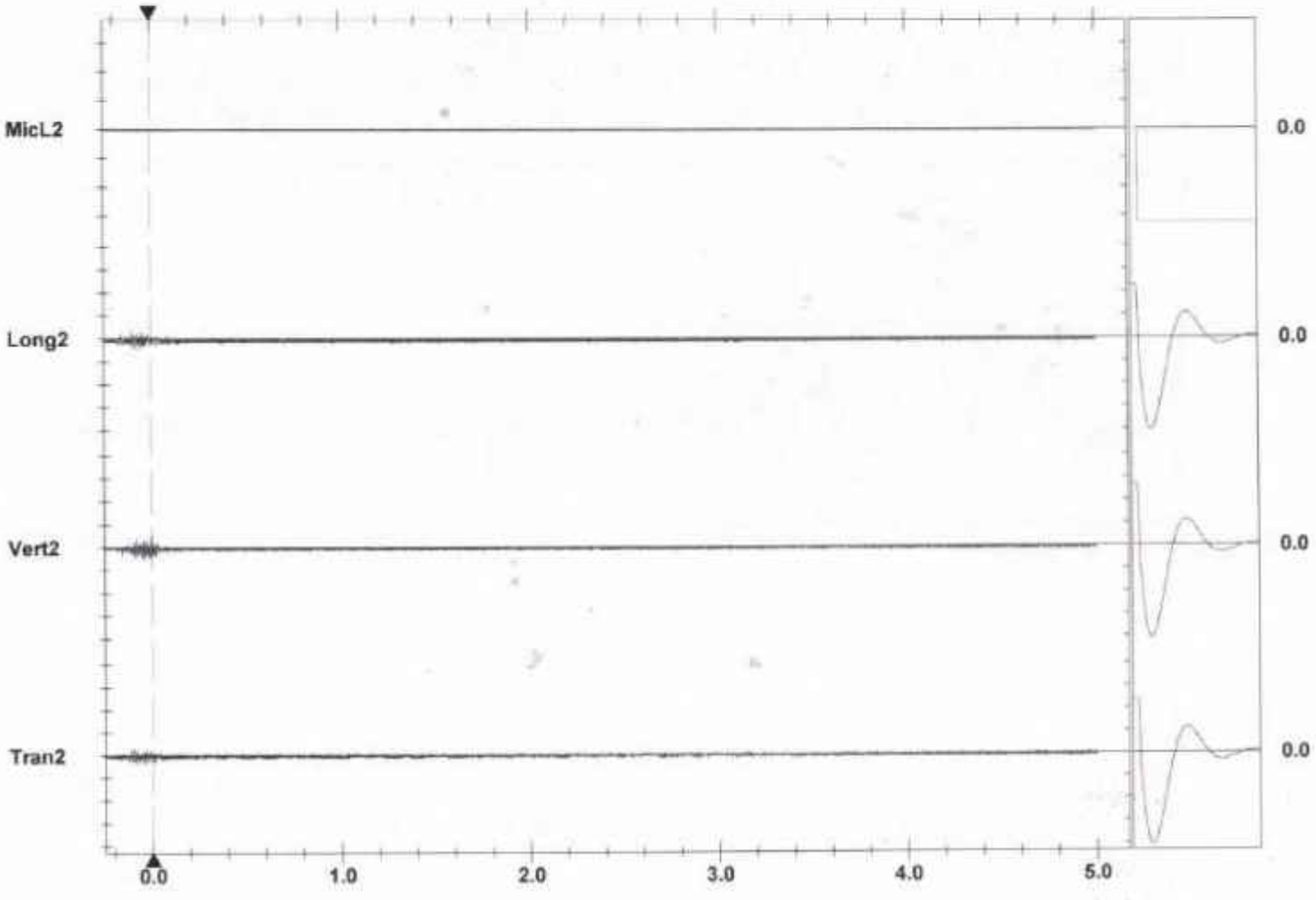

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 10.000 pa.(L)/div

Sensor Check

Trigger = ▶ ◀

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6738

Date/Time	Vert at 14:09:17 April 12, 2024	**Serial Number**	BE18012 V 10.72-8.17 MiniMate Plus/8
Trigger Source	Geo: 1.000 mm/s	**Battery Level**	6.1 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	5.0 sec at 2048 sps	**File Name**	T012KHZR.BH0

Notes

Location: JARGO DAM, MIRZAPUR, VARANASI
Client: D.M.OFFICE, MIRZAPUR
User Name: BLASTING DIVISION CMPDI HQ
General: VIBRATION STUDY

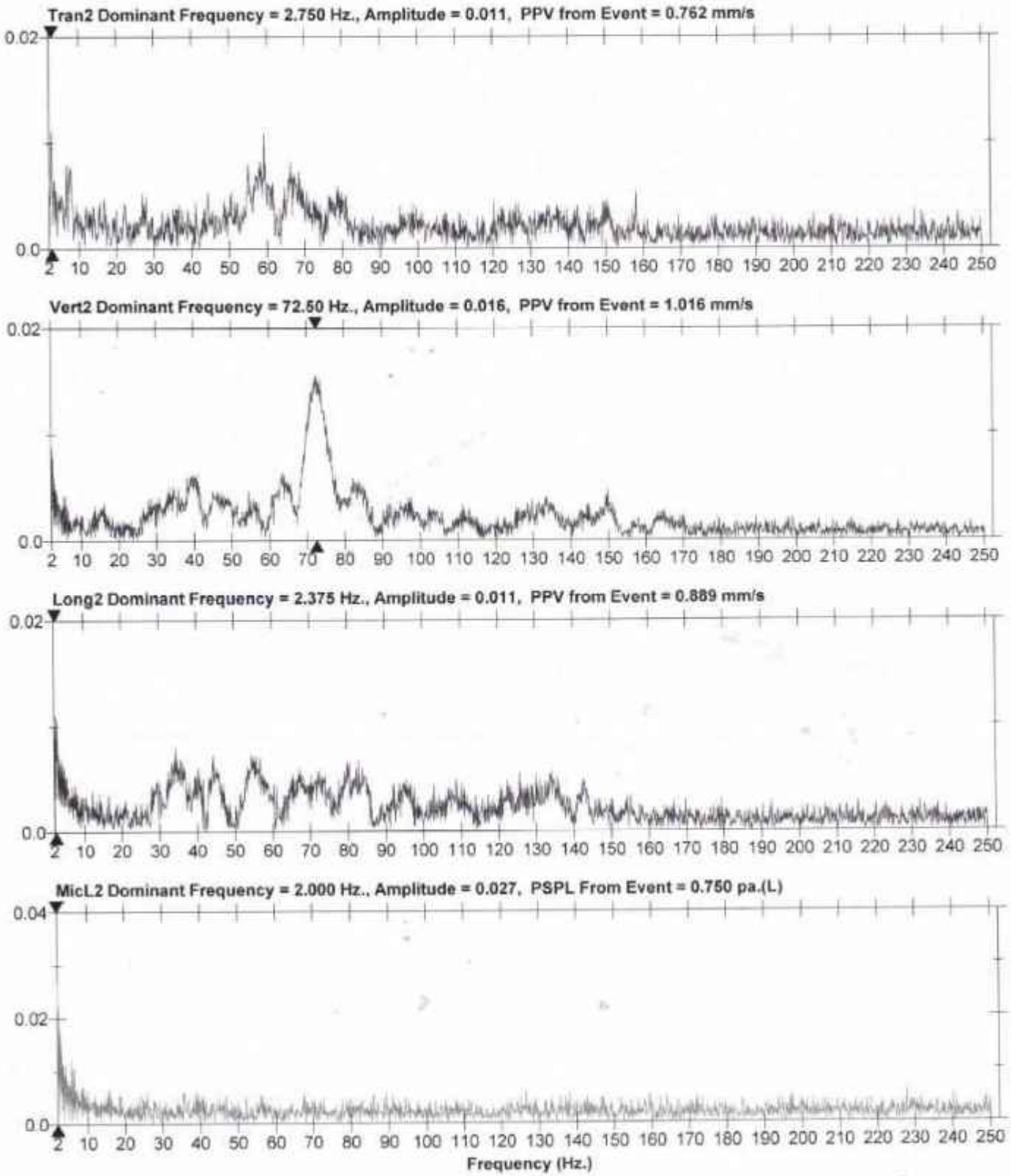

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

Event Report

6739

Date/Time	MicA at 14:10:06 April 12, 2024
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)
Range	Geo: 254.0 mm/s
Record Time	3.0 sec at 1024 sps
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb

Serial Number	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Battery Level	3.8 Volts
Unit Calibration	August 14, 2023 by UES New Delhi
File Name	UM11220_20240412141006.IDFW

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

Microphone	Linear Weighting
PSPL	4.686 pa.(L) at 0.005 sec
ZC Freq	>100 Hz
Channel Test	Check (Freq = 0.0 Hz Amp = 0 mv)

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.047	0.047	0.221	mm/s
ZC Freq	>100	57	N/A	Hz
Time (Rel. to Trig)	1.923	-0.010	1.410	sec
Peak Acceleration	0.005	0.004	0.005	g
Peak Displacement	0.000	0.001	0.000	mm
Sensor Check	Check	Check	Check	
Frequency	1024.0	1024.0	1024.0	Hz
Overswing Ratio	0.0	0.0	0.0	

Peak Vector Sum 0.221 mm/s at 1.410 sec
N/A: Not Applicable

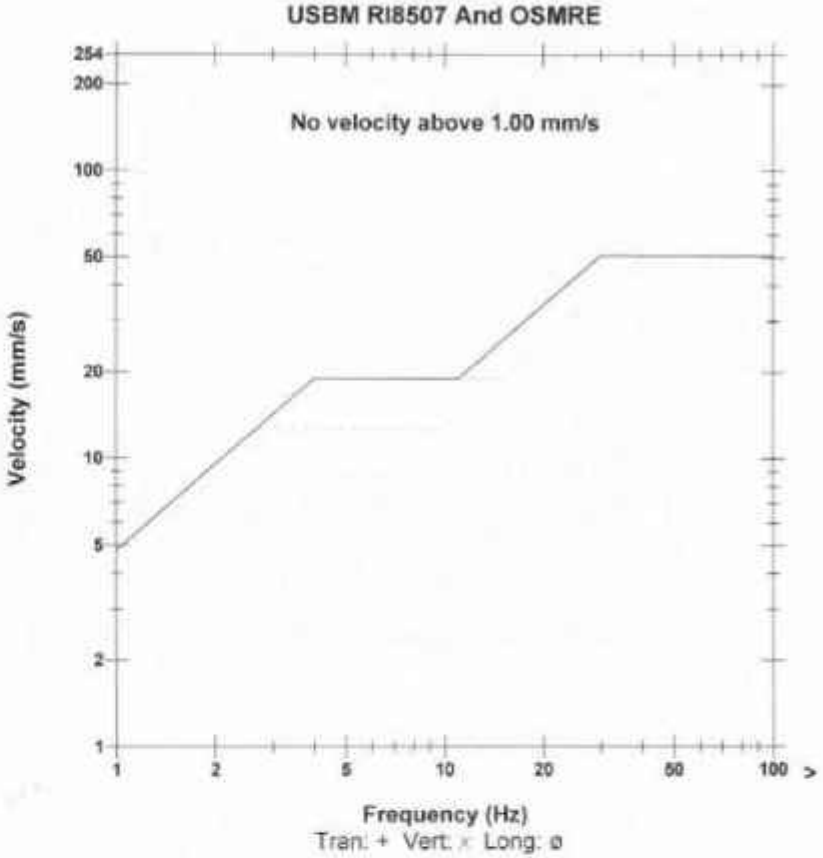

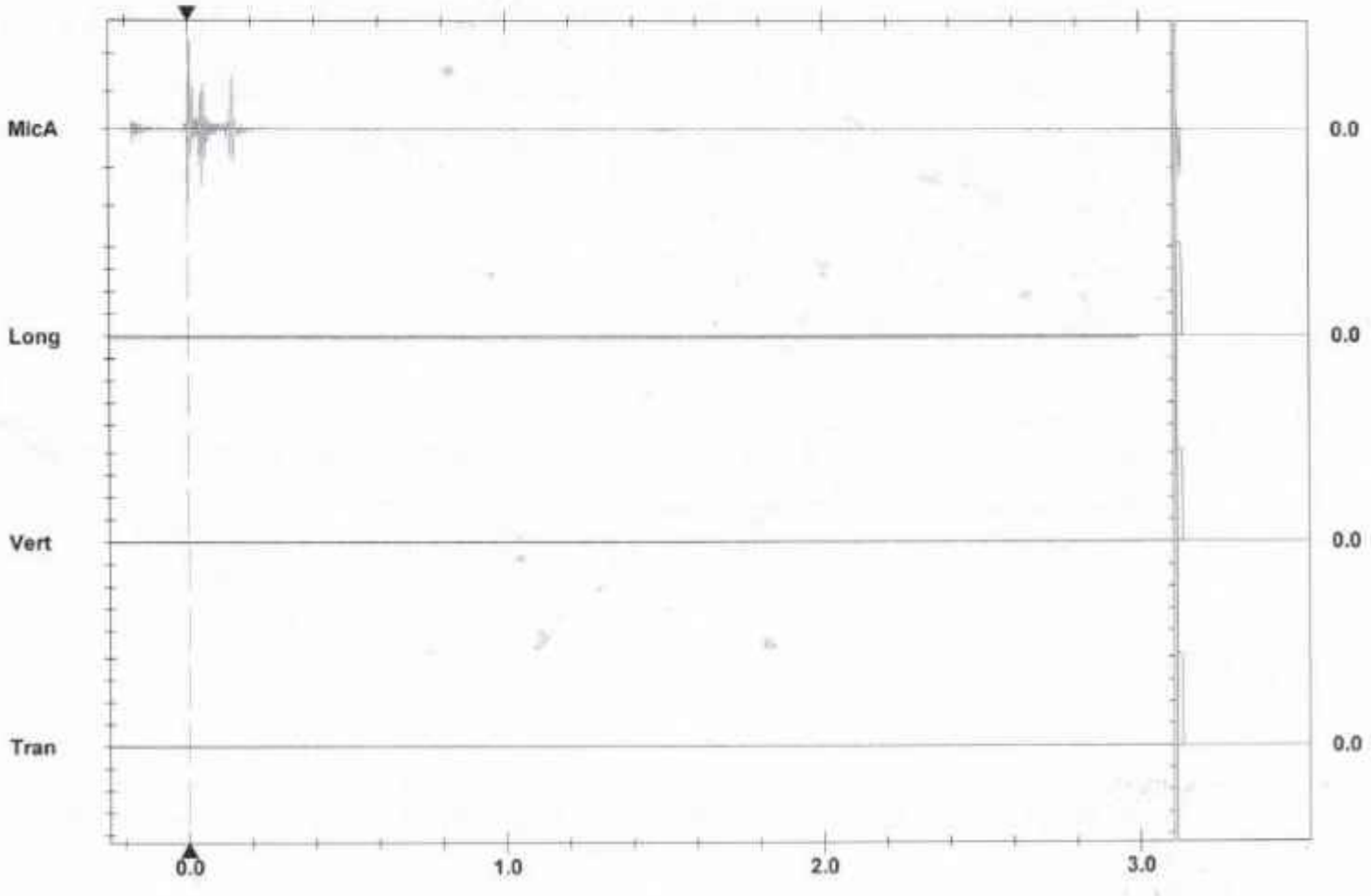

Time Scale: 0.20 sec/div **Amplitude Scale:** Geo: 2.000 mm/s/div Mic: 2.000 pa.(L)/div
Trigger = ▶ ◀

Sensor Check

Format © 1995-2015 Xmark Corporation

Instantel

FFT Report

6740

Date/Time	MicA at 14:10:06 April 12, 2024	**Serial Number**	UM11220 V 10-90FB Micromate ISEE
Trigger Source	Geo: 0.800 mm/s, Mic: 2.000 pa.(L)	**Battery Level**	3.8 Volts
Range	Geo: 254.0 mm/s	**Unit Calibration**	August 14, 2023 by UES New Delhi
Record Time	3.0 sec at 1024 sps	**File Name**	UM11220_20240412141006.IDFW
Operator/Setup:	Operator/factory.mmb		

Notes
Location: JARGO DAM MIRZPUR VARANASI
Client: D M OFFICE MIRZAPUR
User Name: CMPDI
General:

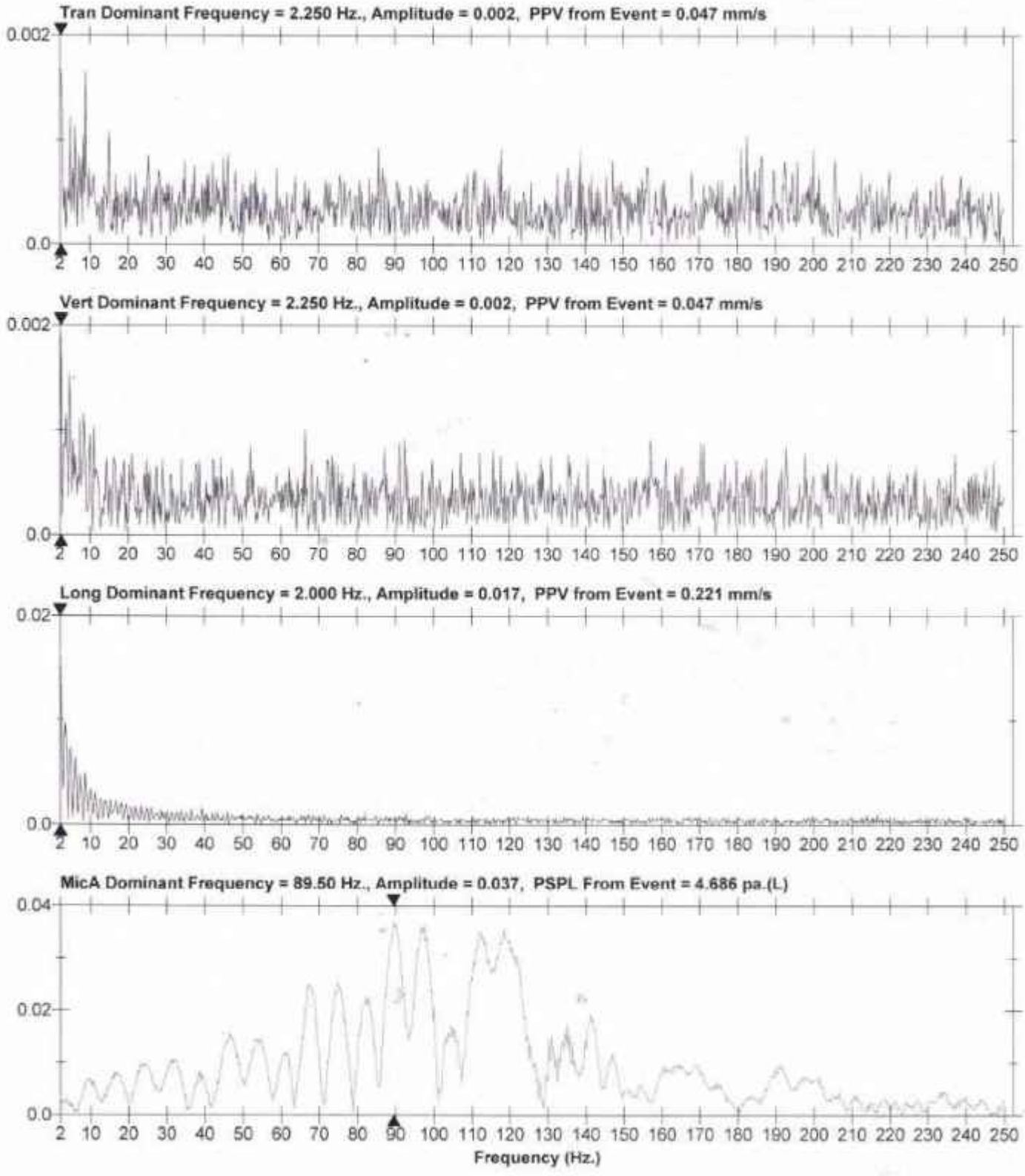

Format © 1995-2015 Xmark Corporation